सोमवार,
३ मई, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

पृष्ठ भाग

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २८८३–२९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९२४–२९२८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९२९–२९६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९६६–२९७२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७३–३०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०१८–३०२४

सोमवार, ३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०२५–३०६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०६४–३०६८

मंगलवार, ४ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०६९–३११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३११५–३१२२

पृष्ठ भाग

बुधवार, ५ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१२३–३१७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१७३–३१८२

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१८३–३२१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२१९–३२२२

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२२३–३२६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२६८–३२८०

सोमवार, १० मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२८१–३३२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३२४–३३४०

मंगलवार, ११ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३४१–३३८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३८६–३३९८

पृष्ठ भाग

बुधवार, १२ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३९९–३४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३४४६–३४७०

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३४७१–३५१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३५१७–३५४२

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३५४३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१ ३५४३–३५९२

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३ ३५९२–३५९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६ ३५९७–३६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२ ३६०१–३६१०

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६११

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४ ३६११–३६१४

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७ ३६१५–३६२४

लोक सभा

सोमवार, ३ मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि

*२१८०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मुद्रा निधि के कार्य आरंभ करने के पश्चात् चालू अन्तर्राष्ट्रीय सौदों के भुगतान पर पांच वर्ष के बाद भी भारत को प्रतिबन्ध जारी रखने की आज्ञा दी गई है; और

(ख) क्या "वार्षिक परामर्श" बिल्कुल औपचारिक है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । इस परामर्श के दौरान में सदस्य देश की सारी अर्थव्यवस्था का, निधि द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है ताकि वह अपने आप को संतुष्ट कर सके कि विनिमय प्रतिबन्धों का जारी रखा जाना न्यायोचित है । इस पुनरीक्षण के फलस्वरूप निधि सदस्य देश के वर्तमान प्रतिबन्धों में संशोधन करने के लिए सिफारिश कर सकती है और ऐसी सिफारिशें सम्बन्धित सदस्य देश पर अनिवार्य रुप से लागू होती हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस कोष के सब सदस्य-देशों में ये विनिमय नियन्त्रण प्रतिबन्ध हैं या कोई ऐसे भी हैं, जिन में नहीं है ?

श्री बी० आर० भगत : मैं नही जानता कि प्रतिबन्ध सब सदस्य देशों में हैं या नहीं । करार की धाराओं के अनुसार प्रतिबन्ध १९४७ से जब कि निधि का कार्य शुरु हुआ था पांच वर्ष तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी । इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक मामले का अलग अलग पुनरीक्षण किया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई अन्य सदस्य-देश भी थे जिन्हों ने १ मार्च को करार की अवधि समाप्त होने के बाद इसे बढ़ाने के लिए कहा था ?

श्री बी० आर० भगत : इस विषय में मेरे पास जानकारी नहीं हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : पहला करार १ मार्च, १९५२ को समाप्त हो गया था । अनुच्छेद १४ के अनुसार, हम ने अवधि एक वर्ष बढ़वा ली थी, किन्तु अनुमोदन नवम्बर में किया गया था । क्या यह बढ़ी हुई अवधि अब नवम्बर में समाप्त होगी या यह मार्च में समाप्त हो चुकी है ?

श्री बी० आर० भगत : पहली बार जुलाई १९५२ में निधि के साथ परामर्श किया गया था और उस की सहमति अकतूबर १९५२ में प्राप्त की गई थी ।

दूसरी बार जुलाई १९५३ में परामर्श किया गया था और निधि की सहमति फिर नवम्बर १९५३ में प्राप्त की गई थी ।

अमरीकी ऋण निधि में से आवंटन

*२१८१. **श्री एस० एन० दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ के दौरान में विभिन्न प्रयोजनों के लिए अमरीकी ऋण निधि में से किस सीमा तक और कितनी राशियों का आवंटन किया गया है ; और

(ख) कितने मामले विचाराधीन ह और ये किस प्रकार के हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का निर्देश १९५३–५४ के वित्तीय वर्ष की ओर है । एक विवरण जिसमें १९५३–५४ के वित्तीय वर्ष में अमरीकी ऋण से खरीदे गये गेहूं के विक्रय से प्राप्त राशि में से विभिन्न राज्यों को दिये गये आवंटनों के बारे में जानकारी दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ३०]

(ख) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं पर प्रति वर्ष राज्यों को केन्द्रीय सहायता की उच्चतम सीमा के अन्तर्गत, अमेरीका द्वारा ऋण रूप में दिए गए गेहूं के विक्रय से प्राप्त राशि से बनाई हुई निधि में से मध्यम कालीन ऋण दिये जाते हैं । निधि में से सहायता देने के लिए किन्हीं मामलों का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एन० दास : उस खाद्यान्न की मात्रा कितनी है जिस के विक्रय से प्राप्त राशि को अभी इस निधि में जमा किया जाना है ?

श्री बी० आर० भगत : यदि माननीय सदस्य का आशय यह है कि....

श्री एस० एन० दास० : मैं यह जानना चाहता हूं कि उस खाद्यान्न की मात्रा कितनी है, जिस के विक्रय से प्राप्त धन को अभी इस निधि में जमा किया जाना है ।

श्री बी० आर० भगत : अमरीकी गेहूं ऋण के विक्रय से प्राप्त धन से बनाई गई विशेष विकास निधि ९०·४७ करोड रुपये की थी और कम मूल्य या कम भाव पर बिकने के कारण हुई पूंजी की हानि को निकालने के बाद विशेष निधि में ७३·३२ करोड़ रुपये रह गये थे । जहां तक इस विशिष्ट गेहूं ऋण का सम्बन्ध है इस में से कुछ अवशिष्ट नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि योजनाओं के लिए मध्यम कालीन ऋण उस निधि में से दिये जाते हैं जो खाद्यान्न के विक्रय से प्राप्त धन से

बनाई गई है, मैं यह जानना चाहता था कि उस खाद्यान्न की मात्रा कितनी है जिस का मूल्य अभी इस निधि में जमा किया जाना है मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि उस समिति के सदस्यों ने जो भारतीय विकास निगम बनाने के लिए नियुक्त की गई थी अमेरिकी प्राधिकारियों से यह आश्वासन प्राप्त किया था कि इस निधि को भारतीय विकास निगम के लिए प्रयोग किया जायेगा ।

श्री बी० आर० भगत : नहीं, श्रीमान् ।

श्री के० सी० सोधिया : ऋण की मूल राशि क्या थी और रुपयों में यह राशि कितनी है ?

श्री बी० आर० भगत : मूल ऋण १९०० लाख डालर था । रुपयों में यह राशि ७३·३२ करोड़ है ।

डा० राम सुभग सिंह क्या इस वर्ष अमरीकी गेहूं ऋण निधि में से पुस्तकालय आदि स्थापित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विशेष कर केन्द्रीय विश्वविद्यालय को धन देने का विचार है ?

श्री बी० आर० भगत : एक विवरण दिया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : यह १९५३-५४ के लिए है ।

श्री बी० आर० भगत : इस विवरण से प्रतीत होता है कि किसी विश्वविद्यालय के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है । यह मुख्यत: सिंचाई और विद्युत योजनाओं तथा योजना के अन्तर्गत अन्य विकास कार्य के लिए है ।

श्री पुन्नूस : सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए त्रावनकोर कोचीन को २२५ लाख रुपये दिये गये हैं । क्या मैं इस का ब्योरा जान सकता हूं ?

श्री बी० आर० भगत : मेरे पास विस्तृत आंकड़े नहीं है ।

अंडेमान द्वीप

*२१८२. **श्री एम० सी० सामन्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अंडेमान द्वीपों में पशुओं की नसल सुधारने और डेरी फार्म का पुनर्गठन करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ;

(ख) १९५३ में अंडेमान में कितने पशु भेजे गये थे और १९५४ में कितने भेजने का विचार है ;

(ग) भेजे गये या भेजे जाने वाले पशुओं की नस्लों की किस्में कौन कौन सी हैं; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९५२ में पशु अधिकारी का एक पद निकाला गया था और अगस्त १९५२ में उस पर एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । आस पास के ग्रामों की सुविधा के लिए डेरी फार्म में सांड रखे जाते हैं । पुराने पशुओं में से अलाभप्रद पशुओं को बेच कर निकाल दिया गया है । फार्म के साथ की भूमि में नेपियर घास उगा कर डेरी फार्म को हरे चारे का संभरण बढ़ा दिया गया है । सरदार दातार सिंह और डा० कोठावाला की सिफ़ारिशों के अनुसार जनवरी १९५४ में कुछ नई भैंसें खरीदी गई थीं । बेकार पशुओं को बधिया कर के स्थानीय नस्लों की सुधार के लिए विधान सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(ख) १९५३ में—शून्य । जनवरी १९५४ में सरदार दातारसिंह और डा० कोठावाला की सिफारिशों के अनुसार १४ मराह भैंसें और १ मराह सांड आयात किये गये थे । कुछ और सिन्धी गायें और मराह भैंसें प्राप्त करने का भी विचार है ।

(ग) भैंसों और गायों की मराह और सिन्धी नस्लें ।

(घ) शून्य ।

श्री एस० सी० सामन्त : १९५४-५५ के लिये आयुक्त ने कितने पशुओं की मांग की है ?

श्री दातार : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं किन्तु उन की सब मांगें पूरी कर दी गई हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं हैं कि अंडेमान की जलवायु सम्बन्धी स्थितियां तटीय क्षेत्रों की जलवायु सम्बन्धी स्थितियों के समान है और यदि हां, तो क्या सरकार ने ये पशु तटीय क्षेत्रों से भेजे हैं या पहाड़ी क्षेत्रों से ?

श्री दातार : जो कुछ माननीय सदस्य ने प्रश्न के पहले भाग में कहा है वह काफी ठीक है । सरकार ऐसे सांड भेज रही है जो उन द्वीपों में रह सकें ।

श्री एस० सी० सामन्त : पशुओं की नसलों को उक्त प्रकार भेजने के अतिरिक्त, क्या वहां रहने वाले निजी व्यक्तियों को भी पशु भेजने का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री दातार : ये भेजे जा सकते हैं ; वास्तव में निजी व्यक्ति सरकार की मंजूरी से पशु मंगवाते हैं ।

निर्माण तथा विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक

*२१८३. **श्री बंसल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने अब तक भारत के लिए जितने ऋण की मंजूरी दी है, उस में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : ३१ मार्च १९५४ तक, जिस तिथि तक से आंकड़े उपलब्ध हैं, कुल राशि जिसका उपयोग किया गया है, लगभग ५४७ लाख डालर है ।

श्री बंसल : कौन से ऐसे विशेष ऋण हैं जिन में राशियां शेष रह गई थीं ?

श्री बी० आर० भगत : केवल बुखारो-कोनार ऋण में से ही धन नहीं लिया गया है । ऋण की मूल राशि १,८५,००,००० डालर थी और १,४७,००,००० डालर राशि उस में से ली गई थी । जहां तक इस्पात परियोजना ऋण तथा द्वितीय दामोदर घाटी निगम सम्बन्धी ऋण का सम्बन्ध है, ये राशियां अभी ली नहीं गई हैं, क्योंकि यह ऋण अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री बंसल : आयव्ययक के भाषण के दौरान में माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये एक वक्तव्य में उन्होंने बताया था कि त्रोमबोय तथा कोयना बहु-प्रयोजनीय परियोजना के लिए कुछ और ऋणों के सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिकारियों का एक शिष्टमंडल वाशिंगटन गया था । क्या इन में से किन्हीं ऋण को मंजूर किया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : त्रोमबोय तथा कोयना के लिए तथा नये राज्य संयन्त्र के लिये इन ऋणों की

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक जांच पड़ताल तथा अध्ययन कर रहा है ।

श्री बंसल: औद्योगिक वित्त निगम को दिये जाने वाले ऋण की क्या स्थिति है ?

श्री बी० आर० भगत: औद्योगिक वित्त निगम के लिए जिस ८०,००,००० डालर के ऋण लेने के बारे में बातचीत की गई थी, उसे छोड़ दिया गया है ।

श्री रघुरामय्या: क्या कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों म, जिनका निर्देश हाउस आफ़ कामन्स में किया गया था, कोई सत्यता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा भारत को ऋण दिये जाने के लिय निर्धारित शर्तों में से एक यह है कि भारत इस सिद्धान्त को मान ले कि जिन उद्योगों के लिए ऋण दिया जायगा वे गैरसरकारी उपक्रम रहें ?

श्री बी० आर० भगत: मुझे इस रिपोर्ट का पता नहीं है किन्तु गैर सरकारी उपक्रमों का सिद्धान्त हमारी मिश्रित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत आ जाता है ।

अस्पृश्यता

*२१८४. **श्री एन० राचय्या:** (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर राज्य में अस्पृश्यता निवारण के लिए १९५३-५४ में मैसूर राज्य को कितनी राशि दी गई है ?

(ख) इस कार्य के निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) १,६२,५०० रुपये ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान श्री डोडा तिम्मय्या के तारांकित प्रश्न संख्या ५७३ के उत्तर में, जो २ मार्च १९५४ को दिया गया था, सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर दिलाया जाता है ।

श्री एन० राचय्या : जहां तक विवरण के पद (१) का सम्बन्ध है, उस में यह दिया हुआ है कि मैसूर राज्य में कुएं बनवाने के लिए ३७,५०० रुपये निर्धारित किये गये हैं । क्या यह राशि हरिजनों के लिये पृथक् रूप से बनाये गये कुओं पर खर्च की गई थी या सम्बद्ध गांवों के सभी निवासियों के लिये बनाये गये कुओं पर खर्च की गई थी ?

श्री दातार: जो विशेष बात माननीय सदस्य पूछ रहे हैं उस के विस्तृत तथ्य मेरे पास नहीं हैं, किन्तु यह राशि हरिजनों के लिये कुएं बनाने के लिये दी गई है ।

श्री एन० राचय्या: विवरण के अनुसार अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में प्रचार कार्य पर १२,५०० रुपये खर्च किये गये हैं । क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति के एक सदस्य ने, जो कि 'पांचजन्य' नामक समाचार पत्र भी चला रहे हैं, हरिजनों के उद्धार कार्य के लिये अनुदान मांगे और मैसूर सरकार ने उस प्रार्थना पर विचार नहीं किया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । किसी व्यक्ति की प्रार्थना के समर्थन में कोई व्यक्तिगत मामला नहीं रखा जा सकता ।

श्री तिम्मय्या: क्या सरकार ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि देश में अस्पृश्यता कितने हद तक प्रचलित है और सरकार के प्रयत्नों द्वारा इसका कितने हद तक निवारण किया गया है ?

श्री दातार : सरकार इस बात को जानती है कि देश में अस्पृश्यता बहुत हद तक प्रचलित रही है और इसका निवारण करने के लिये संगठित प्रयत्न किये गये हैं ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन राज्य सरकारों को अस्पृश्यता निवारण के लिये रुपया दिया गया है, उन्होंने अपनी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दी हैं ?

श्री दातार : यह तो मूल सिद्धान्त है । कुछ राशि निर्धारित कर दी जाती है जिस के लिये वे योजनायें भेजती हैं ; फिर योजनाओं को स्वीकार किया जाता है और धन दिया जाता है ।

श्री गणपति राम : क्या मंत्री महोदय को मालूम है.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री पुन्नूस : क्या माननीय मंत्री के उत्तर से मैं यह समझूं कि हरिजनों के लिये कुएं खोदने मात्र से ही अस्पृश्यता का निवारण किया जा रहा है ?

श्री दातार : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । हमें हरिजनों को भी सुविधायें देनी हैं और दी जाने वाली महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक यह भी है ।

श्री गणपति राम : क्या गवर्नमेंट को मालूम है.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं अगला प्रश्न लेता हूं । माननीय सदस्य को और पूछने की आवश्यकता नहीं ।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

*२१८५. **डा० नटवर पांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के उन इंस्पैक्टरों तथा सुपरिंटेंडेन्टों की संख्या कितनी हैं जो पूर्ण रूप से तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क एकत्रित करने के काम में लगे हैं ;

(ख) इस कर्मचारी वर्ग पर कितना वार्षिक व्यय होता है ; तथा

(ग) उड़ीसा में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क से कितनी वार्षिक आय होती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में पूर्ण रूप से तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क एकत्रित करने के काम में पिच्चासी इंस्पैक्टर लगे हुए हैं । उस राज्य में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के काम का निरीक्षण करने के लिये केन्द्रीय उत्पादन विभाग के चार सुपरिंटेंडेंट भी लगे हुए हैं, किन्तु कोई सुपरिंटेंडेंट पूर्णरूप से केवल तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क एकत्रित करने के काम में नहीं लगा हुआ है । ये सुपरिंटेंडेंट संघ के अन्य उत्पादन शुल्क से सम्बन्धित अन्य कामों की भी देख भाल करते हैं ;

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के पिच्चासी इंस्पैक्टरों पर, जो कि पूर्ण रूप से तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क एकत्रित करने के कार्य में लगे हैं, तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के चार सुपरिंटेंडेंटों पर, जो कि सभी प्रकार की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क एकत्रित करने के काम में लगे हुए हैं, अनुपातिक खर्च पर कुल व्यय लगभग २,४०,८५० रुपये था ।

(ग) वर्ष १९५३-५४ में उड़ीसा में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क से शुद्ध आय २३,२८,८३७ रुपये हुई थी यह आंकड़ा अस्थाई है चूंकि इस वर्ष का लेखा अन्तिम रूप से तय्यार नहीं किया गया है ।

डा० नटवर पांडे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटे छोटे उत्पादकों को कोई छूट नहीं दी गई है तथा गरीब किसानों को उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा परेशान किया जाता है, क्या सरकार का छूट देने का कोई विचार है ?

श्री ए० सी० गुहा: यदि मेरी बात गलत हो तो उसे ठीक किया जा सकता है--मैं समझता हूं कि उड़ीसा में छोटे छोटे किसानों को छूट दी जाती है । जो किसान केवल अपने पारिवारिक खपत के लिये ही तम्बाकू पैदा कर रहे हैं उनसे भी उत्पादन शुल्क नहीं लिया जाता ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी: क्या उड़ीसा में तम्बाकू की खड़ी फसल पर शुल्क निर्धारण करने की प्रथा अब भी चल रही है, या क्या अब वास्तव में काटी गई फसल तथा सुखाये गये तम्बाकू पर शुल्क निर्धारण करने की रीति का अनुसरण किया जा रहा है ?

श्री ए० सी० गुहा: साधारण तौर पर उत्पादन शुल्क निर्धारण तम्बाकू के वास्तविक उत्पादन पर किया जाता है, किन्तु जितने क्षेत्र में तम्बाकू पैदा किया जाता है उस पर तथा इसके लगाये गये पौदों की संख्या पर प्रारम्भिक शुल्क निर्धारण किया जा सकता है ; वास्तव में यह इस बात पर आधारित होता है कि खेत में कुल कितना तम्बाकू पैदा किया गया है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि जो काश्तकार घर के उपयोग के लिये तम्बाकू पैदा करता है उस पर तम्बाकू का टैक्स लगाया जाता है ? क्या यह बात सच है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहिले ही इसका उत्तर दे दिया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : माननीय मंत्री ने उत्तर में बताया कि उड़ीसा राज्य में छूट दी जाती है । क्या अन्य राज्यों को यह छूट नहीं दी जाती है ?

श्री ए० सी० गुहा: अन्य राज्यों पर भी लगभग वही सिद्धांत लागू किया जाता है ; किन्तु उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें तम्बाकू की खेती किसान एक ही स्थान पर न करके छोटे छोटे भागों में खेती करते ह और वहां कुछ पहाड़ी स्थान भी हैं जहां तम्बाकू बहुत थोड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है ; इसलिये वहां शुल्क निर्धारण करना राज्य के हित में नहीं है ।

औद्योगिक ऋण

*२१८६. **श्री मुरारका :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि शिष्ट मण्डल की रिपोर्ट में दी हुई सिफारिश की ओर दिलाया गया है जिस में इस बात की सिफारिश की गई है कि औद्योगिक ऋण देने के मामले में औद्योगिक वित्त निगम बैंकों के साथ मिल कर काम करें ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस सिफारिश के आधार पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) जी हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन रहा है । इस सम्बन्ध में सरकार श्रोफ समिति की रिपोपोर्ट की भी प्रतीक्षा कर रही है, जो समिति अन्य बातों के साथ साथ गैर सरकारी उद्योगों के विकास के लिये बैंकों से ऋण दिलाने की सम्भावना पर जांच करने के लिये रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया द्वारा सरकार के अनुमोदन से नियुक्त की गई थी ।

श्री मुरारका: क्या इस मामले में सरकार ने रिज़र्व बैंक तथा औद्योगिक वित्त निगम के विचार मांगे हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : जी हां । औद्योगिक वित्त निगम पहिले ही वाणिज्यिक बैंकों से इस बारे में बात

चीत कर चुका है कि इस मामले में क्या किया जा सकता है, विशेषकर औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण पत्रों के मामले में क्या किया जा सकता है।

श्री मुरारका: मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस मामले में सरकार ने रिज़र्व बैंक तथा औद्योगिक वित्त निगम से परामर्श किया है, और यदि ऐसा है, तो उन्होंने इस देश में औद्योगिक ऋण देने के बारे में क्या विचार प्रकट किये हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: रिजर्व बैंक के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि रिजर्व बैंक तथा सरकार श्रोफ समिति की रिपोर्ट के प्रकाशित होजाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वह प्रकाशित न हो जाये तब तक सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। फिर भी मैं यह बता हूं कि इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा किसी वाक्बद्धता का उल्लेख नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने अपने नित्य कार्य के रूप में देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये अपना आदमी भेजा और उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। निस्सन्देह, सरकार इस रिपोर्ट पर उचित रूप से विचार करेगी।

श्री मुरारका: क्या सरकार इस बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करती है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले इन ऋणों के बारे में औद्योगिक वित्त निगम प्रत्याभूति दे सकता है ?

श्री ए० सी० गुहा: यह अभी नहीं बताया जा सकता। मैं केवल श्रोफ़ समिति की रिपोर्ट के बारे में ही बता सकता हूं कि सरकार औद्योगिक ऋण के अभाव को समझती है इसीलिये इसने श्रोफ़ समित्ति के द्वारा जांच आरम्भ कर दी है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या औद्योगिक वित्त निगम की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से मांगे गये ऋण का विचार त्याग दिया गया है, और यदि ऐसा है तो क्या मैं इस के कारण जान सकता हूं ?

श्री ए० सी० गुहा: यह बिल्कुल ही दूसरे क्षेत्र की बात है। मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया है। औद्योगिक वित्त निगम के पास पर्याप्त निधि है। आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव के अनुसार कार्य किया जायगा। उस प्रस्ताव को अभी आगे नहीं बढ़ाया गया है।

श्री टी० के० चौधरी: माननीय मंत्री ने इस तथ्य का निर्देश किया है कि वाणिज्यिक बैंकों से परामर्श किया जा रहा है। क्या उनके निश्चित विचार प्राप्त हो गये हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: मैंने यह नहीं कहा कि परामर्श लिया जा रहा है। मैंने तो केवल यही कहा था कि औद्योगिक वित्त निगम ने कुछ वाणिज्यिक बैंकों से सम्पर्क स्थापित किया है। मैं समझता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम द्वारा लिये जाने वाले ऋण पत्रों के सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिक्रिया पक्ष में समझी जा सकती है।

वायु सेना में अर्हती वेतन

*२१८८. **श्री साधन गुप्त** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वायु सेना में अर्हता वेतन देने की कोई प्रणाली है ;

(ख) यह वेतन किन अर्हताओं के लिये मिलता है।

(ग) ऐसे वेतन की राशि ; तथा

(घ) क्या अधिकारी तथा अन्य सैनिक सभी इसके पाने के योग्य हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ३१]

(ग) उच्चतर विशेष अर्हताओं के लिये अर्हता वेतन ७५ रु० प्रतिमास तथा निम्नतर अहताओं के लिये ५० रु० प्रतिमास स्वीकृत किया गया है ।

(घ) अर्हता वेतन केवल अधिकारियों को ही मिल सकता है ।

श्री साधन गुप्त : क्या अर्हता वेतन देना इस तथ्य का द्योतक है कि उच्चतर अर्हताओं को वेतन के द्वारा ही मान्यता दी जानी चाहिये ?

सरदार मजीठिया : हां, यह भी एक आधार है ।

श्री साधन गुप्त : क्या इसके कोई अन्य आधार भी हैं ?

सरदार मजीठिया : दूसरा विचार यह है । देश के स्वतन्त्र होते ही, विशेषकर वायु सेना में वेतन कम कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न श्रेणी के अधिकारियों जैसे विंग कमाण्डरों तथा उससे नीचे के लोगों की बड़ी हानि हुई । उनकी क्षतिपूर्ति करने तथा इन विशिष्ट अर्हताओं को प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये यह अर्हता वेतन देना वांछित समझा गया ।

श्री साधन गुप्त : क्या उन्हीं अर्हताओं वाली कोई और पदवियां भी हैं, जिनके लिये अर्हता वेतन मिलता है, और यदि ऐसा है, तो उनको अर्हता वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सरदार मजीठिया : मुझे इन अर्हताओं वाली अन्य पदवियों की जानकारी नहीं है। यदि कुछ हैं भी तो उन्होंने अपने वेतन आदि के विषय में जानकर ही उन अन्य पदवियों में पद ग्रहण किया है ।

मद्रास विश्वविद्यालय को अनुदान

*२१८९. **डा० रामा राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने मद्रास विश्वविद्यालय को शरीरविज्ञान में गवेषणा के लिये कोई अनुदान स्वीकृत किया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो कितना ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) ५०,००० रु० ।

डा० रामा राव : क्या मद्रास विश्वविद्यालय ने शरीरविज्ञान में नहीं वरन् मनोविज्ञान में अनुदान के लिये आवेदन पत्र भेजा था ?

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न तो शरीर विज्ञान से सम्बन्धित है । यद्यपि मनोविज्ञान (साइकालोजी) सुनने में शरीर-विज्ञान (फ़िज़ीयालोजी) से बहुत कुछ मिलता सा जान पड़ता है किन्तु वह तो बिलकुल भिन्न प्रश्न है ।

डा० रामा राव : यद्यपि शरीरविज्ञान मनोविज्ञान से साम्यता रखता है, किन्तु क्या मद्रास विश्वविद्यालय ने मनोविज्ञान में अनुदान मांगा था जबकि अनुदान शरीर विज्ञान के लिये दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को यह निश्चय रूप से ज्ञात है कि मद्रास विश्वविद्यालय ने शरीर विज्ञान में अनुदान के लिये आवेदन नहीं भेजा था ?

डा० रामा राव : उसने मनोविज्ञान के लिये अनुदान मांगा था ।

अध्यक्ष महोदय : यह हो सकता है; किन्तु क्या माननीय सदस्य को निश्चय ज्ञात है कि उसने शरीरविज्ञान के लिये अनुदान नहीं मांगा था?

डा० रामा राव : उसने शरीरविज्ञान के लिये नहीं मांगा था। इस अनुदान के स्वीकृत हो जाने के पश्चात मद्रास विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय सरकार को स्मरण कराया कि उन्होंने मनोविज्ञान के लिये आवेदन किया था, शरीरविज्ञान के लिये नहीं।

डा० एम० एम० दास : मद्रास विश्वविद्यालय ने न केवल शरीरविज्ञान के लिये यह अनुदान ही मांगा, वरन्, फरवरी १९५३ में इस अनुदान के स्वीकृत हो जाने के तत्काल बाद ही, उन्होंने मई १९५३ में शरीरविज्ञान के लिये एक अलग विभाग की स्थापना करने के लिए एक विस्तृत सूची तैयार की है, और वह सूची केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत कर दी है।

उस्मानिया विश्वविद्यालय

***२१९१. श्री के० सी० सोधिया**: (क) क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस्मानिया विश्वविद्यालय के पुनस्स्थापन के लिये नियुक्त की गई शिक्षा विशेषज्ञ समिति ने कार्यारम्भ कर दिया है?

(ख) यदि नहीं, तो उसके कब से कार्य करने की आशा की जाती है?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) नहीं।

(ख) समिति शीघ्र ही कार्य करना प्रारम्भ कर देगी, ऐसी आशा है।

श्री के० सी० सोधिया: विलम्ब का क्या कारण है?

डा० काटजू: इस विषय पर आयव्ययक विवाद के समय चर्चा की गई थी, और उस समय मैंने कहा था कि आचार्य नरेन्द्रदेव ने, जो सभापति नियुक्त किये गए हैं, अस्वस्थता के कारण, जनवरी १९५४ में त्याग पत्र दे दिया है। उनके स्थान पर डा० ज़ाकिर हुसेन सभापति नियुक्त किये गए हैं। उनकी सम्मति सम्बन्धी प्रतिवेदन अथवा विवरण भेजने के लिये हैदराबाद सरकार से कहा गया है। उसने कहा है कि सम्भवतः एक सप्ताह अथवा कुछ इसी के आस-पास के अत्यन्त अल्प काल में वह भेज देगी। ज्यों ही वह विवरण मिल जायगा, आशा की जाती है कि समिति अपना कार्य करना आरम्भ कर देगी।

डा० सुरेश चन्द्र: विशेषज्ञ समिति के सभापति के त्याग पत्र देने का क्या कारण है? क्या यह सच है कि हैदराबाद सरकार तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय के विरोध के कारण पुनस्स्थापन का विचार समाप्त कर दिया गया है?

डा० काटजू: मैं नहीं समझता कि यह सच है।

सेठ गोविन्द दास: इस कमेटी को इस विषय के सम्बन्ध में कौन कौन से विषय विचार करने के लिए दिये गये हैं क्या कोई उसकी तालिका उनके सामने रख दी गई है या उनको पूरी आज़ादी दे दी गई है कि जैसे चाहें इन विषयों पर विचार करें?

डा० काटजू: मेरी याद अभी ताज़ा नहीं है, इसलिये मैं चाहता हूं कि मुझे इस सवाल के लिये नोटिस दिया जाय।

डा० के० सुब्रह्मण्यम्: इसमें जो असाधारण समय लग चुका है, इसे दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार समिति के

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कोई कालावधि निश्चित करने का विचार रखती है ?

डा० काटजू : हम इस पर विचार करेंगे । यदि वह इसी प्रकार कार्य करती रही तो सम्भवत: कुछ समय सीमा निर्धारित कर देनी पड़ेगी।

सेना के रिज़र्व सैनिक

*२१९३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री १७ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तब से सेना के रिज़र्व सैनिकों के वेतन बढ़ाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : विषय अभी विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह निर्णय कब तक होने की आशा है और उसके निर्णय होने में जो देरी हो रही है, तो उसके रास्ते में अड़चनें क्या हैं ?

सरदार मजीठिया : इस समय यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है क्योंकि हमें अपनी विशेषत: वायु सेना तथा जल सेना में अभी रिज़र्व सैनिक रखने हैं, जहां तक स्थल सेना का सम्बन्ध है, उसमें बहुत थोड़े से लोग अभी रिज़र्व में रखे गये हैं । अत: यह विषय इस समय विशेष महत्व नहीं रखता है । यथासमय इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात नहीं आई है कि जिन नौजवान सैनिकों को समय से पहले ही रिज़र्व में भेज दिया जाता है और दूसरी नागरिक शाखाओं में रोज़गार नहीं मिलता है, उसके कारण उनके अन्दर व्यापक असन्तोष फैला हुआ है ?

सरदार मजीठिया : किसी भी दशा में सरकार के नोटिस में यह बात नहीं लाई गई है किन्तु जैसा कि मैंने कहा है बहुत थोड़े लोग रिज़र्व में गये हैं।

आसाम पर बवंडर

*२१९५. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १७ अप्रैल, १९५४ के समाचार पत्रों में प्रकाशित यह वार्ता सच है कि १४ अप्रैल, १९५४ को या उसके आसपास तेजपुर (आसाम) पर से एक चक्करदार बवंडर गुजरा जिस के कारण १ करोड़ रुपये की हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो हानि की निश्चित मात्रा क्या है ; तथा

(ग) सहायता तथा पुनर्वास के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) . १४ अप्रैल, १९५४ के ९-३० म. प. से ९-४५ म. प. के बीच तेजपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में वर्षा तथा ओलों सहित तेज तथा भीषण तूफान आया । मानव तथा पशुओं की प्राण-हानि नहीं हुई। डाक तथा तार विभाग एवं चाय बागानों की संपत्ति छोड़ कर कुल ७,७२,००० रुपए की अनुमानित हानि हुई।

(ग) राज्य सरकार ने उचित मामलों में ८,००० रुपयों का दान मंजूर किया है और वह पुनर्वास ऋण देने के प्रश्न पर विचार कर रही है । जहां आवश्यकता हो वहां मकान बनाने की सामग्री भी दी जा रही है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह विदित है कि एक व्यक्ति पहले ही मर चुका है और चार अथवा पांच व्यक्ति घायल हुए हैं ?

श्री दातार : हमें जो नवीनतम सूचना प्राप्त हुई है उस के अनुसार कोइ प्राणहानि नहीं हुई ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार को सहायता के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री दातार : जहां तक मुझे पता है, हमें इस विषय में राज्य सरकार से कोई प्रार्थना नहीं की गई है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि कुछ वैयक्तिक अभ्यावेदन तार द्वारा प्रधान मंत्री को भेजे गये हैं ?

श्री दातार : मुझे पता नहीं ।

सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क

*२१९६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्कूल सीमाशुल्क तथा संघीय उत्पादन शुल्क द्वारा प्राप्त कुल आय में, अप्रैल से नवम्बर १९५३ के बीच की अवधि में, १९५२ की तत्स्थानी अवधि की अपेक्षा, कमी होने के कारण क्या थे; तथा

(ख) क्या इस समय इस आय में कोई सुधार हो रहा है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गहा) : (क) यह मुख्यत: सूती कपड़े तथा जूट की वस्तुओं के निर्यात शुल्क में कमी की जाने के कारण हुआ है ।

(ख) अपेक्षा की जाती है कि १९५४ की तत्स्थानी अवधि में वसूली में कुछ वृद्धि हो जायेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : भाग (ख) के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि इस आय में लगभग कितनी वृद्धि होगी ?

श्री ए० सी० गुहा : अभी किसी बात का अनुमान करना कठिन है । अभी अभी इस अवधि का आरम्भ हो रहा है । अत: मैं अनुमानित वृद्धि का कोई आंकड़ा नहीं बता सकता ।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार किन स्रोतों से अधिक आय की अपेक्षा रखती है ?

श्री ए० सी० गुहा : यदि वे आंकडों को ओर देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि आयात शुल्कों में कोई खास कमी नहीं हुई है । केवल निर्यात शुल्कों में ही उल्लेखनीय कमी हुई है । मेरी राय में, यदि हमारे निर्यात व्यापार में कुछ वृद्धि हुई—और हम ऐसी आशा रखते हैं—तो यह कमी कुछ हद तक पूरी हो जाएगी ।

भारतीय थल, जल, नभ सैनिक बोर्ड

*२१९६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करगे :

(क) ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें साहस के लिए पुरस्कार के रूप में भूमि दी गई थी और जो विभाजन के परिणामस्वरूप उस भूमि पर कब्ज़ा नहीं कर पाये ; तथा

(ख) इन में से कितने लोगों को १९५३ में थल, जल, नभ सैनिक बोर्ड की निधि से क्षतिपूर्ति दी गई ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) २३३ ।

(ख) किसी को नहीं।

सरदार हुक्म सिंह: ये पुरस्कार-प्राप्त लोग किन राज्यों के हैं तथा क्या इन राज्यों ने क्षतिपूर्ति की राशि उचित बनाने के लिए कुछ अंशदान देना स्वीकार किया है ?

सरदार मजीठिया: : ये अधिकतर पश्चिमी पंजाब के हैं और पंजाब सरकार ने एक स्क्वेयर के ५००० रुपए निश्चित किए। केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से इस राशि को ७००० रुपए तक बढ़ाने की तथा इस काम के लिए ५ लाख रुपये देने की भी बात कही किन्तु शर्त यह थी कि पंजाब सरकार अवशिष्ट राशि देना स्वीकार करें। किन्तु अच्छी तरह गौर करने के बाद पंजाब सरकार इस नतीजे पर आई कि प्रति स्क्वेयर ५००० रुपए की दर पर्याप्त थी और भारत के अन्य राज्यों ने भी यही आंकड़ा निश्चित किया था, इसलिए इस में वृद्धि का कोई सवाल ही नहीं था।

सरदार हुक्म सिंह: क्या पुरस्कार-प्राप्त लोगों को एक स्क्वेयर के बदले में यह राशि लेनी ही पड़ेगी या क्या सरकार उसके बदले में अन्य भूमि लेने का विकल्प भी उनके सामने रखना चाहती है ?

सरदार मजीठिया: दुर्भाग्यवश, इन लोगों को देने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है और राज्यों में सर्वत्र भूमि की कमी की समस्या बनी हुई है अतः क्षतिपूर्ति के रूप में केवल यह धनराशि लेने का पर्याप ही इन लोगों के सामने है।

सरदार हुक्म सिंह: विलम्ब का कारण क्या है ? इन पुरस्कार-प्राप्त लोगों को यह निर्धारित राशि न मिलने के क्या कोई विशेष कारण हैं ?

सरदार मजीठिया: हां। इस के अभिलेख राज्य सरकारों के पास होते हैं और कई बार स्मरण देने पर भी पश्चिमी पंजाब की सरकार ने पुरस्कार-प्राप्त लोगों के बारे में हमें वास्तविक स्थिति नहीं बतलाई। अभी तक हमें कोई उत्तर नहीं मिला है और इसलिए विलम्ब हो रहा है।

सरदार हुक्म सिंह: इस विषय में पाकिस्तान सरकार को अन्तिम पत्र कब भेजा गया था और यदि इस पर भी विलम्ब जारी रहा, तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सरदार मजीठिया: मेरे पास निश्चित तारीख नहीं है किन्तु मुझे याद है कि हमने तीन या चार स्मरणपत्र भेजे हैं। उन्हें कार्यवाही के लिए विवश करने का अधिकार तो मेरे हाथ में नहीं है। हमें उनके साथ पत्रव्यवहार करते रहना चाहिये। उनसे अभिलेख प्राप्त होने के बाद ही हम कुछ कार्यवाही कर सकते हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

*२१९९. **श्री मुरारका**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९५३ तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा यद्यपि क्षेत्रीय कार्य के पांच प्रक्रम पूरे किये जा चुके थे, तथापि दिसम्बर, १९५३ तक केवल दो प्रक्रमों पर ही प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था, ; और

(ख) अन्य प्रक्रमों पर कब तक प्रतिवेदन प्रकाशित होने की आशा है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां।

(ख) तीसरे प्रक्रम पर सटिप्पणी सारणियां प्रेस में हैं और शीघ्र ही प्रकाशित होंगी। चौथे प्रक्रम का तालिकाकरण मई के अंत तक तथा प्रकाशन जून, १९५४ के अंत तक होने की आशा है। पांचवें तथा छंटवे प्रक्रमों में संकलित आंकड़ों के परिणामों को तालिकाबद्ध किया जा रहा है तथा इस वर्ष के अंत तक उनके प्रकाशित कर दिए जाने की आशा है।

श्री मुरारका: क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि जून, १९५१ के अंत तक के आंकड़े लोगों को मार्च, १९५४ तक उपलब्ध नहीं थे और अब भी उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री बी० आर० भगत: आंकड़ों के तालिकाकरण तथा विश्लेषण और उनके प्रकाशन में कुछ विलम्ब हुआ है। किन्तु इसका कारण यह था कि प्रारम्भ में हमारे पास मशीनों और कुशल कार्यकर्त्ताओं की कमी थी तथा तालिकाबद्ध सामग्री का विश्लेषण करने और प्रतिवेदन तैयार करने के लिए उच्च श्रेणी के विशेषज्ञों की संख्या भी अपर्याप्त थी। वे कमियां बराबर दूर की जा रही हैं। मैं यह भी बतला दूं कि इस काल में इंस्टीट्यूट को अन्य प्रतिवेदनों, जैसे करारोपण जांच आयोग, प्रेस आयोग आदि के, को भी ठीक करना पड़ा था। चूंकि इन प्रतिवेदनों की बहुत शीघ्र आवश्यकता थी इसलिए इन्हें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सामान्य प्रतिवेदनों की तुलना में वरीयता देनी पड़ी थी।

श्री मुरारका: क्या यह सच नहीं है कि इतने अधिक विलम्ब से तो संकलित आंकड़ों की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है—यदि वे लोगों को ३३ या ३६ मास बाद उपलब्ध हों ?

श्री बी० आर० भगत: माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गये दृष्टिकोण से मैं सहमत नहीं हूं, किन्तु मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सभी प्रक्रमों में प्राप्त परिणामों में से अधिकतर इस वर्ष प्रकाशित हो जायेंगे। तीसरा प्रक्रम शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। चौथा प्रक्रम के परिणाम जून १९५४ में प्रकाशित किए जायेंगे तथा पांचवें और छंटवें के इस वर्ष के मई और अगस्त तक प्रकाशित कर दिए जायेंगे। दूसरा सामान्य प्रतिवेदन भी हम इस वर्ष के अंत तक प्रकाशित करने जा रहे हैं। इस लिए चालू वर्ष के अंततक नवीनतम आंकड़ों सहित एक बहुत विस्तृत प्रतिवेदन तैयार हो जाएगा।

श्री बंसल: क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा निकाले गये निदानों का राष्ट्रीय आय एकक द्वारा किस प्रकार उपभोग किया जाता है ? क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण इस निदान पर पहुंचा है कि देश का खाद्यान्न उत्पादन अब तक के प्राक्कलनों की अपेक्षा वास्तव में २५ प्रतिशत अधिक था, और यदि हां, तो हमारी राष्ट्रीय आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ? और क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राष्ट्रीय आय एकक का सभापति एक ही है ?

श्री बी० आर० भगत: जी हां, दोनों का सभापति एक है। जहां तक कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों को राष्ट्रीय आय एकक द्वारा प्रयुक्त

किए जाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यह सूचना में लगभग दस दिन पूर्व एक प्रश्न का उत्तर देते हुए दे चुका हूं कि राष्ट्रीय आय एकक द्वारा इन आंकड़ों का बहुत कम प्रयोग किया गया था क्योंकि उसने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को इस सम्बन्ध में कोई निदेश नहीं दिया था कि किस प्रकार आंकड़े संकलित किए जायें इसलिए जहां तक कि निर्माण और उत्पादन के आंकड़ों का सम्बन्ध था, उनका प्रयोग किया गया, किन्तु उपभोग के तथा अन्य आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया गया । जहां तक खाद्यान्नों के २५ प्रतिशत अधिक उत्पादन का उसके द्वारा प्राक्कलित किए जाने का प्रश्न है, यह ठीक है । उसने उपभोग को भी २५ प्रतिशत अधिक प्राक्कलित कर लिया था ।

नाविक कल्याण निधि

*२२००. **श्री साधन गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नाविक कल्याण निधि का लक्ष्य क्या है ;

(ख) इसके व्यय का उत्तरदायित्व किस पर है ; और

(ग) क्या अधिकारी भी इस निधि को अपने लिए प्रयुक्त कर सकते हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) यह निधि नाविकों के सामान्य कल्याणार्थ है ।

(ख) कल्याण अधिकारियों के द्वारा जहाजों तथा संस्थापनों के कमान अधिकारी ।

(ग) जी नहीं ।

श्री साधन गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस निधि के लेखा परीक्षण की कोई व्यवस्था है और क्या इस का प्रयोग किन्हीं सुनिधारित नियमों के अनुसार किया जाता है ?

सरदार मजीठिया : जी हां, विस्तृत लेखा-परीक्षण किया जाता है । कमान अधिकारी द्वारा नियुक्त प्रति चौथे मास एक पदाधिकारी बोर्ड इन प्रश्नों को देखता है और रक्षा लेखा (नौसेना) नियंत्रक द्वारा इस निधि का वार्षिक लेखा-परीक्षण किया जाता है ।

श्री साधन गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि निधि का काफी भाग अधिकारियों द्वारा स्वयं अपने मनोरन्जन के लिए व्यय किया जाता है और नौसैनिक इस कल्याण निधि को उन कामों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते जिन के लिए इस की व्यवस्था की गई है ?

सरदार मजीठिया : मुख्य प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैं इसका उत्तर 'नहीं' मैं दे चुका हूं। यह केवल नौसैनिकों के लिए है तथा कोई भी अधिकारी किसी भी राशि लेने का अधिकार नहीं रखता ।

श्री साधन गुप्त : उनके अधिकार होने न होने का प्रश्न नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी क्या इसका इस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या नियमों के बावजूद अधिकारी वास्तव में इस का इस प्रकार उपयोग करते हैं ।

सरदार मजीठिया : जी नहीं, केवल विदेशियों के मनोरंजन की अनुमति है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बोर्ड में नाविकों के कोई

प्रतिनिधि हैं और गत वर्ष संसद सदस्यों द्वारा इस जहाज़ को देखे जाने के बाद से नाविकों को और क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गयी हैं ?

सरदार मजीठिया: निधि का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । अतिरिक्त सुविधाओं से मैं माननीय सदस्य का तात्पर्य नहीं समझा क्योंकि इस निधि से अनेक चीजें प्राप्त की जाती हैं । वे हैं पुस्तकालयों की किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, मनोरंजन कक्ष का सामान, गद्दियां, पर्दे इत्यादि, ग्रामोफोन के रिकार्ड और सुइयां, पिकनिक इत्यादि, ध्वनि रिकार्डिंग यंत्र, चालकों के भत्ते तथा अत्यन्त करुणास्पद तथा आवश्यक मामलों में नाविकों को ऋण ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रेटिंग वेलफेयर फंड में आज तक कितना संग्रह हुआ है तथा किन किन मदों पर यह फंड खर्च किया जाता है ? इस मद में कितना फंड आया जब कि सलाना जहाजों का समारोह बम्बई में हुआ था ?

सरदार मजीठिया: ये आंकड़े मेरे पास इस समय मौजूद नहीं हैं ?

पेंशन के दावे

*२२०१. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रक्षा मंत्रालय के पेंशन विभाग के सम्मुख सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों तथा उनके आश्रितों के विकलांगता तथा परिवार पेंशन के कितने दावे १ जनवरी, १९५४ को निलम्बित थे; और

(ख) सन् १९५३ में कितने मामले निर्णीत किए गये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) १,२८६ (पहले के प्रतिकूल निर्णयों के विरुद्ध की गयी अपीलों सहित) ।

(ख) ३,९९८ ।

सरदार हुक्म सिंह: निम्न पेंशन स्वीकृति प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध विचारार्थ कितने प्रतिनिधान इस विभाग को प्राप्त हुए ?

सरदार मजीठिया: ४७९ ।

सरदार हुक्म सिंह: अब जब कि पंजाब न्यायाधिकरण को निलम्बित मामलों को १५ जनवरी तक निर्णीत कर देने का निदेश दे दिया गया है और अग्रेतर अपील प्राप्त न करने को कहा गया है, क्या उक्त न्यायाधिकरण के वे मामले इस विभाग अथवा इससे सम्बन्धित किसी अन्य न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं ?

सरदार मजीठिया: कोई और न्यायाधिकरण नहीं नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि मामलों की संख्या कम हो गयी है। जैसा माननीय सदस्य देखेंगे, गत वर्ष ४,००० मामले निर्णीत किए गये थे और लगभग १,२०० शेष रहते हैं और पहली अप्रैल तक कुछ और भी निर्णीत कर दिए गये तथा अब लगभग ९०० शेष हैं। यह समझा जाता है कि इतना पर्याप्त कर्य नहीं है कि यह व्यय किया जाए ···

सरदार हुक्म सिंह: ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो कि इस न्यायाधिकरण को १५ जनवरी से अब तक प्राप्त होते और जो इस विभाग को प्राप्त हुए हैं ?

सरदार मजीठिया: यह मुझे नहीं मालूम कि कितने मामले इस पेंशन न्यायाधिकरण को प्राप्त हुए होते क्योंकि मैं मन की बात जानने का दावा नहीं करता ·····

सरदार हुक्म सिंह: वे अब तक इस विभाग को प्राप्त हो चुके होंगे। इस में मन की बात जानने का कोई सवाल नहीं; केवल तथ्य बताने की बात है।

सरदार मजीठिया: जहां तक इस विभाग का प्रश्न है, प्रश्न पेंशन अपीलीय न्यायाधिकरण से सम्बन्धित था। यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न इस सम्बन्ध में भेजें तो मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगा।

श्री एन० एल० जोशी: क्या मैं जान सकता हूं कि न्यायाधिकरण के पास निलम्बित सबसे पुराने मामलों को कितना अरसा हो चुका है ?

सरदार मजीठिया: इसके लिए मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है। जसा मैंने बतलाया, इस समय निलम्बित मामलों की संख्या इतनी कम है कि वे अधिक अरसे से पड़े हुए नहीं हो सकते।

पाकिस्तान दार्शनिक सम्मेलन

*२१९०. **श्री मुनिस्वामी**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक शिष्टमण्डल पाकिस्तान दार्शनिक सम्मेलन में, जो अप्रैल १९५४ के प्रथम सप्ताह में लाहौर में हुआ था, भाग लेने के लिये भेजा था; तथा

(ख) सम्मेलन में किन किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सम्मेलन ने भाग लेने वाले दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों की रुचि भी बहुत की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। निम्न विषयों पर भी चर्चा हुई थी (१) इतिहास का दार्शनिक निर्वचन; (२) मानव अधिकारों की विश्वव्यापी धारणा; तथा (३) विश्व विद्यालयीन शिक्षा में दर्शन का स्थान।

श्री दामोदर मेनन: श्रीमान्। क्या दार्शनिकों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की समस्या पर भी विचार विमर्श किया था ?

श्री एम० एम० दास: जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ था वे मैं पहिले ही बता चुका हूं।

पंडित डी० एन० तिवारी: इस शिष्ट मण्डल के सदस्य कौन कौन थे तथा उन पर कितना व्यय हुआ ?

डा० एम० एम० दास: दो सदस्य थे, प्रो० हुमायं कबीर, जो शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव तथा भारतीय दार्शनिक सम्मेलन, १९५४, के हाल में निर्वाचित हुये सभापति हैं, और 'टाटा इंस्टिटयूट आफ सोशल साइंसेस' के निर्देशक तथा भारतीय दार्शनिक कांग्रेस की कार्यकारिणी के भूतपूर्व सभापति, प्रो० ए० आर० वाडिया इन्हों ने बैठकों में भाग लिया था। इस संबंध में जो कुल व्यय हुआ है आशा है कि वह ८०० रु० से अधिक नहीं है।

श्री इब्राहीम: श्रीमान, श्री इस्लामुद्दीन ने मुझे प्रश्न संख्या २१९४ को पूछने का प्राधिकार दिया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या उन्हों ने प्राधिकार प्रस्तुत कर दिया है ?

श्री इब्राहीम: हां, श्रीमान।

पूर्निया की सीमा पर चौकियां

*२१९४. **श्री इब्राहीम**: (**श्री एम० इस्लामुद्दीन** की ओर से): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) पूर्निया (बिहार) की सीमा पर

चोरी से माल लाने व ले जाने को रोकने के लिए कितनी सीमा-चौकियां हैं तथा वे कहां कहां हैं ;

(ख) १९५२ तथा १९५३ में इन सीमाओं पर चोरी से माल लाने व ले जाने के कितने मामले पकड़े गये थे;

(ग) इन वर्षों में निरोधक सीमा चौकियों ने जो माल पकड़ा उसका मूल्य क्या था; तथा

(घ) प्राय: किन किन वस्तुओं को चोरी से लाया व ले जाया जाता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) पूर्निया सीमाओं पर तीन थल सीमा शुल्क केन्द्र हफ्तियागछ, देबीगंज तथा काटीहार रेलवे स्टेशनों पर स्थित हैं, तथा पांच चलते फिरते निरोधक दल हैं ।

(ख) १९५२ में ७२८ मामले तथा १९५३ में २६० मामले पकड़े गये थे ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रखी जायेगी।

(घ) पाकिस्तान सीमा पर पकड़ी गई प्रमुख वस्तुओं में, चोरी से ले जाई जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, बीड़ी तथा मुद्रा हैं, और लाई जाने वाली वस्तुओं में सुपारी तथा चांदी (जिसमें सिक्के तथा आभूषण सम्मिलित हैं) हैं । इस प्रकार नैपाल की सीमा पर नैपाली सिक्के चोरी से लाये जाते हैं ।

श्री इब्राहीम : पारपत्र प्रणाली के लागू होने के पश्चात चोरी से माल के लाने व ले जाने में वृद्धि हुई है या कमी ?

श्री ए० सी० गुहा: पारपत्र प्रणाली के लागू होने के अतिरिक्त, इसे रोकने के लिये हम बहुत सी कार्यवाहियां कर रहे हैं । यह बताना बहुत कठिन है कि चोरी से माल लाने व ले जाने में वृद्धि हुई है या कमी ।

श्री एस० सी० सामन्त: छिपा कर माल ले जाने वाले कितने व्यक्तियों को अपराधी सिद्ध किया गया है तथा किन किन सरकारों द्वारा ?

श्री ए० सी०गुहा : इस ओर अपराध अवश्य ही हमारी सरकार द्वारा सिद्ध किया गया होगा । मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं कि चोरी से माल लाने व ले जाने वाले कितने व्यक्तियों को अपराधी घोषित किया गया है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस तथ्य की दृष्टि से कि बहुत से मामले पकड़े नहीं जाते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका कारण यह है कि सीमा चौकियां थोडी हैं या यह है कि सीमा चौकियों के लोग कार्यकुशल नहीं हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, जहां कहीं भी बड़ी भूमि सीमा होती है, वहां चोरी से माल लाने व ले जाने को पूर्णरूप से रोकना बड़ा ही कठिन है । परन्तु मैं यह नहीं कह सकता हूं कि हमारी और अन्य स्थानों की अपेक्षा चोरी से माल लाना व ले जाना अधिक अमर्यादित है । परन्तु एक बात जिसका स्मरण मैं माननीय सदस्य को कराना चाहता हूं यह है कि अभी तक अधिकतर सीमायें अनिश्चित हैं और लोग प्राय: एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं और उनकी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था एक सी ही है । अत: सम्भव है कि इस ओर चोरी से माल लाने व ले जाने की अधिक अवधि हुई हैं ।

अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

*२१९२. **श्री गणपति राम** (**श्री शोभा राम** की ओर से) : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याण के लिये भारत सरकार ने जो सहायता अनुदान स्वीकृत किये थे उनमें से राज्य सरकारों ने कितना धन व्यय किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : १९५३-५४ के खाते अभी बंद नहीं हुये हैं। कुछ समय के बाद राज्य सरकारें अपने द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के संबंध में सूचना देने की स्थिति में होंगी। फिर भी, यह सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रखी जायेंगी।

श्री गणपति राम : क्या सरकार चाहती है कि हरिजनों के कल्याण के लिए भी इस तरह का कोई फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलग रक्खा जाना चाहिये ?

श्री दातार : अस्पृश्यता की समाप्ति के लिये निधि से अनुदान दिये जाते हैं। अतः इसके लिए कोई पृथक अनुदान निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गणपति राम खड़े हुए——

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। सूचना अभी सदन के समक्ष नहीं है। इसे आ जाने दीजिये, फिर माननीय सदस्य अपने प्रश्न कर सकते हैं।

प्रश्नों की अनुमति के सम्बन्ध में

श्री भागवत झा आजाद : मैं आपका ध्यान उस अनोखे ढंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो आजकल प्रश्नों का उत्तर देने के लिये अपनाया जाता है। जब हम प्रश्न भेजते हैं तो उन्हें यह देखने के पश्चात कि वे इस प्रयोजन के लिए निर्धारित २२ नियमों के अन्तर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, अस्वीकार कर दिया जाता है। साधारणतया यह ढंग अपनाया जाता है, परन्तु हाल में प्रथा यह रही है कि प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया जाता है और प्रश्न भेजने वाले सदस्य को उत्तर दे दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके संबंध में माननीय सदस्य को चाहिये कि वह मेरे कक्ष में मुझ से पूछें तथा उसका उत्तर प्राप्त करें। प्रश्नों की स्वीकृति या अस्वीकृति तथा सदस्यों को सूचना का विषय सर्वथा अध्यक्ष के अधिकार में है।

श्री गिडवानी : यह एक साधारण शिकायत है कि आजकल बहुत से प्रश्न अस्वीकार किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां विषय का स्पष्टीकरण करूंगा, परन्तु विस्तृत रूप में नहीं। न ही मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को संतुष्ट करने की आशा करता हूं जो प्रश्न भेजता है तथा देखता है कि प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया गया। नियमों में २२ मदों का जिनके अनुकूल प्रश्न स्वीकार्य होता है उल्लेख किया गया है। पहिले, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मदों की गणना व्यापक नहीं है, तथा प्रश्न को अस्वीकार करना, यदि वह इन २२ मदों में से किसी के भी अन्तर्गत न आता हो तो भी, अनेकों अन्य कारणों के आधार पर अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है। जिन कारणों से कोई प्रश्न अस्वीकार किया जाता है उनकी पूर्ण तथा व्यापक रूप से गणना

करना सम्भव नहीं है। यह इसका एक भाग है, अर्थात २२ मदों का निर्देश सहायक नहीं होता है ।

माननीय सदस्य देखेंगे कि बहुत से प्रश्न अस्वीकार कर दिये जाते हैं, क्योंकि उन से पुनरावृति होगी, अर्थात, किसी अन्य सदस्य द्वारा वही प्रश्न प्रस्तुत कर चुकने के पश्चात् उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है । कदाचित, अन्य सदस्य का प्रश्न अतारांकित प्रश्न के रूप में आ सकता है और उस स्थिति में, यह सदन में महत्वपूर्ण रूप में सदस्यों के समक्ष नहीं आता है और सदस्यों को विदित नहीं होता है कि प्रश्न की पुनरावृति हुई है । कभी कभी, प्रश्न को स्वीकार न करने तथा सदन का समय न लेने का यह कारण होता है कि विषय सर्वसाधारण के लिये पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं होता । ऐसे मामलों में, मैं ने जो प्रथा हाल में अपनाई है यह है कि यद्यपि प्रश्न अस्वीकार कर दिया जाता है तथापि यह उचित है कि, यदि सम्भव हो तो, सदस्य को उस विशेष प्रश्न के संबंध में सूचना प्राप्त हो जाये। इस प्रकार प्रश्न के अस्वीकार होने की सूचना दी जाती है और सदस्य को उसके प्रश्न के उत्तर में सूचना दी जाती है । इससे पहिले कि मैं इसे स्वीकार या अस्वीकार करने के प्रश्न पर विचार करूं, मैं सम्बन्धित मन्त्रालय से तथ्ययुक्त विवरण प्राप्त करता हूं। बहुत से विवरण, प्रत्यक्ष कारणों से, गोपनीय होते हैं तथा बताए नहीं जा सकते हैं। उनमें से कुछ रहस्यमय होते हैं तथा बताए नहीं जा सकते । परन्तु उनमें से उन विवरणों को बताने की, जिन के बारे में सदस्यों को बताया जा सकता है, अनुमति दी जाती है क्योंकि अस्वीकृति के लिए बहुत से अन्य कारणों से, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, प्रश्न के स्वीकार नहीं किए जाने पर भी, मैं समझता हूं कि सदस्य को प्रश्न पर सूचना दी जानी चाहिए। मेरा विचार है कि इस से स्थिति का स्पष्टीकरण होता है ।

श्री बोगावत: हमारे लिए यह उचित नहीं होगा कि हम इस उद्देश्य के लिये प्रतिबार अध्यक्ष के पास जायें । क्या हम इसकी बजाए सचिव के पास या प्रश्न शाखा में जाकर प्रश्नों के स्वीकार या अस्वीकार होने का निश्चित रूप से पता लगा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मेरे पास आने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है । निश्चय ही, मैं यह वचन नहीं देता कि मैं तुरन्त ही, जब वह आना चाहें या प्रति बार जब वह आना चाहें उन से भेंट न करूंगा। परन्तु मैं उनसे भेंट करने का भरसक प्रयत्न करूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सामाजिक शिक्षा

*२१८७. **श्री बी० एस० मूर्ति:** क्या शिक्षा मंत्री २५ मार्च १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी कोई गवेषणा हो रही है ; और यदि हो रही है तो किन विश्वविद्यालयों में; तथा

(ख) वर्ष १९५४-५५ के लिये इस प्रयोजनार्थ कितना रुपया नियत किया गया है?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां, दिल्ली स्थित केन्द्रीय शिक्षा संस्था में जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है ।

(ख) ९,८४७ रूपये ।

अनुसूचित जातियों का उद्धार

*२१९७. **श्री हेम राज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में अनुसूचित जातियों के उद्धार के लिये १९५४-५५ में कितना रुपया नियत किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ८·५० लाख रूपये । यह राशि अस्थाई रुप से नियत की गई है और सारी राज्य सरकारों से योजना का ब्योरा प्राप्त होने के बाद इस का अन्तिम निश्चय किया जायगा ।

अनुसूचित आदिमजातियों की जनगणना

४६६. **श्री वाई० एम० मुक्णे :**
श्री नटवाडकर :
श्री बी० के० पटेल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :

(क) क्या गत जनगणना के समय अनुसूचित आदिमजातियों के सम्बन्ध में उपजातिवार आंकड़े एकत्रित किये गये थे; तथा

(ख) क्या ये आंकड़े प्रकाशित हुये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : गत जनगणना में अनुसूचित आदिमजातियों के सम्बन्ध में उपजातिवार आंकड़े, अर्थात अलग अलग आदिमजातियों की जनसंख्या पश्चिमी बगांल, राजस्थान तथा विंध्य प्रदेश के राज्यों को छोड़ और किसी राज्य के बारे में सारिणीबद्ध नहीं किये गये थे। इन तीन राज्यों में यह आंकड़े राज्य सरकारों के कहने पर अलग अलग सारिणीबद्ध किये गये । अन्य राज्यों में अनुसूचित आदिमजातियों की कुल संख्या ही सारिणीबद्ध की गई थी।

(ख) प्रत्येक राज्य में अनुसूचित आदिमजातियों की सामूहिक संख्या भारत की जनगणना पत्र सं० ४, १९५३ "विशेष समूह" में प्रकाशित की गई है । ये आंकड़े राज्य जनगणना रिपोर्टों में जिलावार रुप में भी प्रकाशित किये गये हैं । पश्चिमी बंगाल के उपजातिवार आंकड़े राज्य सरकार द्वारा "बंगाल की जातियां तथा आदियजातियां" नामक प्रकाशन में प्रकाशित हुये हैं । राजस्थान तथा विंध्य प्रदेश के यह आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं ।

विधान परिषदों के मतदाता

४६७. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) संविधान के अनुच्छेद १७१ (३) (क) के अन्तर्गत पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में निर्वाचक मंडल में कुल कितने मतदाता हैं;

(ख) इन में से कितनों की निर्वाचक मंडल में रहने के लिये आवश्यक अर्हता समाप्त हो गई है; और

(ग) (१) पंजाब तथा (२) उत्तर प्रदेश में कितने म्यूनिसिपेल्टियों तथा अन्य स्थानीय निकायों के कितने सदस्य हैं जिन्हें संविधान के अन्तगत मत देने का अधिकार तो है परन्तु जिनकी, निर्वाचक नामावली में न रखे जाने के फलस्वरुप, मद देने के अधिकार से वंचित किया गया है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) पंजाब....१५१८

उत्तर प्रदेश....७३३०

(ख) तथा (ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भूतपूर्व सैनिकों का प्रशिक्षण

४६८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में पुनर्संस्थापन तथा नियोजन महानिदेशालय की राज्य संस्थाओं में कितने भूतपूर्व सैनिकों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया; तथा

(ख) प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें, विभिन्न दस्तकारियों के व्यवसायों में पुनर्संस्थापित होने के लिये, क्या कोई सहायता दी गई ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार भजोठिया) : (क) २१४

(ख) जब कि प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो राज्यों में जो नौकरी दिलाऊ दफ्तर होते हैं, वे उन्हें सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योगों में नौकरी प्राप्त करने में सहायता देते हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग

४६९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १९५३–५४ में संवरण द्वारा पदोन्नति करने के लिये विभागीय पदोन्नति समितियों की अध्यक्षता करने के लिये कितने मामलों में संघ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रतिनिधि भेजे ; तथा

(ख) कितने अधिकारियों के मामलों पर पदोन्नति के लिये इस प्रकार विचार किया गया ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख). १९५३–५४ में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधियों ने विभागीय पदोन्नति समितियों की ६६ बैठकों की अध्यक्षता की और ४७७९ अधिकारियों की पदोन्नति के मामलों पर विचार किया । इस के अतिरिक्त, १३२ अधिकारियों के मामलों पर पत्रव्यवहार द्वारा विचार किया गया ।

पाकिस्तानियों का भारत में अवैध प्रवेश

४७०. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४ में अब तक पाकिस्तान से कितने व्यक्ति पासपोर्ट लिए बिना अवैध रूप से भारत आये हैं; तथा

(ख) उन में से कितनों को वापिस पाकिस्तान भेज दिया गया और कितने भारत में रह गये ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रखी जायेगी ?

सत्यमेव जयते

सोमवार,
३ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४--१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
त्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना---	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें---	
मांग संख्या २६–वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७–सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८–संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९–निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०–अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१–स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२–अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३–लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४–मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५–टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७–वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८–वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९–राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०–संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१–असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२–विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५–भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८७
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९०
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय में संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८
सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

	पृष्ठ भाग
मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	३६१७–३६१८
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन	३६१७
वित्त विधेयक—असमाप्त	३६१८–३६८८
बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४	
राज्य परिषद् से सन्देश—	
शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य	३६९०
"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज	३६९०
वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत	३६९०–३७६२
बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४	
याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन	३७६३
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	३७६३–३७६४
वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३७६४–३८६८
शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९५४	
सदन का कार्य	३८६९–३८७०
सरकारी विधेयकों का क्रम	३८७०–३८७२
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३८७२–३८८४
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित	३८८४–३९०४
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३९०४
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९०५–३९२०
खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९२०–३९३०
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७–३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८–३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९५६–३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९७३–४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक––पारित ४०४०–४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव––असमाप्त ४०४२–४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र— ४०४५–४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६–४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक––पारित ४०५४–४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना ––

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२–४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९–४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक–– पारित ४१०५–४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक––पारित ४१०९–४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति––द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०–४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित करने के लिये प्रस्ताव–– असमाप्त ४१२२–४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक–– परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करनें का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३९१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३९१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १९ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०९

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४९६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ ४४९७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४९७–४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

लोक सभा

सोमवार, ३ मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-१० म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१-५२ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अधीन विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१-५२ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९५३ सदन-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये देखिये सं० एस-१३८/५४.]**

समवाय विधेयक—समाप्त

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सी० डी० देशमुख द्वारा २८ अप्रैल को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ होगी।

श्री यू० एम० त्रिवेदी ने पहली तिथि को एक औचित्य प्रश्न उठाया था कि समवाय विधेयक में अनुसूची १ के विवरण ख के उपबन्धों में कतिपय देनगियों की कोटियां विहित की गई हैं जो 'की गई सेवा के शुल्क' नहीं हैं, अतः विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

विधेयक को पुरःस्थापित करने के समय यह आक्षेप नहीं उठाया गया था परन्तु इस से वर्तमान आपत्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस प्रश्न पर विवेकपूर्ण और सूक्ष्म तर्क प्रस्तुत किये गये थे और सभानेत्री ने प्रश्न का निबटारा मुझ पर छोड़ दिया था।

मैं प्रत्येक तर्क को अलग अलग नहीं लूंगा, परन्तु सामान्य ढंग से इस का हल प्रस्तुत करूंगा।

औचित्य प्रश्न के समर्थकों ने मुख्यतः इस तर्क का आधार लिया है कि सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रशासन की विभिन्न मदें अथवा समवाय की पंजीबद्धता, जिस के सम्बन्ध में विवरण ख में शुल्कों का उपबन्ध है, सम्बन्धित समवाय के प्रति की गई सेवा नहीं है। पंजीबद्धता से पूर्व समवाय का अस्तित्व नहीं होता इसलिये कल्पना द्वारा नहीं कहा जा सकता कि वे शुल्क अस्तित्व के पूर्व ही समवाय की सेवा के शुल्क हैं। यह तर्क बुद्धिगम्य प्रतीत होता है परन्तु यह गलत है, जैसे कि यह तर्क दृढ़ता पूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है कि उपचारिका द्वारा बच्चे की सुरक्षित उत्पत्ति के लिए की गई माता की सेवा नवजात बच्चे की सेवा है। इसी प्रकार

[अध्यक्ष महोदय]

पंजीबद्धता के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि समवाय को वैध अस्तित्व प्रदान करने के लिए यह उस के प्रति एक सेवा है ।

समवाय निर्माण के सम्बन्ध में एक विस्तृत और सामान्य पहलू भी है । इस का प्रयोजन व्यापार तथा उद्योग को सुविधाएं देना है, जिन से लोग बड़े समवाय निर्माण कर सकें और साथ ही उन के दायित्व सीमित रहें । इस से सामान्य तथा राष्ट्रीय हितलाभ की भी संभावना होती है ।

इस आधार पर यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य उपक्रमों को आरम्भ करें और उन के संचालन की सुविधाएं दें जिस से अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके और छोटी मोटी बचतों में पूंजी लगायें जिन का प्रयोग राष्ट्रहित के लिए किया जा सके । इस विचार से संयुक्त स्टाक समवायों के निबन्धकों की प्रशासन व्यवस्था और उन के कार्यालय इत्यादि भी एक लाभ हैं । अतः यह उचित और न्यायसंगत है कि जिन्हें यह सुविधा मिलती है वे इस के व्यय में कुछ अंशदान करें । यदि राज्य द्वारा समवाय के निर्माण, विनियमन, निरीक्षण और नियंत्रण द्वारा सीमित उत्तरदायित्व और सुरक्षा का लाभ न हो तो शायद ही कोई राज्य के उपक्रमों अथवा गैर सरकारी उपक्रमों में अपनी पूंजी लगाये । इसलिये इस सम्बन्ध में उठाई गई विभिन्न बातों पर चर्चा की आवश्यकता नहीं रहती ।

यह सत्य है कि शुल्क की दरें कुछ मामलों में क्रमानुसार कम अधिक विहित की गई हैं और लगभग एक ही प्रकार की सेवाओं के लिए क्रमानुसार कम अधिक दरें ली जाती हैं : परन्तु पृथक् पृथक् मद की ओर ध्यान न दे कर उस मूल लाभ की ओर ध्यान देना चाहिये जो पंजीबद्ध समवाय को विधेयक के अधीन खर्चीली प्रशासन व्यवस्था द्वारा प्राप्त होता है । इस प्रकार जो लाभ प्रदान किया जाता है उस पर किये गये व्यय का एक अंश शुल्कों से पूरा किया जाता है । इसलिये जो समवाय अधिक अंशदान कर सकते हैं उन पर अधिक शुल्क लगाया गया है । वस्तुतः पंजीबद्धता के कार्य से बड़े समवायों को लाभ भी अधिक होता है ।

मेरे विचार में आवश्यक जांच यह होनी चाहिये कि क्या जो शुल्क लगाये गये हैं वे साधारण राजस्व के लिये हैं अथवा उन से किसी विशेष प्रशासनीय व्यवस्था का व्यय पूरा किया जाता है । विवरण ख से यह स्पष्ट पता चलता है कि ये शुल्क सामान्य राजस्व प्रयोजनों के लिये विहित नहीं किये गये । प्रत्येक शुल्क की मद के लिये निश्चित सेवा का उल्लेख है । इस प्रकार के कार्यों में प्रत्येक निश्चित सेवा पर निश्चित व्यय की गणना नहीं की जा सकती । उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में यह कहा गया है कि यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि सरकार द्वारा संग्रहीत किये गये शुल्क किसी विशेष सेवा पर किये गये व्यय के बराबर हैं ।

यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया था कि क्योंकि ये शुल्क संचित निधि में जमा किये जाते हैं इसलिये वे सामान्य राजस्व का अंग हैं । संचित निधि से अभिप्राय राजस्व और व्यय के लेखे जोखे की व्यवस्था से है इसलिये इस द्वारा यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि विशेष कर किस प्रकार का है । वह शुल्क है अथवा कर ?

विवरण ख में यह स्पष्ट उल्लेख होने पर कि ये शुल्क सामान्य राजस्व का साधन नहीं है, यह देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि इन के लेखे अलग रखे जाते हैं अथवा नहीं और इन राशियों को निश्चित व्यय के लिए रखा जाता है अथवा नहीं । इतना

ही पर्याप्त है कि संग्रहीत शुल्क किसी विशेष सेवा के लिए किये गये व्यय के लगभग बराबर हों ।

वाद-विवाद में वाणिज्य मंत्री ने सदन का ध्यान इस ओर दिलाया था कि सब मांगों में एक स्तंभ में की गई सेवाओं के लिए राजस्वों के रूप में प्राप्त किया गया राजस्व दिखाया गया है ।

अतएव मेरा यह मत है कि औचित्य प्रश्न नियमानुसार नहीं है और विधेयक तथा यह प्रस्ताव नियमानुसार प्रस्तुत किये गये हैं । इन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं ।

दूसरी बात यह कही गई थी कि इस विधेयक के अधिनियमित होने पर संचित निधि में से व्यय होगा अतः विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पारित नहीं किया जा सकता ।

इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री की ओर से एक पत्र सदन को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । उस में लिखा है कि "राष्ट्रपति को समवाय विधेयक के विषय की सूचना दी गई है और उन्हों ने लोक सभा से सिफारिश की है कि इस विधेयक पर चर्चा की जाये ।" इस प्रकार इस प्रश्न पर और चर्चा की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

अब इस प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ की जाये और यह ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक सदस्य पंद्रह मिनट में अपना भाषण समाप्त करे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्हों ने १९१३ के पश्चात् पुनःसमवाय विधियों का पहला विस्तृत प्रारूप प्रस्तुत किया है । उन्हों ने हमें यह भी कहा है कि चाहे हमारी विचारधारायें कुछ भी हों हमें उद्देश्य प्राप्ति के लिए इस में श्रेष्ठ अंशदान करना चाहिये । परन्तु, मुझे सन्देह है कि हमारे परामर्श का कोई आदर होगा ।

माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में संयुक्त स्टाक समवायों का केवल दूसरा दर्जा है । इस से पता चलता है कि सरकार की विचार धारा कैसी है । यह आयोजित अर्थ-व्यवस्था में हास्यास्पद है । उन्हों ने धनी वर्ग की बहुत सी बुराइयों का उल्लेख करते हुए कहा है कि हम इसे इस लिए सहन करते हैं क्योंकि हम इस के बदले अन्य वर्ग व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते । आयोजित अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में तो सरकार को यह चाहिये कि या वह सामाजिक और आर्थिक अर्थ-व्यवस्था में क्रान्ति का पथ प्रदर्शन करे या इस का सर्वथा विरोध करे । क्योंकि वह इस का पथ प्रदर्शन नहीं कर रही इस लिए वह निश्चय ही आर्थिक विकास में अड़चनें पैदा कर रही है ।

मैं इस बात से सहमत नहीं कि हम आज प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के स्थान पर और कोई प्रणाली स्थापित नहीं कर सकते । यदि आज ही हम सदन में कह दें कि १९५९ के पश्चात प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली समाप्त कर दी जायेगी तो उस का अन्त करने में कोई रुकावट नहीं आ सकती ।

प० मालविया से ले कर के० टी० शाह तक प्रायः सदा प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का विरोध होता रहा है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

प्रोफेसर के० टी० शाह ने अपनी पुस्तक—औद्योगिक वित्त पर राष्ट्रीय योजना समिति का प्रतिवेदन—में इन प्रबन्ध अभिकरणों के सम्बन्ध में कहा है कि ये आदिकाल से चले आते हुए पशु हैं जो सारा लाभ छीन लेने के

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

लिए उपक्रमों की वित्त सहायता करते हैं। और उन्हों ने कहा है कि श्रेष्ठि-चत्वरों द्वारा औद्योगिक वित्त की व्यवस्था लगभग एक प्रकार का जुआ है। उन्हों ने प्रबन्ध अभिकरणों को सर्वथा गंदी संस्थाएं बताया है और कहा है इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट कर देना चाहिये। आज देश में भारतीय और विदेशी एकाधिकारियों का गठ जोड़ हो गया है। यह गठ जोड़ हमारे देश के लिए भयानक है। और इस प्रकार हमारा आर्थिक स्वराज सर्वथा असंभव बनाया जा रहा है।

१९२७ में प्रशुल्क बोर्ड के सूती वस्त्र जांच प्रतिवेदन में लिखा है कि बम्बई की सूती मिलों के १९०५ से ले कर १९२५ तक २० वर्षों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं को प्रतिवर्ष चुकता पूंजी पर औसत ५·२ प्रतिशत कमीशन दिया गया। १९२७ में यद्यपि बम्बई की ७५ मिलों को कुल ७,३६,३०९ रुपये की हानि हुई किन्तु प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने कुल भत्ते और कमीशन के रूप में ३०,८७,४७७ रुपये प्राप्त किये। इस से विदेशी हितों के नियंत्रण की सीमा भी पता लग जाती है। इस के २५८ पृष्ठ पर लिखा है कि यद्यपि प्रबन्ध अभिकर्ताओं का केवल १२ प्रतिशत समवायों पर नियंत्रण था किन्तु उन का ३३ प्रतिशत मिलों, ३२ प्रतिशत तकुओं, ३० प्रतिशत करघों और ५३·३० प्रतिशत पूंजी पर नियंत्रण था। यह हाल तो हमारे उस उद्योग का है जो कि भारतीय पूंजी की प्रगति का मुख्य क्षेत्र है। इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के विरुद्ध सभी ने आवाज़ उठाई है।

मैं प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री अशोक मेहता द्वारा लिखी गई "हू ओन्स इंडिया" नामक पुस्तिका की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्हों ने लिखा है कि बम्बई के एक पूंजीपति जिन का मैं नाम नहीं लूंगा, ५५ समवायों के संचालक हैं। उस के बाद उन्हों ने पुस्तक के पृष्ठ ३५ पर लिखा है कि ३,७२८ संचालक पदों में से १,०३८ पदों पर ६१ संचालक काम कर रहे हैं। २० व्यक्ति ८०५ संचालक पदों पर कार्य कर रहे हैं इत्यादि। इस प्रकार २ प्रतिशत संचालकों का लगभग २२ प्रतिशत संचालक-पदों पर नियंत्रण है।

हम देखते हैं कि भारत में उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। लोगों के रहन-सहन में भी सुधार नहीं हुआ है। केवल एक बात हुई है और वह यह कि प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथों में अपार धन-राशि जमा हो गई है। बेचारे अंशधारियों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। बम्बई अंशधारी संघ ने १९४०-४७ की अवधि के लिये यह हिसाब लगाया है कि अहमदाबाद के कपड़ा मिलों ने ७०·५ प्रतिशत लाभ उठाया जबकि अंशधारियों को केवल ३१ प्रतिशत प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कलकत्ते की पटसन मिलों के शुद्ध लाभ का ५४·२ प्रतिशत प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथों में गया और केवल ४३·२ प्रतिशत अंशधारियों को मिला। यह तो इन प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के काले कारनामे हैं, बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया, टाटा आदि, ऐसी फर्में हैं जो ऐसे तरीकों से काम लेती हैं जिससे वित्तीय व्यवस्था उनकी इच्छा के अनुसार बनती रहे। यह फर्में पूंजी लगाने का तो केवल नाम करती हैं, वास्तव में, प्रबन्ध अभिकर्त्ता होने के नाते ये लाभ का अधिक भाग हड़प कर जाती हैं। "मिस्ट्री आफ बिड़ला हाउस" नामक पुस्तक में इन तरीकों को विस्तार में बताया गया है। यह फर्म किस ढंग से काम करती है यह स्पष्ट कर दिया गया है। यह तरीके कभी भी हमारे देश के हित में नहीं हो सकते हैं। किसी भी

देश की आर्थिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि लाभ को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। आयोजित अर्थ व्यवस्था में ही पूंजी लगाने का काम अधिक स्थायी होता है। अन्य प्रकार की अर्थ व्यवस्थाओं में एकाधिकारी हित सब बातें अपने लाभ के लिये बना लेते हैं। इससे अर्थ व्यवस्था सतुलित नहीं रहती। इस बात को दूर किया जाना चाहिये।

अब मैं औद्योगिक वित्त को लेता हूं। मेरे विचार में द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने से पूर्व सदन को उस पर पूरी तरह से विचार करने का अवसर दिया जायेगा। औद्योगिक वित्त के लिये इस बात की जरूरत है कि बैंकों में सुधार किया जाये, व्यापार, औद्योगिक नीति आदि में आमूल परिवर्तन हो। सरकार न केवल वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण रखे बल्कि उनकी कीमतों और वितरण पर भी। पूंजी के निर्गमन पर नियंत्रण होना चाहिये। विदेशी फर्मों की अनुचित प्रतिस्पर्धा बन्द होनी चाहिये। अधिक मात्रा में विदेशों में से आयात नहीं किया जाना चाहिये। करारोपण के सम्बन्ध में भी सरकार की वास्तविक नीति होनी चाहिये। "इस्टर्न इक्नामिस्ट" के ५ मार्च, १९५४ वाले अंक में १९३९ को आधार वर्ष मानते हुए यह बताया गया है कि १९५१ में पटसन औद्योगिक लाभ बढ़ कर ६७९·१; कपड़े में ५५१·१; चीनी में ४२०·८ हो गया। समस्त उद्योगों को मिला कर आंकड़े ३१०·५ हो गये थे। यह हैं औद्योगिक लाभ के आंकड़े। अब आप ही बताइये कि साधारण व्यक्ति के पास क्या बचा है जो वह आपकी योजनाओं में लगाये। सारा रुपया तो इन उद्योगपतियों ने खींच लिया है। आपको इन उद्योगपतियों की ओर से अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा यदि आप यह समझते हैं कि इन लोगों की सहायता के बिना देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती तो यह आपकी भूल है। यदि आप करारोपण की नीति में जरा सा परिवर्तन कर दें तो आपको धन की कमी न रहेगी। प्रो० के० टी० शाह के अनुसार, जैसा कि उन्होंने औद्योगिक वित्त नामक निबन्ध में लिखा था, हमें ३,४०० करोड़ रुपये उपलब्ध हो सकते हैं। कम से कम २,५०० करोड़ रुपये उपलब्ध हो जाने में तो कोई सन्देह ही नहीं है। 'ईस्टर्न इक्नामिस्ट' के अनुसार बैंकों का ही १,०५६·९६ करोड़ रुपया उपलब्ध हो सकता है। यदि आपके विचार में यह आंकड़े बहुत बढ़ा कर बताये गये हैं तो भी कम से कम एक तिहाई अर्थात् ३५० करोड़ रुपये तो, वास्तव में, मिल ही सकते हैं।

हमारे देश के उद्योगपति योजना लागू होने से पहले, अर्थात्, १९४७–१९५० की अवधि में प्रतिवर्ष ८० करोड़ रुपये के हिसाब से पूंजी लगा रहे थे, लेकिन योजना काल में यह घट कर २० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो गई है। इस प्रकार काम नहीं चलेगा। आपको निजी उद्योग को योजना के साथ साथ चलाना पड़ेगा। यह निश्चित कर दिया जाना चाहिये कि अधिक से अधिक ६ १/४प्रतिशत लाभ लिया जा सकता है। मैं यह नहीं कहता कि लाभ लिया ही न जाये। उसके लिये भी आप न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। सरकार को चाहिये कि वह औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दे। वस्तुओं की कीमतें कम से कम ३० प्रतिशत कम कर दे। मजदूरी बढ़ा दे। किसानों की बेदखली रोक दे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पूंजी प्राप्त करने में कोई कठिनाई न होगी।

मैं विधेयक के खण्ड ५५३ का स्वागत करता हूं क्योंकि उसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि विदेशी कम्पनियों को अपना संतुलन-पत्र प्रकाशित करना चाहिये। लेकिन साथ ही एक परादिक लगा दिया गया है जो कि मेरे विचार में निकाल दिया जाना चाहिये

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

यदि आप विदेशी कम्पनियों को इतनी छूट दे देते हैं तो इस खण्ड का लाभ ही क्या रहता है ? नवम्बर-दिसम्बर १९५३ के "कम्पनी-न्यूज़" में कुछ भारतीय पूंजीपतियों ने इस बात का घोर विरोध किया था कि बर्मा शेल और स्टैंडर्ड वैकुअम कम्पनियों के सम्बन्ध में भारतीय अंशधारी कुल पूंजी के २५ प्रतिशत से अधिक पूंजी नहीं लगा सकते हैं और ना ही वे मतदान दे सकते हैं। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसी शर्तों पर विदेशी पूंजी को आमंत्रण देना कहां तक ठीक है ?

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आपका दृष्टिकोण नहीं बदलता है तब तक इस प्रकार के विधेयकों से कोई लाभ न हो सकेगा। आप अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाइये और तब ही आप इस देश की आर्थिक दशा को सुधारने में सफल हो सकते हैं।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरी—दक्षिण) : मैं इस विधेयक का दो बातों के लिये स्वागत करता हूं—पहली तो यह कि इससे कुछ असमानताएं दूर होती हैं और दूसरी यह कि इससे साधारण व्यक्ति के साथ न्याय करने का प्रयास किया गया है।

प्रबन्ध अभिकरण पद्धति की निन्दा हर ओर से की गई है। कड़ी आलोचना किये जाने के पश्चात् भी मैं अनुभव करता हूं कि अभी वह समय नहीं आया है जब हम इस पद्धति का त्याग कर सकते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री साधन गुप्त ने कहा था कि क्योंकि हम अंग्रेजों के शासन में रह चुके हैं इसलिये हम उनकी पद्धतियों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यदि उनकी कोई बात अच्छी है तो उसे अपनाने में क्या आपत्ति है ? वास्तव में, हम किसी विशेष पद्धति को अपनाना नहीं चाहते। हम तो हर पद्धति को अपनाने के लिये तैयार हैं यदि वह हमारे दृष्टिकोण से ठीक है और उससे हमारे देश को लाभ होता है। रूसी या अंग्रेजी पद्धति का कोई प्रश्न नहीं है।

मैं स्वीकार करता हूं कि प्रबन्ध अभिकरण पद्धति ठीक नहीं है पर इसे हटाने में भी समय लगेगा। यही बात राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भी लागू होती है। निजी उद्योगों को आप एक दम से बन्द नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीयकरण के लिये हमें अपने आपको तैयार करना पड़ेगा।

इस विधेयक में साधारण व्यक्ति का भी ध्यान रखा गया है। साधारण व्यक्ति या तो अंशधारी होता है या वह रुपया जमा करने वाला होता है। दोनों ही तरह से उसके हितों का ध्यान रखा गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अनेक कम्पनियां ठप्प होती जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

इस कानन के अन्तर्गत केवल उच्च न्यायालय में कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है। कम्पनी कानून कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर विचार किया था। दुर्भाग्यवश, वह इस निश्चय पर पहुंची थी कि इस मामले के सम्बन्ध में जिला न्यायालयों का क्षेत्राधिकार हटा लिया जाये। यदि आप साधारण व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं तो उसे इन मामलों के सम्बन्ध में ज़िला न्यायालयों में कार्यवाही आरम्भ करने का भी अधिकार दीजिये। इससे उसको काफी लाभ होगा।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मान्यवर सभापति जी, आपने कृपा करके मुझे जो समय दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस बिल के सम्बन्ध में मुझे थोड़ी सी बातें कहनी हैं।

पहली बात तो यह है कि यह बिल बड़ा रूखा बिल है, इसमें सब लोगों को दिलचस्पी नहीं हो सकती। जिस वक्त कि पिछले सेशन के खत्म होने पर इस बिल की पोथी मेम्बरों को दी गयी, हमने घर पर जा कर इस बिल को स्टडी करने का विचार किया और आठ, दस दिन तक मैं उसको स्टडी करता रहा लेकिन इसके बाद मैं उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले सका। सिर्फ दो सवाल ऐसे थे जिन सवालों ने मुझे इस बिल के सम्बन्ध में और ज्यादा स्टडी करने के लिए लाचार किया और भाग्य से मुझे कम्पनी लॉ कमेटी की रिपोर्ट भी साथ में मिल गयी, उस रिपोर्ट को मैंने बड़े ध्यान से देखा और इसलिये मैं आपके सामने अपने विचार थोड़े में प्रस्तुत करता हूं।

मैंने आपसे कहा है कि दो सवाल ऐसे थे जिन्होंने मुझे इस बिल को स्टडी करने के लिये लाचार किया और उनमें से पहला सवाल यह था कि मैं इस बात को जान लूं कि सरकार ने हाल में जो बहुत सी प्राइवेट कम्पनियां पब्लिक सेक्टर में खड़ी की हुई हैं और जिनके ऊपर इस देश के गरीब आदमियों का करोड़ों रुपया लगाया गया है उन कम्पनियों के सम्बन्ध में जब जब इस हाउस में सवाल उठता है तो सरकार कह देती है कि यह प्राइवेट कम्पनियां हैं, उनके बारे में अभी जानकारी देना वाजिब नहीं है और समय आने पर उनके बारे में जानकारी दी जायगी। इस तरह से बात को टाल दिया जाता है तो मैं ने सोचा कि शायद इस बिल में उन कम्पनियों के सम्बन्ध में कोई विशेष बात का ब्यौरा हो जिससे कि यह बात जानी जा सके कि उनमें कितना रुपया लगा हुआ है, कितनी उनसे आमदनी होती है और कितना उनका खर्चा है ये बातें शायद इस बिल में आ सकती हों, इसलिये मैंने इस बिल को ध्यान से देखा लेकिन मुझे मालूम हुआ कि इस बिल की धारा ५७५ में सरकार ने अपनी कम्पनियों के सम्बन्ध में किसी बात को बताने का हक़ अपने लिये महफ़ूज़ रक्खा है और इस बात को कहा गया है कि इस बिल की जो अलग अलग धारायें हैं वह सरकारी कम्पनियों के ऊपर लागू हों या न हों, इस बात का निश्चय करना सरकार ने अपने हाथ में रक्खा है। मैं सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर साहबान से इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि वह इस धारा को इस तरह से रक्खें जिसमें सरकार इस बात के लिये लाचार हो कि वह इन कम्पनियों के बारे में इस हाउस को ज्यादा जानकारी दे सके, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस हाउस का हक़ है कि उन कम्पनियों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करे और यह बातें जाने कि सरकार उन कम्पनियों को किस तरह से चला रही है। मुझे इस बात का भान है कि शुरू शुरू में जो काम चलाये जाते हैं उनमें नुकसान होता है, तरह तरह की हानियां होती हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके सम्बन्ध में सब बातें खूब अच्छी तरह से जान बूझ कर रक्खी जाएं, अगर सरकार ने ऐसा किया तो इसका नतीजा सिरफ़ यह होगा कि लोग उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे और सरकार के क्रेडिट को इससे नुक़सान पहुंचेगा।

दूसरी बात जिसने मुझे इस बिल के सम्बन्ध में स्टडी करने के लिये लाचार किया वह फारेन कम्पनियों का मामला है। इस देश के आदमी और इस सभा के बहुत से मेम्बर साहबान इस देश में विदेशी कम्पनियों का जो जाल बिछा हुआ है उनमें इस देश के रहने वालों की काफी पूंजी लगी हुई है, यहां से अपने फ़ायदे का करोड़ों रुपया हर साल ले जाती है, उसके सम्बन्ध में इस देश के हर एक विचारशील आदमी को जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है और उस दृष्टि से यह एक बड़ा भारी सवाल है और उसी सवाल ने मुझे इस बात के लिये लाचार किया कि मैं उनके

[श्री के० सी० सोधिया]

सम्बन्ध में इस बिल में कौन कौन सी बातें हैं उनको ज़रा देखूं। मुझे इस सम्बन्ध में बड़ी भारी मायूसी हुई जबकि मैंने इस बात को देखा कि सरकार ने उन फ़ारेन कम्पनियों को वह तमाम रिआयतें दे रक्खी हैं जिन रिआयतों की मुस्तहक़ इस देश की कम्पनियां नहीं हैं। मैं सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर साहबान से दरख्वास्त करूंगा कि फारेन कम्पनियों की रिआयतों के सम्बन्ध में इस बिल में जो जो बातें दी गयी हैं उन बातों के ऊपर वह ज़रा गौर फरमायें और अगर हो सके तो उन रिआयतों को इस देश की कम्पनियां जिन्होंने इस देश की सेवाएं बहुत दिनों से की हैं उनसे ज्यादा रिआयतें उन विदेशी कम्पनियों द्वारा उपभोग करने का मैं कोई ज्यादा सबब नहीं देखता हूं। इसलिये मेरी राय में अगर सेलेक्ट कमेटी के साहबान उन धाराओं को जो ५५० से ५६८ तक चली गयी हैं उनके बारे में विचार करें और उनको कम करने की बात सोचें तो अच्छा होगा।

तीसरी बात मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम के सम्बन्ध में है और मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम के सम्बन्ध में मैंने काफ़ी विचार किया तो मुझे मालूम हुआ कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का हव्वा जब तक हमारे सामने है तब तक मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम से हम बच नहीं सकते, क्योंकि इस देश में इंडस्ट्रीज़ को चलाने का और साधारण आदमियों से पूंजी एकत्र करके उसे इन्डस्ट्रीज़ में लगाने का बहुत कम लोगों को अनुभव है और जिन लोगों को अनुभव है वह उससे काफ़ी लाभ उठाते हैं लेकिन तो भी मेरी समझ में जब कम्पनी शुरू हो या न हो उसे फ़ायदा होता हो या न होता हो लेकिन ५० हज़ार रुपया सालाना उसके सिर पर मैनेजिंग एजेंट का शुल्क रख देना यह गैर-वाजिब है, इसलिये जब तक फ़ायदा न हो तब तक मैनेजिंग एजेंट को इतनी भारी फ़ीस का दिया जाना मैं किसी तरह भी मंजूर नहीं कर सकता।

चौथी बात यह है कि इस मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम के सम्बन्ध में यह जो पहली टर्म पन्द्रह वर्ष के लिये होना है और फिर १०, १० साल के लिये मैनेजिंग एजेंट का टर्म एक्सटेंड होना है, इस तरह का कंट्रैक्ट होना गैर वाजिब बात है। इसके पक्ष में यह दलील दी जाती है कि पन्द्रह वर्ष का ठेका उनको इसलिये दिया जाता है क्योंकि शायद बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हो सकती हैं जिनमें पन्द्रह वर्ष से पहले फ़ायदा न दिखाई दे, सम्भव है कि कम्पनियां पन्द्रह वर्ष के पहले फ़ायदा न उठायें, तो इसमें मैनेजिंग एजेंट्स लोग क्या करेंगे और उनको कैसे फ़ायदा हो सकेगा, इसलिये पन्द्रह साल का ठेका देना वाजिब माना गया है और फिर बाद में दस, दस साल के लिये एक्सटेंशन रक्खा गया है, मैं समझता हूं कि यह समय कम किया जाना चाहिये और मैं इसके सम्बन्ध में भी आपसे ग़ौर करने के लिये निवेदन करूंगा।

इसके सिवा रिज़ोल्यूशन के बारे में यह दावा किया गया है कि पहले की अपेक्षा शेयर होल्डर्स की अब काफ़ी वक़अत कम्पनी के मैनेजमेंट में हो सकेगी, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। इसलिये नहीं मानता हूं कि पचहत्तर परसेंट से ज्यादा होने पर स्पेशल रिज़ोल्यूशन पास किया जा सकेगा। अब स्पेशल रिज़ोल्यूशन जो है जिसके मुताबिक मैनेजिंग एजेंट को हटाया जा सके या जो और दूसरी कम्पनियों में जो मैनेज करते हैं उसमें इस खास कम्पनी का पैसा लगा सकें सिर्फ़ ७५ फ़ीसदी शेयर होल्डर्स की राय आने पर, यह गैर वाजिब है, इसको ८० या ९० परसेंट तक ले जाना और उसी की स्ट्रेंथ पर स्पेशल रिज़ोल्यूशन का पास होना यह मुझे वाजिब समझ में नहीं आता है, इसलिये इस सम्बन्ध

में भी मैं प्रवर समिति से आग्रह करूंगा कि वह इसको देखें।

मैनेजिंग एजेंट्स लोग या डाइरेक्टर लोग अपनी जिन कार्रवाइयों के कारण इतने बदनाम हैं कि इस बिल के ऐक्ट बन जाने के बाद वह इसके मुताबिक कुछ कम कर सकेंगे या नहीं, इस बात का दावा न तो इस बिल के सम्बन्ध में जांच करने वाली कम्पनी ला कमेटी ने ही किया है और न हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ही इस बारे में कुछ इतमीनान के साथ कह सकते हैं। यह बात जरूर है कि जब तक प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हम इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करना चाहते हैं, तब तक यह एक ऐसा कड़ुवा घूंट है जिसे हमें अपने गले के नीचे उतारना ही पड़ेगा। लेकिन तो भी नैशनालाइजेशन के लिये हम आज तैयार नहीं हैं और वर्षों तैयार नहीं हो सकेंगे, इस बात का प्रत्यक्ष सबूत यह है कि जिन उद्योगों को सरकार ने अपने हाथ में लिया है, उनका इन्तजाम बहुत बुरी तरह से किया जा रहा है, इसलिये नैशनलाइजेशन की बात सोचना अभी बेकार है।

मान्यवर सभापति महोदय, यह बातें हैं जिनकी तरफ मैं प्रवर समिति का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि भले ही प्रवर समिति उनमें कुछ थोड़ा बहुत सुधार कर सके, लेकिन यह बिल जैसा है, अधिकतर वैसा ही पास होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर का भूत हमारे सिर पर सवार हुआ है उससे छुटकारा पाना नितान्त दुर्लभ मालूम होता है। आज प्राइवेट सेक्टर वाले लोग इस बात को कहते हैं, बड़े बड़े मैनेजिंग एजेंसी हाउसेज और पूंजीपति लोग इस बात का दावा करते हैं कि वह इस देश के आदमियों की पूंजी को अपने उद्योगों में लगाते हैं और इस प्रकार से वह देश की उन्नति कर सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में यह आता है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन, डेवेलपमेंट कारपोरेशन और नहीं मालूम कितने कारपोरेशन हमारी सरकार खोलती जा रही है और उनमें से वह उद्योगपति मनमाना धन अपने उद्योगों के लिये ले रहे हैं तथा उनका इस बात का दावा कि वह लोगों से पूंजी एकत्र करते हैं बहुत कमजोर होता जा रहा है। इस लिये जब वह लोग अपने काम को, जो कि पूंजी एकत्र करने का वह पहले किया करते थे, आज करने में समर्थ नहीं रहे हैं तो कोई वजह नहीं दिखती है कि उनको इतने बड़े बड़े मुनाफे कानून के जरिये से दिलाये जायें। इसलिये, मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में प्रवर समिति को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इन चन्द विचारों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : इस विधेयक के प्रस्तुत करने पर मैं सरकार को बधाई देता हूं। मेरा यह मत है कि हमारी वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को हटाना सम्भव नहीं है।

सबसे पहले मैं विधेयक के प्रारूप की चर्चा करूंगा। परिभाषा खंड के अन्तर्गत, "व्यापार निगम" शब्दों को, जिनका समवाय विधि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, परिभाषित नहीं किया गया है। स्वयं संविधान में इसकी परिभाषा नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि इन शब्दों की स्पष्ट रूप से परिभाषा दी जाय।

कम्पनियों और संघों के बनाने पर जो पाबन्दी लगाई गई है वह केवल नकारात्मक प्रकार की है। केवल यह कह देना काफ़ी नहीं है कि इतने व्यक्ति मिल कर कोई कम्पनी या संघ नहीं बना सकते; आवश्यकता इस बात की घोषणा करने की है कि इस प्रकार से

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

किसी कम्पनी का बनाया जाना अवैध होगा, उसके द्वारा किये गये सारे सौदे अवैध होंगे और वह किसी से कोई ठेका या समझौता नहीं कर सकती। भागिता अधिनियम में हमारे यहां इस तरह के कुछ उपबन्ध हैं। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में भी ऐसे ही कुछ उपबन्ध किये जायें।

जहां तक कम्पनियों के ज्ञापनों का प्रश्न है, इनमें यह दिया होता है कि कितना रुपया उधार लिया जा सकता है, कितना दिया जा सकता है, कितनी ज़मीन खरीदी और बेची जा सकती है आदि। इन सब बातों की बहुत अच्छी तरह जांच होनी चाहिये क्योंकि इन्हीं के कारण कम्पनियां कठिनाई में पड़ जाती हैं। इसलिये ज्ञापन में जो जो बातें दी गई हों, उन पर निगरानी रखने के लिये पूरी पूरी व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं देखता हूं कि 'सीमित' (लिमिटेड) शब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में हम उसी पुराने अंग्रेज़ी क़ानून का अनुसरण कर रहे हैं। मैं इस कानून में खंड २१ के उपबन्धों को रहने देना उचित नहीं समझता। यह उपबन्ध क्यों किया गया है कि धर्मार्थ संस्थाओं के सम्बन्ध में सरकार को 'सीमित' शब्द हटाने का अधिकार होगा मैं पूछता हूं इसको रखने में क्या गलती है और इसको रखने में क्या नुकसान है? मैं प्रवर समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय पर अच्छी तरह से विचार करे और इस खंड में आवश्यक परिवर्तन करे।

कम्पनियों के मुख्य कार्यालय और रजिस्टर्ड कार्यालय के अलग अलग स्थानों पर होने से भी काफ़ी गड़बड़ होती रही है। मैं चाहता हूं कि विधेयक में इस बात का स्पष्ट रूप से उपबन्ध होना चाहिये कि किसी कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय उसके मुख्य कार्यालय से अलग नहीं हो। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति ऐसा अवश्य करेगी।

बैंकिंग समवाय विधेयक पर चर्चा करते समय हमने इसमें यह व्यवस्था की थी कि यदि किसी बैंकिंग समवाय का संचालक, सचिव या अधिकारी कोई गलत काम करेगा तो उसे इसकी भारी सज़ा मिलेगी। मुझे याद है कि इस पर काफ़ी लम्बी बहस हुई थी और हमने इन गलतियों को हस्तक्षेप्य अपराध घोषित किया था। परन्तु हमने कम्पनियों के बारे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं नहीं जानता कि जब बैंकिंग समवाय के संचालक या अधिकारियों को इन अपराधों के लिये दंड दिया जा सकता है तो फिर एक कम्पनी के संचालक या अधिकारी को क्यों छोड़ा जा रहा है। उसे भी उसकी गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिये और उसके साथ भी बैंकिंग समवायों के अधिकारियों जैसा व्यवहार होना चाहिये।

जहां तक प्रबन्ध अधिकरण पद्धति का सम्बन्ध है मैं देखता हूं कि प्रबन्ध अभिकर्ता को एक सीमित अवधि से अधिक लाभ न उठाने देने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु इसमें एक बात को भुला दिया जाता है। प्रबन्ध अभिकरण, किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की मेहनत के कारण स्थापित होता है और कम्पनी के साथ उसके वैयक्तिक सम्बन्ध होते हैं। परन्तु व्यवहार में प्रबन्ध अभिकर्त्ता के साथ उसके उत्तराधिकारी और नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी शामिल किये जाते हैं। मैं नहीं जानता कि जब इस विशेष उपबन्ध को फिर से तैयार किया जा रहा है तो नाम-निर्देशन की बात क्यों मानी जा रही है। प्रबन्ध अभिकर्त्ता कम्पनी के आरम्भ होते समय कुछ परिश्रम और सेवा करता

और इसी कारण उसका कम्पनी से कुछ निजी सम्बन्ध होता है। परन्तु दूसरे व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करने से स्थिति में अन्तर हो जाता है। यदि उसे स्वयं किसी कारण सेवा करने में कोई कठिनाई हो और वह सेवा न कर पाये तो फिर इस नामनिर्देशन के प्रश्न को रखना ही नहीं चाहिये। विधेयक में इसके लिये उचित उपबन्ध होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि प्रबन्ध अभिकरण पद्धति की जांच करते समय प्रवर समिति इसके द्वारा अहमदाबाद जैसे स्थानों में किये गये अच्छे कार्यों पर अवश्य ध्यान देगी और अहमदाबाद मिल मालिक संघ द्वारा प्रकट किये गये विचारों को दृष्टि में रख कर इस विषय पर फ़ैसला करेगी।

श्री देवेश्वर शर्मा (गोलाघाट-जोरहाट): इस विधेयक में कम्पनियों को स्थापित करने, उनका प्रबन्ध करने तथा उन्हें समाप्त करने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। एक बात जो इसमें छोड़ दी गई है वह है कम्पनियों का हस्तान्तरण। हमारी तरफ़ कम्पनियों का पूर्ण रूप से हस्तान्तरण हो जाता है जिसके फलस्वरूप इन कम्पनियों में मज़दूरों के पसीने से जमा की गई रक्षित निधि या अवक्षयण निधि खरीदने वाली कम्पनी के हाथ में चली जाती है और वह कम्पनी मज़दूरों को परेशान करती है। इस प्रकार मज़दूरों को बड़ी कठिनाई होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह प्रवर समिति में इस बात का ध्यान रखें कि कम्पनी के हितों के साथ साथ मज़दूरों के हितों को रक्षित करने की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये ताकि हस्तान्तरण के समय इन लोगों को कोई नुक़सान नहीं पहुंचे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे जो कम्पनियां विदेशियों की हों या जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड हों उनमें कम से कम एक संचालक भारतीय हो। अमरीका और स्विटज़रलैण्ड में इस प्रकार की व्यवस्था है। समवाय विधि समिति ने इस विषय पर विचार किया था परन्तु चूंकि यह विषय राज्य की उच्च नीति से सम्बन्धित है, इसलिये उसने उस पर कोई फ़ैसला नहीं किया। मैं नहीं जानता कि हम अपने यहां इस तरह का उपबन्ध क्यों नहीं रख सकते। यद्यपि भारतीय संचालक की विदेशी कम्पनी की नीति के बारे में कोई ज़ोरदार आवाज़ नहीं होगी, परन्तु फिर भी उसे यह सब पता रहेगा कि कम्पनी में क्या किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति विधेयक में इस आशय का उपबन्ध करेगी।

मैं तीसरी बात प्रबन्ध अभिकरण पद्धति के बारे में कहूंगा। इस प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की है। यह पद्धति केवल भारत में ही प्रचलित है, अन्य किसी सभ्य देश में नहीं। तटकर परिषद् की विभिन्न रिपोर्टों में इस पद्धति की आलोचना ही की गई है। जब अन्य औद्योगिक एवं प्रगतिशील देशों में इस पद्धति का अनसरण नहीं किया जा रहा है और वे बिना इस पद्धति का प्रयोग किये बहुत अच्छी तरह अपना काम चला रहे हैं तो फिर यहां भारत में उसको जारी रखने का क्या कारण है? कहा जाता है कि भारत में अभी पूंजी बाजार का विकास नहीं हो पाया है। परन्तु जब तक आप प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को खत्म नहीं करेंगे तब तक पूंजी बाज़ार कैसे बन सकेगा? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूं कि प्रवर समिति पूरी गम्भीरता के साथ इस पर विचार करेगी और धारा ३११ में इस प्रकार संशोधन करेगी जिससे १५ अगस्त, १९६४ तक भारत में प्रबन्ध अभिकरण पद्धति खत्म हो जाये।

अन्त में मैं नियन्त्रण के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। इस विषय में हम में बहुत से सदस्यों

[श्री देवेश्वर सर्मा]

में मतभेद है। जब हम किसी निगम के बारे में सोचते हैं तो एक दम दामोदर घाटी निगम के मामलों की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। यही नहीं है कि दामोदर घाटी निगम में करोड़ों रुपये का गोलमाल हुआ है परन्तु अभी हाल में जब प्राक्कलन समिति के दो सदस्य वहां कार्य देखने गये थे तो उनके साथ सामान्य शिष्टता से भी व्यवहार नहीं किया गया था। जब हम करोड़ों रुपये के दुरुपयोग की बात उठाते हैं तो उसकी जांच के लिये समितियां बना दी जाती हैं और फिर मामले को दबा देने का प्रयत्न होने लगता है। अभी कुछ दिन हुए केन्द्रीय चाय परिषद् अधिनियम पारित हुआ था और सरकार ने कुछ सदस्य नामनिर्देशित किये थे। इन सदस्यों की योग्यताओं को देखने से पता चलता था कि उन्हें इस विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि यदि निरीक्षण का कोई प्रबन्ध करना है तो फिर सरकार की ओर से ही निरीक्षण व्यवस्था होनी चाहिये। इस दशा में संसद का भी अधिक नियंत्रण हो सकेगा।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में बहुत वाद विवाद हो चुका है; मैं उनको नहीं दुहराऊंगा। हिस्सेदारों के हितों के संरक्षणार्थ संतुलन पत्र में यथासम्भव लेखा का रहस्योद्घाटन करने का आश्वासन माननीय मंत्री ने दे दिया है।

समाप्त करने की प्रक्रिया कठिन है और इसमें विलम्ब के कारण परिसमापक लोग हिस्सेदारों का धन खा जाते हैं। ये परिसमापक बड़े चालाक होते हैं, और प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के साथ मिल कर, उन्हें व्यक्तिगत लाभ पहुंचा कर, अपने लिये बहुत भारी शुल्क प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यदि हिस्सेदारों को रुपये में से आठ आने मिलने की सम्भावना होती है, तो वे केवल एक आना ही प्राप्त कर सकते हैं। शेष धन लम्बी कार्यवाही और परिसमापकों की फीस में खर्च हो जाता है।

समवाय विधि समिति ने यह अच्छा सुझाव रखा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को एक परिसमापक नियुक्त करना चाहिये, किन्तु उसमें यह उपबन्ध नहीं है कि परिसमापक को अतिशीघ्र कार्यवाही समाप्त करनी चाहिये। प्रवर समिति को इस बात पर विचार करना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

'प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का सहायक' और 'प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का प्रतिद्वन्द्वात्मक व्यापार' इनके बारे में प्रबन्ध अभिकर्ता कहते हैं कि जिन समवायों में ये प्रतिबन्ध रहेंगे, वहां पर्याप्त धन नहीं आ सकता और समस्त प्रशासन सरलता से नहीं चल सकता। इस मामले पर प्रवर समिति को ध्यान देना चाहिये। श्री कृष्णमाचारी ने प्रबन्ध अभिकरणों को कुछ समय तक जारी रखने की बात की स्वीकृति कर ली है।

इसके विषय में केन्द्रीय सरकार को इतने अधिकार दे दिये गये हैं। किन्तु इस का क्या भरोसा है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी समवाय के मामलों में उलझ कर गलतियां नहीं करेंगे और समवायों के कार्य को सरलतापूर्वक चलने में बाधा नहीं डालेंगे। प्रवर समिति को इस बात पर भी विचार करना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं विधेयक के संशोधनों का समर्थन करता हूं। मैं एक उदाहरण दूंगा। दिल्ली में भारतीय संघ वित्त निगम, जो एक पंजीबद्ध संस्था है, लोगों को सूद पर धन देने का काम करता है। यह ऋण देने से पहले १० रुपये शुल्क के रूप में मांगती है, और फिर किसी न किसी बहाने

से ऋण देना अस्वीकार कर देती है। इस प्रकार यह निगम लोगों को धोखा देता है और हैरान करता है। राजधानी में इस प्रकार लोगों को धोखा देने वाले समवायों की वित्त मंत्री और प्रवर समिति को जांच करनी चाहिये, और इन्हें इस प्रकार का व्यापार करने से रोकने के दूसरे उपाय ढूंढने चाहियें।

मैं एक सुझाव दूंगा कि क्या विधि द्वारा एक रक्षित निधि निर्माण की जा सकती है, जिसमें प्रत्येक समवाय धन जमा करवाये, जिससे देश के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली धनाभाव की समस्या हल हो सके।

श्री सी० डी० देशमुख : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के भाषण के कारण मेरा काम हलका हो गया है। सफलता या विफलता का प्रभाव उन पर पड़ेगा, इसलिये जो बातें उन्होंने कही हैं, उन सब बातों पर प्रवर समिति को पूरा ध्यान देना चाहिये। पुदुकोटै सदस्य श्री वल्लाथरास ने शिकायत की है कि रिपोर्ट का पर्याप्त प्रचार नहीं होता और यह भी कहा है कि जिस विधेयक पर विचार किया जा रहा है, उस में अब सन्निहित प्रस्तावों पर व्यक्त किये गये विचारों से सदस्यों को सूचित नहीं किया गया है।

उन्होंने शिकायत की है कि प्रतिवेदन का काफी प्रचार नहीं हुआ है तथा यह कहा है कि इस विचाराधीन विधेयक में रखी गई प्रस्थापनाओं के विषय में व्यक्त किए गए विचार सदस्यों को उपलब्ध नहीं किए गए हैं। सदन के सामने प्रत्येक प्रकार की सामग्री का रखना हमारा सामान्य व्यवहार नहीं है। विशेषज्ञ समिति के सामने दिए साक्ष्य सम्बन्धी ग्रन्थ सदस्यों को मिल सकते हैं। प्रत्येक अवस्था में मैंने अपने भाषण में उन विभिन्न क्रमों का वर्णन कर दिया था जिनमें से इस मामले पर वर्तमान विधेयक के संसद् में पुरः स्थापित होने से पहले विचार हो चुका था। वस्तुतः उन सैकड़ों दस्तावेज आदि का उपलब्ध करना सम्भव नहीं था जिनकी समय समय पर समवाय विधि समिति अथवा सरकार ने जांच पड़ताल की थी। अस्तु, माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं इतना कह दूं कि १९४९ में एक प्रेस टिप्पणी जिसके साथ एक स्मृति पत्र था, प्रकाशित किया गया था तथा उसमें उस समय के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारतीय समवाय अधिनियम के पुनरावर्तन के निमित्त राय जानने के लिए परिचालित मुख्य प्रस्थापनाओं का वर्णन था। उस स्मृतिपत्र की प्रतियां उन सब व्यक्तियों को निस्संकोच भाव से भेजी गई थीं जिन्होंने इसकी मांग की थी। जब मार्च, १९५२ में समवाय विधि समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी थी तो बाद में शीघ्र ही जारी की गई प्रेस टिप्पणी में फिर काफ़ी प्रचार किया गया था। उस टिप्पणी में उस समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त उल्लेख था। सदा की भांति इस प्रतिवेदन की प्रतियां प्रेस में बांटी गई थीं तथा वे समस्त सरकारी पुस्तक-भडारों और सरकारी प्रकाशनों के एजेंटों के यहां उपलब्ध की गई थीं, उस समय राज्य सरकारों, व्यापार मण्डलों तथा व्यापार संघों से समवाय विधि समिति के प्रतिवेदन पर विशेषतः राय पूछी गई थी। इसके अतिरिक्त इन दस्तावेजों की प्रतियां माननीय सदस्यों के प्रयोगार्थ संसद् के पुस्तकालय में रखी गई हैं। अतः सदन इस बात से सहमत होगा कि हमने समिति की सिफारिशों का विस्तृत प्रचार करने के लिये सभी व्यवहारिक उपाय किए हैं। स्वयं यह विधेयक भारत के सूचना पत्र में प्रकाशित किया गया था। मेरा यह ईमानदारी से विश्वास है कि इस कार्य की जटिलता को सामने रखते हुए हम इस पर जनता के—जिसके नाम से कि माननीय सदस्य बोल रहे थे—अधिक विचार प्राप्त नहीं कर सकते थे। प्रत्येक अवस्था में कोई और सदस्य स्पष्टतः उसके विचारों से सहमत नहीं हुए हैं। अतएव

[श्री सी० डी० देशमुख]

मेरा यह विचार नहीं है कि अब इस विधेयक के परिचालन से अधिक समय को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। किसी और सारभूत कारणों से भी ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह है कि आज की चर्चा का विषय क्या है? प्रस्ताव विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का है जिसका अर्थ यह है कि सदन से यह पूछा जा रहा है कि क्या वह इस विधेयक के सिद्धांतों का अनुमोदन करता है? विधेयक का सर्वव्यापक सिद्धान्त यह है कि वर्तमान समवाय विधि में संशोधन की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय देते समय आधुनिक प्रकार की समवाय विधि की आवश्यकता के सम्बन्ध में कुछ ज्वलन्त विचार प्रकट किए थे। इस स्थिति के कारण जहां तक इस विशेष प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई विवाद नहीं है। अतएव माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट किए गए विचार ऐसे हैं जो प्रवर समिति के ध्यान के लिए हैं।

मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि वे इस पर बहुत गम्भीरतापूर्ण ध्यान देंगे। मेरे मित्र ने प्रवर समिति के विचारार्थ एक सुझाव रखा है—वह यह है कि प्रवर समिति कुछ उपसमितियों में बंट जाय। यह मामला अपनी प्रक्रिया को निश्चित करते समय प्रवर समिति के फैसले के लिए है तथा मैं समझता हूं कि इस सुझाव के सम्बन्ध में मुझे अपने कोई विचार व्यक्त नहीं करने चाहियें।

कुछ माननीय सदस्यों की शिकायत है कि यह केवल अंग्रेजी अधिनियम की ही नकल है। वस्तुतः मैं इस आलोचना का महत्व नहीं समझ सका हूं। जिस पद्धति को हम चला रहे हैं, उसे ब्रिटिश से लिया गया है। मेरे विचार से १९ वर्ष के अन्तर में उन्हें भी इस विधि में संशोधन करना पड़ा है। कोहेन समिति को सन् १९४५ में नियुक्त किया गया था तथा उन्होंने १९४८ अधिनियम में संशोधन किया। हमारा अधिनियम १९१३ में बना था जिसे हमने १९३६ में संशोधित किया तथा यह स्वाभाविक है कि निश्चित काल के बाद समय समय पर हम टिप्पणी-विनिमय करें। श्रीमान्, इस पर भी मैं कई उदाहरण दे सकता हूं जिनमें हमारी विधि इंग्लिश विधि से विभिन्न प्रकार की है। यदि माननीय सदस्य खण्ड संख्या ४४, ७९, ८०, ८१, ८४, १११, १९२, १९७, २१९, २३७, २४०, २४३, २५२, २५३, २५४, २६३, २७०, २७८, २८० आदि समस्त महत्वपूर्ण खण्डों को देखें तो वे इनमें से कई खण्डों को इंग्लिश विधि में नहीं पाएंगे। जहां तक भाषा का सम्बन्ध है, हम उसी विषय के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं। अपने समवाय विधि के इतिहास को सामने रखते हुए भाषा के उस प्रकार के ढांचे का न अपनाना हमारे लिए सम्भव नहीं है। परन्तु मेरे विचार से इस पर आपत्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक विषय में जैसा कि माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है, स्वयं इंग्लिश संविधि की भाषा इतनी जटिल नहीं है जितनी कि हमारे सम्पदा अधिनियम की है। अतएव प्रवर समिति में प्रारूप के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यवाही करते समय हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या अपने आशय को व्यक्त करने के लिए हम स्वयं अपने कोई सुधार कर सकते हैं या नहीं।

मैं यहां यह भी कह दूं कि ब्रिटेन का अधिनियम एक समाजवादी सरकार ने १९४८ में प्रस्तुत किया था, यह बात कुछ महत्वपूर्ण है तथा इसका माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों से बहुत कुछ सम्बन्ध है तथा वस्तुतः इस से मैं विधेयक के वास्तविक उद्देश्य पर आ जाता हूं। कई माननीय सदस्यों

ने शिकायत की है कि वर्तमान विधेयक बहुत आगे तक नहीं जाता है। मुख्यतः श्री एच० एन० मुखर्जी तथा श्री साधन गुप्त बहुत से ब्योरे के सम्बन्ध में सहमत जान पड़ते हैं। उनकी मुख्य शिकायत यह है कि इस विधेयक का विस्तार बहुत सीमित सा है तथा कि हमने सचमुच ही इस पर काफी अधिक ध्यान नहीं दिया है। मेरा उन्हें यह उत्तर है कि हमने उनसे भी बहुत अधिक ध्यान दे दिया है। उदाहरणार्थ वे इस विधेयक में प्रत्येक ऐसी बात को रखना चाहते हैं जो उनके विचार से देश की आर्थिक नीति के महत्व की है जैसे विदेशी-धन विनियोग, पूंजी निर्गमन नियंत्रण, ब्रिटिश प्रतियोगिता की रोक, उद्योगपतियों के हाथों में पूंजी का संग्रह, एकस्वाधिकारों अथवा विरोधी व्यापारियों के परस्पर समझौते की रोक, छोटे उद्योगों को खतरे आदि की व्यवस्था। तब वे चाहते हैं कि हम ग्राम्य क्षेत्रों में औद्योगीकरण की व्यवस्था करें तथा पेट्रोल और दूसरी कम्पनियों को निश्चित रूप से समाप्त कर दें तथा कि कर्मचारियों से धोखा न होने दें। इस के अतिरिक्त वे और भी बहुत से सुझाव देंगे जो मेरे विचार से इस विधेयक के उद्देश्य से संगत हो सकते हैं। दूसरे माननीय सदस्य ने भी सुझाव दिया है। उन्होंने भी विदेशी धन विनियोग का निर्देश किया है। बाद में उन्होंने धन-विनियोग को समूचे रूप से योजनाबद्ध करने की आवश्यकता की बात कही है। शिकायत यह है कि यदि आप निजी उद्यम के आधार पर योजना-निर्माण का काम करेंगे तो धन-विनियोग के परिमाण में चिन्ताजनक वृद्धि तथा कमी होती रहेगी। वह यह भी चाहते हैं कि लाभ तथा अतिरिक्त लाभ के भेजने के सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये। अब ये सब बातें सरकार की सामान्य आर्थिक नीति पर चर्चा से सम्बन्धित हैं तथा निश्चय ही जो विचार माननीय सदस्य ने व्यक्त किये हैं, सरकार अपनी नीति के बनाते समय उन पर विचार करेगी। परन्तु मुझे सन्देह है कि क्या पूरी नेकनियती के होते हुए भी प्रवर समिति इन सब बातों को इस विधेयक में ला सकेगी या नहीं। इस विधेयक के पहले से ६१२ खण्ड हैं तथा सम्भवतः आपको १०० खण्ड या इसके लगभग संख्या में और खण्ड जोड़ने पड़ें। हो सकता है कि यह संख्या १००० तक पहुंच जाय। तब सदन की यह शिकायत होगी कि हमें विधेयक के वास्तविक उद्देश्य से बहुत परे नहीं जाना चाहिये। अतः मेरा विचार है कि हमें इस विधेयक के क्षेत्र की संकुचित विचार धारा तक सीमित रहना चाहिये अर्थात कि औद्योगिक अथवा वाणिज्यक क्षेत्र में नफ़ा कमाने के लिये व्यक्तियों की स्वयं सेवक संस्थाओं के कामों को किस प्रकार से विनियमित किया जाय।

मैं इस विधेयक के विस्तार में आने वाली कुछ बातों को बाद में लूंगा। मेरा विचार है कि सदस्यों की अधिक संख्या इस विधेयक को लगभग ठीक समझती है। उनका यह भी विचार है कि इसमें कुछेक संशोधनों की आवश्यकता है। यह मामला प्रवर समिति के विचार के लिये है तथा मैं समझता हूं कि प्रवर समिति के सदस्य, जिनमें सरकारी सदस्य भी हैं, किसी प्रस्तावित बात पर दृढ़तापूर्वक जमकर चलेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम ठोस कारणों के बिना इस स्थिति को स्वीकार कर लेंगे।

श्री ए० पी० सिन्हा (मुजफ्फरपुर पूर्व) : स्पष्ट है कि आप मेरे द्वारा स्थिति के निर्धारण से डर गये हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि इस ब्योरे सम्बन्धी कुछ बातों के बारे में मुझे कुछ कहना चाहिये क्योंकि वे ऐसी बातें हैं जिन पर प्रवर समिति को विचार करना होगा तथा इसमें यह मुख्य बात भी

[श्री सी० डी० देशमुख]

है कि क्या मैनेजिंग एजेंसी पद्धति को संशोधित किया जाय या समाप्त कर दिया जाय। श्री मात्तन का सुझाव है कि हम उन शेयरों पर विचार करें जो समतल मूल्य के नहीं हैं। उनके सुझाव का कारण यह था कि वह एक समिति के सामने, जिसके सभापति भूतपूर्व कोहेन समिति के सदस्य श्री मौंटेग गैंज थे, जिरह के लिये उपस्थित हो चुके हैं। इस समिति की एक सिफारिश थी कि इंगलिश समवाय अधिनियम, १९४८ में इस अभिप्राय का संशोधन किया जाय जिस से ऐसे शेयर जारी किये जा सकें जो समतल नहीं हैं। अब जहां तक संयुक्त स्कन्ध (जाइन्ट स्टाक कम्पनियों) समवायों का सम्बन्ध है, समतल से अतिरिक्त दूसरे शेयरों के जारी करने से स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निस्सन्देह इससे जिस बात पर प्रभाव पड़ता है वह है एक स्टाक एक्सचेंज के सौदे।

इस देश में स्टाक एक्सचेंजों के विनिमय के हेतु हमें सदन में एक विधान प्रस्तुत करना है। इस बात के होते हुए भी अभी तक ऐसे शेयरों के लिये कोई मांग नहीं की गई है। उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे शेयरों को चालू करने से एक उलझा हुआ मामला अनावश्यक रूप से और भी उलझ जायेगा। फिलहाल ऐसे शेयर, जो प्रत्यक्ष मूल्य के बराबर नहीं हैं, जारी करने का अधिकार देने के पक्ष में स्थिति नहीं है।

इसके उपरान्त उन्हीं सदस्य ने भारतीय समवाय अधिनियम की धारा ८७ (ख) तथा (ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें यह कहा गया है कि जब तक कि एक सामान्य बैठक में कम्पनियों द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय, तब तक प्रबन्ध अभिकर्ताओं के कार्यालय का स्थानांतरण शून्य होगा। इस विषय से सम्बन्धित विधेयक के खण्ड ३२४ और ३२५ में एक मात्र महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि किसी प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा कार्यालय के स्थानांतरण के लिये एक सामान्य संकल्प के स्थान पर अब एक विशेष संकल्प आवश्यक है। यह उन नये उपबन्धों में से एक है, जो वस्तुतः वर्तमान अस्थायी संशोधन विधेयक का स्थान लेता है। उक्त विधेयक के अधीन प्रबन्ध अभिकरणों में किन्ही भी परिवर्तनों के लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। वर्तमान विधि को लागू करते समय हमारे पास कई मामले आये—कम से कम कलकत्ते का एक प्रसिद्ध मामला—और उनका निबटारा करते समय मैंने यह सोचा कि मुझे इस विषय से सबन्धित इस विधेयक के उपबन्ध का परीक्षण करना चाहिये। अतः मैंने अपनी स्वीकृति की एक शर्त यह रखी कि एक विशेष संकल्प पारित किया जाना चाहिये। विशेष संकल्पों को पारित कराने में कम्पनी को कुछ कठिनाइयां हुईं परन्तु अन्त में वे ऐसे करने में सफल हुए हैं। और चूंकि मेरी शर्त पूरी कर दी गई थी, अतः स्थानांतरण की स्वीकृति दे दी गई है।

मेरे सहयोगी ने मुझे बताया कि खण्ड ३२४ एवं ३२५, जो प्रबन्ध अभिकरण के स्थानांतरणों या उनके संविधान में परिवर्तन से सम्बन्धित हैं, और खण्ड ३१० जिसके अधीन एक साधारण संकल्प द्वारा बुलाई गई एक सामान्य बैठक का संकल्प प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये आवश्यक है, के बीच कुछ विरोध है, और इस लिये किसी प्रबन्ध अभिकरण के लिये यह संभव हो सकता है कि वह अपने आप को समाप्त करले और फिर अपने में सुधार कर सम्बन्धित कम्पनी द्वारा अपनी नियुक्ति करवा ले।

इन चीजों पर प्रवर समिति को ध्यान पूर्वक विचार करना होगा ।

उन्हीं माननीय सदस्य ने संचालकों की आयु और एक व्यक्ति द्वारा धारण किये जा सकने वाले संचालक पदों की चर्चा की । हमारा मूल प्रस्ताव ६५ वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों की किसी कम्पनी के संचालक के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाना था, परन्तु ऐसा लगा कि उससे निजी उपक्रम की स्वाधीनतायें छिन जाती हैं । इस लिये बाद में इस प्रस्ताव में रूप भेद किया गया और इसे खण्ड २५८ और २५९ के रूप में रखा गया । यद्यपि ६५ वर्ष की आयु सीमा को बनाये रखा गया है और कोई संचालक इस आयु को प्राप्त करने के बाद या तो उस पद पर बना नहीं रह सकता है, या उस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है । यदि कम्पनी चाहे तो उपयुक्त संचालकों के मामले में वह इस आयु-सीमा को ढीला कर सकती है । और कोई भी कम्पनी एक साधारण संकल्प के द्वारा ऐसा कर सकती है । अतः मैं समझता हूं कि इससे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सहूलियत है और हमें कम्पनियों के संचालकों तथा मंत्रीगणों एवं राजनीतिज्ञों के बीच की गलत तुलना से बहक नहीं जाना चाहिये ।

जहां तक संचालक पदों की संख्या का सम्बन्ध है, उसमें बहुत प्रकार के संचालक पद नहीं आते हैं । उदाहरणार्थ ऐसी गैर सरकारी कम्पनियां जो सार्वजनिक कम्पनियों की सहायक नहीं हैं, बिना लिमिटेड कम्पनियों के संचालक पद, ऐसे संघ जो लाभ के लिये नहीं हैं और ऐसी कम्पनियां जिसमें ऐसा व्यक्ति केवल एक वैकल्पिक संचालक मात्र हो ।

मैं यह बता दूं कि अमरीका या ब्रिटेन में एक व्यक्ति जितने संचालक पदों पर रह सकता है, उसके औसत से बीस की संख्या कहीं अधिक है । जैसा कि समवाय विधि समिति ने बताया है, कुछ योरोपीय देशों ने विधान द्वारा इस संख्या को कम रखा है । खैर, यह मामला प्रवर समिति के सामने है । यदि वे बीस के पक्ष में नहीं हैं, तो व दूसरी किसी संख्या का सुझाव दे सकते हैं, और हो सकता है, कि उनका यह मत हो कि यदि कुछ थोड़े से लोग या संस्थायें ऐसी हैं, जो कुछ अंशदान कर सकती हैं. यद्यपि उनके पास बहुत से संचालक पद हैं, तो उनका अंशदान प्राप्त करने का कोई मार्ग ढूंढा जा सकता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपराधी संचालकों और प्रबन्ध अभिकर्ताओं को हटाने के लिये शक्तियों की मांग की । मैं समझता हूं कि वह सज्जन मेरठ के श्री कृष्ण चन्द शर्मा थे । खण्ड २५२ में संचालकों पर कुछ अनर्हतायें लगाई गई हैं, और खण्ड ३१५ से ३१९ में दिवालिया बन जाने वाले कुछ अपराधों के लिये सजा पाने वाले या धोखा देने वाले या विश्वासघात करने वाले या उनको सौंपी गई कम्पनियों के प्रबन्ध के लिये दोषी प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पदों से हटाये जाने की व्यवस्था की गई है । निस्सन्देह माननीय सदस्य के सुझाव पर प्रवर समिति विचार करेगी । वर्तमान अस्थायी संशोधन विधि के अधीन उच्च न्यायालय के जाने का उपबन्ध है । परन्तु मैं समझता हूं कि सरकार या उसके द्वारा स्थापित किसी व्यवस्था को ये शक्तियां देने के पक्ष में शायद कोई भी नहीं होगा ।

गैरहाजिरी या अपर्याप्त लाभों के मामले में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के न्यूनतम पारिश्रमिक, प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा संचालकों की नियुक्ति, प्रबन्ध अभिकर्ताओं और संचालकों के सम्बन्धियों की ऐसी नियुक्ति जिसके लिये

[श्री सी० डी० देशमुख]

सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा किये जाने वाले जांच पड़ताल के व्यय के बारे में सुझाव दिये गये । मैं समझता हूं कि ये ऐसे सुझाव नहीं हैं, जिन पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो ।

निजामाबाद के माननीय सदस्य श्री हेडा ने यह सुझाव दिया कि भागीदार कम्पनियों से जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहें, वे उन्हें मिलनी चाहिये । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस सारे विधेयक का उद्देश्य अंशधारियों की विद्यमान शक्तियों म वृद्धि करना है परन्तु यदि उक्त सुझाव स्वीकार कर लिया जाय तो किसी भी कम्पनी को अपना काम चलाना असंभव सा हो जायगा। स्वयं कम्पनी के हित में यह अच्छा होगा कि कुछ प्रकार की सूचनायें अंशधारियों को न दी जायें ।

अंशधारियों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में कुछ और बातें भी हैं । हम यह कह सकते ह कि विधेयक का मुख्य प्रयोजन यही है, और उसमें विविध रूप से इसी बात की व्यवस्था की गई है । खण्ड २१९ में रजिस्ट्रार को सूचना मंगाने की शक्ति दी गई है, खण्ड २२० और २२१ में अंशधारियों के आवेदन पर या रजिस्ट्रार के प्रतिवेदन पर या अपनी इच्छा से किसी भी कम्पनी के मामलों की जांच पड़ताल करने की शक्ति सरकार को दी गई है ; खण्ड २२३ में सरकार को अन्य ऐसी कम्पनियों के मामलों की जांच पड़ताल करने की शक्ति दी गई है, जिनका प्रबन्ध वही प्रबन्ध अभिकर्ता करते हैं; खण्ड २२६ में कम्पनी के संचालकों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं तथा पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की शक्ति दी गई है, यदि उन पर किसी ऐसे अपराध के लिये मुकदमा चलाया गया हो जिसके लिये उनके विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जा सकती है ; और अन्त में, अंशधारियों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कम्पनी का संचालन इस प्रकार हो रहा हो जिससे उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो वे सहायता के लिये न्यायालय में मुकदमा चला सकते हैं । दो माननीय सदस्यों, उत्तर सतारा के श्री अल्तेकर और दक्षिण रत्नागिरि के श्री एम० डी० जोशी, ने यह अनुरोध किया कि निक्षेपक के हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये । कुछ व्यवस्था तो है, परन्तु इस सम्बन्ध में जो बहुत गम्भीर दोष हैं, और जिनके द्वारा जनता धोखा खा जाती है, उन पर प्रवर समिति को विचार करना चाहिये । इस विधेयक के सम्बन्ध में यह बात याद रखनी चाहिये कि यद्यपि धोखाधड़ी और लालच के रोकने के प्रबन्ध किये गये हैं, परन्तु वे स्थायी उपचार नहीं हैं । मानव स्वभाव का उपचार विधान द्वारा नहीं, लोक शिक्षा द्वारा हो सकता है । जिन व्यवहारों के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं, यदि उन पर सत्य का तीव्र प्रकाश डाला जाये, तो निस्सन्देह यथा समय, जनता कहीं अधिक सतर्क और बुद्धिमान हो जायेगी, परन्तु फिलहाल स्थिति यह है कि जहां कहीं भी अधिक ब्याज का आकर्षण होता है, वहीं पर लोग अपना धन लगा देते हैं, पर बाद में उन्हें भारी धोखा होता है ।

एक माननीय सदस्य ने——कदाचित श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस——मध्य) ने परिसमापन प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये । उन्होंने पूछा कि क्या परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही को सरल नहीं बनाया जा सकता । एक निश्चित अवस्था के परे ऐसा करना कठिन है, और फिर वैधानिक तरीकों से ही कम्पनी की आस्तियां वसूल की

जा सकती हैं। जो कम्पनियां परिसमापन अवस्था में होती हैं, उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं होती और परिसमापक अधिकारी को निधियों के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सभी प्रकार के विलम्बों को दूर करने और इस काम पर कड़ी जांच पड़ताल रखने के लिये, यह उपबन्धित किया गया है कि न्यायालय से सम्बद्ध परिसापक अधिकारी केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन होगा। यह व्यवस्था खण्ड ४११ के अधीन है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि विधेयक के खण्ड ४९२ को, जो कम्पनी के परिसमापन पर भुगतान के सम्बन्ध में अधिमान के विषय से सम्बन्धित है, और व्यापक और ऐसा बनाया जाय जो श्रमिकों और श्रमजीवी पत्रकारों जैसे व्यक्तियों के दावों के पक्ष में हो जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, प्रेस विधि में मजूर कमाने वाले और वेतन पाने वालों को कुछ प्राथमिकता दी गई है। प्रवर समिति अवश्य ही माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात पर विचार करेगी।

सदन के समक्ष जो विधेयक है उसमें इन वर्गों की स्थिति और दृढ़ बनाने के लिये कुछ और उपबन्ध रखे गये हैं। इस बात पर विचार तो अवश्य किया जाना है परन्तु माननीय सदस्यों को यह बात नही भूलनी चाहिये कि ऐसा करने में परस्पर विरोधी दावों का सोच समझ कर संतुलन करना पड़ेगा और हम जो भी विनिश्चय करें, हमें इस बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिये कि समवाय के ऋणियों के हित मारे न जायें क्योंकि ऐसा होने से देश के उद्यमों के विकास को धक्का पहुंचेगा।

एक माननीय सदस्य का सुझाव है कि किराये तथा करों के बारे में जो पूर्ववर्तिता दी गई है वह नहीं होनी चाहिये, यह सुझाव सरकार को सर्वथा स्वीकार है। मेरे विचार में हर किसी दशा में सरकार के दावों को पूर्ववर्तिता होनी चाहिये और माननीय सदस्य के सुझाव का समर्थन करने वाला कोई पूर्व दृष्टांत भी नहीं है।

तीसरा हक श्रमिक संगठनों को दिया गया है क्योंकि पहला राजकोष का है और दूसरा समवाय के क्लर्कों तथा कर्मचारियों का। संसार भर में यही क्रम रखा जाता है।

अल्पसंख्यक अंशधारियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिये निदेशक बोर्ड के संविधान में परित्राणों का उपबन्ध करने के सुझाव भी दिये गये। प्रस्थापना यह थी कि निदेशकों की कुछ प्रतिशत संख्या सरकार द्वारा नियुक्त की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह अवांछनीय होगा, क्योंकि यद्यपि सरकार का उनके काम पर कोई नियंत्रण नहीं होगा फिर भी सरकार की आलोचना की जाने की सम्भावना है; और यदि अभिप्राय यह है कि सरकार अपने अधिकारियों को समवायों के निदेशक नियुक्त करे तो ऐसा करना व्यावहारिक रूप से असम्भव होगा क्योंकि हमारे पास इसके लिये पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे।

एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि अल्प संख्यक अंशधारियों के प्रतिनिधि भी निदेशक बोर्ड में होने चाहियें। इस सुझाव पर विचार किया गया और इसे अस्वीकार कर लिया गया। इस से बोर्ड में परस्पर विरोध उत्पन्न होने की बहुत ही सम्भावना है और ऐसा होने से वह सहकारिता जाती रहेगी जिसके बिना कोई भी व्यापार सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे संदेह है कि प्रवर समिति व्यावहारिक दृष्टि से इसको स्वीकार्य समझेगी।

माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने कुछ बातें उठाईं। उन्होंने कुछ विस्तृत बातों के स्पष्टी-

[श्री सी० डी० देशमुख]

करण की मांग की क्योंकि उनसे व्यापारी क्षेत्रों में कुछ संदेह की भावना उत्पन्न हुई है। निस्सन्देह ही इन सब बातों पर विचार किया जाना है और मेरे पास अब भी अभ्यावेदन आ रहे हैं जिनको प्रवर समिति के समक्ष रखने के लिये मैं बाध्य हूं। आपका सुझाव था कि मैं इन अभ्यावेदनों में से कुछ के बारे में अस्थायी रूप से अपने विनिश्चय सदन के समक्ष रखूं, परन्तु मैंने अभी यह सारे अभ्यावेदन नहीं देखे हैं और मैं नहीं कह सकता कि हमारी क्या धारणा रहेगी। साथ ही, विनिश्चय करने के पश्चात् मुझे अपनी राय सरकार के सामने रखनी है और फिर वह प्रवर समिति को भेजनी है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि खण्ड ८० अधिमानप्राप्त अंशधारियों के मत देने के अधिकार को सीमित रखता है। सरकार ने समवाय विधि समिति द्वारा एक मत से प्रकट की गई इस राय को स्वीकार किया है कि अधिमान प्राप्त अंशधारियों को मताधिकार से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है यद्यपि उनके लाभांश शेष भी हों। सामान्य अंशधारियों के बारे में, जिनके हित में माननीय सदस्य को सबसे अधिक रुचि है, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह उपबन्ध वर्तमान स्थिति से अच्छा है क्योंकि इस समय कई समवायों के अधिमान-प्राप्त अंशधारियों के लगभग वही मताधिकार हैं जो कि सामान्य अंशधारियों के। माननीय सदस्य इस बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि जब उनके लाभांश शेष भी हों तो अधिमान प्राप्त अधिकारियों को केवल लाभांश के मामले में ही मत देने का अधिकार होना चाहिये। मैं माननीय सदस्य के सुझाव के तात्पर्य को भली भांति समझता हूं। हो सकता है कि प्रवर समिति इस पर विचार करेगी।

माननीय सदस्य ने खण्ड २३१ का भी निर्देश किया। इसमें जो अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव है वे अपवादिक मामलों में ही प्रयोग किये जायेंगे। वे अंग्रेजी समवाय अधिनियम में किये गये उपबन्धों के समानुरूप हैं। माननीय सदस्य को शंका थी कि विधेयक में अंग्रेजी अधिनियम की धारा १७२ की उपधारा (३) के उपबन्धों से कुछ अधिक बात रखी गई है। अंग्रेजी अधिनियम की इस उपधारा के अधीन व्यापार बोर्ड अंशों के स्वामित्व के बारे में जांच करने का आदेश देने में बाध्य है जब कि अंशधारियों की अपेक्षित संख्या इस जांच की मांग करे। हमारे विधेयक में सरकार पर ऐसा कोई आभार नहीं।

माननीय सदस्य ने खण्ड २४३ की भी चर्चा की। इस खण्ड में बोर्ड के, तथा-कथित दो तिहाई कोटे के लिये कतिपय वर्गों के व्यक्तियों के, सिवाय समवाय के विशेष संकल्प के अधीन चुने जाने से रोकने का उपबन्ध है। माननीय सदस्य को चिन्ता थी कि अंशधारियों में से २६ प्रतिशत का शेष ७४ प्रतिशत के अधिकारों पर विषेधाधिकार रहेगा। सैद्धांतिक दृष्टि से ऐसी बात कुछ विशेष मामलों में तो हो सकती है परन्तु सामान्यतः ऐसी कोई बात होने की संभावना नहीं। फिर भी मैं इस खण्ड पर कुछ और ध्यान देने को तैयार हूं।

माननीय सदस्य उन प्रतिबन्धों को भी ठीक नहीं समझते जो खण्ड २७२ के अधीन निदेशकों के ऋणग्रहण अधिकार पर लगाये गये हैं। प्रस्ताव है कि इन अधिकारों को समवाय की प्रदत्त पूंजी तथा रक्षित निधि तक ही सीमित रखा जाये। परन्तु यह सीमा समवाय के विशेष संकल्प द्वारा विस्तृत की जा सकती है। यह खण्ड बैंकों तथा अन्य मुद्रा संस्थाओं से ही सम्बद्ध नहीं, और वास्तव

में हुंडी विनिमय (स्टाक एक्सचेंजों) के व्यवहार पर आधारित है और यह व्यवहार इसी देश में नहीं अपितु विदेशों में भी चालू है और माने हुये समवायों ने इसको स्वीकार किया है ।

एक और माननीय सदस्य ने निक्षेपकों से उधार लेने के बारे में एक सुझाव दिया, जिसका मैंने पहले ही वर्णन किया है । अब रहा निदेशकों को ऋण देने का प्रश्न । इस मामले में प्रवर समिति को विस्तृत बातों की जांच करनी होगी । परन्तु मैं माननीय सदस्य की शंका दूर करना चाहता हूं । हमारी यह इच्छा नहीं है कि किसी समवाय के व्यापार सम्बन्धी लेन देन में हम अनावश्यक हस्तक्षेप करें । परन्तु हम उन त्रुटियों को समाप्त करना चाहते हैं जिनकी आड़ में समवाय की निधि का दुरुपयोग किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों ने अभ्यावेदन भी भेजे हैं और उनको मैं यथासमय प्रवर समिति के समक्ष रखूंगा ।

अब मैं न्याय की व्यवस्था के लिये एक संगठन बनाने का प्रश्न लेता हूं । माननीय सदस्यों ने पूछा कि मैं समवाय विधि समिति द्वारा एक मत से की गई इस सिफारिश पर क्यों नहीं चला कि विभागीय संगठन स्थापित करने से यह अच्छा है कि केन्द्रीय संविहित प्राधिकार बनाया जाये । मैं समझता हूं कि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण तथा मेरे भाषण से यह स्पष्ट है कि यह एक अस्थायी विनिश्चय है । पहले प्राधिकार के हाथ से, जो कि भूतकाल में न्याय की दुर्व्यवस्था के लिये आंशिक रूप से ज़िम्मेदार था, काम लेकर और किसी प्राधिकार को तो सौंपना ही था । इसलिये यह विभाग को हस्तांतरित किया गया । इस से भी अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अस्थायी (संशोधन) कानून के अन्तर्गत कई मामले सरकार के पास उसकी अनुमति के लिये भेजे जाते हैं और सरकार एक मंत्रणा समिति के परामर्श से अपना अधिकार प्रयोग करती है । अब इस विधेयक के अन्तर्गत यह व्यवस्था तीन वर्ष तक चलती रहेगी । अतः सदन यह समझ सकता है कि प्रबन्धक अभिकर्ताओं के हस्तांतरण आदि सम्बन्धी महत्वपूर्ण अधिकार सरकार को प्रयोग करने हैं और यह नीति सम्बन्धी मामले हैं । जब तक कि हमें इस बात का कुछ अनुभव न हो कि वर्तमान पद्धति कैसे चलती है, तब तक समवाय विधि समिति द्वारा सुझाये गये नये प्रबन्ध को अपनाना उचित नहीं होगा ।

वास्तव में समस्या तो कर्मचारियों की है । किसी चीज का प्रबन्ध विभागीय रूप से किया जाये अथवा किसी संविहित निकाय द्वारा, हमें यह प्रत्याशा नहीं करनी चाहिये कि उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध होंगे । चाहे संविहित आयोग का सारा प्रबन्ध भी हो, परन्तु अगर इसका काम चलाने के लिये उपयुक्त व्यक्ति न मिले तो उससे कोई लाभ नहीं होगा अपितु, जटिलतायें ही बढ़ जायेंगी । इस के विपरीत यदि इसका विभागीय प्रबन्ध हो तो जब कभी किसी परिवर्तन की आवश्यकता होगी, ऐसा परिवर्तन सुलभता से किया जा सकता है । इसी कारण हमने इस समय यही उचित समझा है कि केन्द्रीय संविहित प्राधिकार एक विभागीय निकाय होना चाहिये । परन्तु जो माननीय सदस्य प्रवर समिति में हैं वे इस सम्बन्ध में उस समय अपनी राय प्रकट करेंगे ही जब कि इन खण्डों पर चर्चा होगी ।

माननीय सदस्य श्री टी० एन० सिंह ने पूछा कि सरकारी उपक्रमों के लिये, जो समवायों के रूप में संगठित हैं, हमें क्या उपबन्ध रखने या सुझाने का इरादा है । वर्तमान विधेयक में सरकारी क्षेत्र को सीमित करने वाली कोई बात नहीं । यह औद्योगिक

[श्री सी० डी० देशमुख]

नीति का मामला है, समवाय विधि का नहीं। इस में केवल एक खण्ड (विधेयक का खण्ड ५७४) है जो इस मामले से सम्बन्धित है, परन्तु मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि हम इस मामले पर विचार कर रहे ह और मैंने इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अथवा विस्तृत प्रस्थापना इस कारण नहीं रखी है कि हमने सरकार की हैसियत से अभी इस पर नियमपूर्वक निश्चय नहीं किया है।

दो प्रकार के सरकारी उद्यमों पर विचार किया जाना है। एक, ऐसे उद्यम जिनमें सारे अंश सरकार के हैं और दूसरे, वह उद्यम जिनमें सरकार का भाग है। हम इन दो प्रकार के सरकारी उद्यमों के बारे में कुछ अन्तर रखना चाहते थे। अर्थात्, हम एक सरकारी उद्यम की परिभाषा यह रखते कि कोई उद्यम जिसमें ५० से अधिक प्रतिशत सरकारी अंश हों सरकारी उद्यम है। इनके लिये कुछ विशेष उपबन्ध करने पड़ेंगे जिससे कि विधयक के कतिपय खण्डों से वे मुक्त रहें। हमारे पास एक प्रारूप तयार है जो मैं प्रवर समिति के समक्ष रख सकूंगा। इसके अलावा पूर्णतया सरकारी निगमों का जिनमें सरकार के सिवा और किसी के अंश न हों, कार्य विनियमित करने के लिये हमें एक विधान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इन मामलों को विनियमित करने के लिये इस प्रकार कोई दोहरी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

अब मैं विदेशी पूंजी तथा एकाधिकार के प्रश्न को लेता हूं, चाहे ये पूंजी तथा एकाधिकार प्रबन्धक अभिकरण से सम्बद्ध हों या नहीं। जैसा कि मैंने कहा है, जहां कहीं विदेशी हितों का आधिक्य हो, इन मामलों के इतिहास के बारे में जो कुछ भी कहा जाये, यह ऐसे मामले नहीं हैं जो समवाय विधि में आते हैं, क्योंकि समवाय विधि समान रूप से भारतीय तथा गैर-सरकारी व्यापारियों पर लागू होती है। केवल कुछ ऐसे मामले इस से सम्बद्ध हैं जिनमें किसी विदेशी समवाय की शाखा यहां पंजीबद्ध हो अथवा नहीं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि विदेशी समवायों के लिये पंजीयन कराना तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिये क्योंकि चालू नियमों के अन्तर्गत उन्हें पूंजी निर्गम नियंत्रक की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। इसके अलावा यह विधेयक रखने में हमारा मूल उद्देश्य यह है कि ऐसा वातावरण फैलाया जाये कि समवाय विधि का प्रयोग उद्योगपतियों के स्वार्थ के लिये नहीं अपितु उद्योग की उन्नति तथा देश के आर्थिक विकास के लिये किया जाये। हम जो दायित्व प्रबन्धक अभिकर्ताओं पर लादते हैं वे भारतीयों तथा गैर भारतीयों पर समान रूप से लागू होंगे।

विदेशी पूंजी के बारे में माननीय सदस्यों की जो भी व्यक्तिगत राय हो, वे यह बात मानेंगे कि समवाय विधि जैसे कानून में भारतीय तथा गैर-भारतीय समवायों अथवा प्रबन्धक अभिकर्ताओं में अन्तर करना सम्भव नहीं है। म समझता हूं कि यह एक उचित बात होगी कि यदि हम आगे किसी दिन विदेशी पूंजी पर पूरी चर्चा करें, क्योंकि यह विषय बार बार हमारे सामने आता है और मेरे पास सरकार की तत्सम्बन्धी नीति व्यक्त करने का समय नहीं होता।

एकाधिकार के सम्बन्ध में भी मैं यही कह सकता हूं कि यह आर्थिक नीति का एक विषय है और समवाय विधि के क्षेत्र से बाहर है। और कई बातें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे हुंडी विनिमय का विनियमन, फिर भी इस विधेयक में उपबन्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: समवाय विधेयक में भी निर्देशकों की योग्यता के विषय में शर्तें

नहीं हैं। शर्तें रखी जा सकती हैं। क्या सदन के सदस्य इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि समवायों के अधिकारी कौन हों ?

श्री सी डी० देशमुख: सदन इस पर अवश्य विचार कर सकता है लेकिन नीति के विषयों पर पहले विचार किया जाना चाहिए। अप्रेल १९४८ की नीति विषयक घोषणा में कहा जा चुका है कि कोई विभेद नहीं किया जायगा। नीति सम्बन्धी इस विषय पर चर्चा होना आवश्यक है। यह नीति १९४८ में बनाई गई थी तथा इसे बार बार दोहराया गया है। ऐसे प्रश्नों का यहां उत्तर नहीं दिया जा सकता, इस पर तो पूरी बहस होनी चाहिए। यदि कुछ बातों का करना जरूरी समझा जाये तो हमें उचित समय पर विधि का संशोधन करने से कोई नहीं रोक सकता।

प्रवर्त्तकों और विनियोजकों के प्रति उनके उत्तरदायित्व के बारे में श्री टेक चन्द और श्री टी० एन० सिंह ने कहा।

आम तौर से पूंजी भावी विनियोजकों को समवाय की विवरण-पत्रिका बांट कर इकट्ठी की जाती है। हो सकता है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रवर्त्तक और विक्रेता एक ही व्यक्ति न हो। वह किसी विशेष व्यापार या धन्धे की स्थापना तथा वर्गीकरण की व्यवस्था करता है, नये धन्धे की शर्तों को तय करता है, प्रस्तावित संचालकों से समवाय का कार्य-भार संभालने की सहमति प्राप्त करता है और प्रस्तावित निर्गमित पूंजी के अभिदान को प्रत्याभूत करने के लिये अभिगोपकों से बातचीत करता है। इसके बाद समवाय पूंजी-बद्ध किया जाता है और विवरण-पत्रिका समवाय-पंजीयक के पास पंजीयन के लिये भेज दी जाती है और फिर उसे प्रकाशित कर दिया जाता है। विवरण-पत्रिका के प्रकाशन के थोड़े समय बाद ही "सूचियां" खोल दी जाती हैं, यानी समवाय द्वारा जनता से अभिदानों के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के लिये अधिकृत बैंक यह घोषणा कर देता है कि वह प्रार्थना-पत्र लेने के लिये तैयार है। जब पर्याप्त प्रार्थना-पत्र आ जाते हैं तो सूचियां बन्द कर दी जाती हैं और फिर समवाय जनता को अंश निर्धारित करता है। इस विधेयक के द्वारा वर्तमान कानून में इस विषय में बहुत से मुख्य परिवर्तन किये जा रहे ह ताकि साधारण विनियोजकों के हितों की रक्षा हो सके और वे समवाय के चालबाज़ प्रवर्त्तकों अथवा संचालकों के जाल में न फंस जायें। मैं खंड ८, ९, १०, ११, १२, १३, १५, २४, ५५, ५६, ६३ और ६७ का ही निर्देश करूंगा। यदि प्रवर समिति द्वारा इस पर विचार किये जाने के दौरान में, माननीय सदस्य यह अनुभव करें कि और अधिक रक्षण की आवश्यकता है, तो निश्चय ही, उनके सुझावों का स्वागत किया जायेगा।

अब मैं, प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के प्रश्न को लेता हूं जिस पर यहां सदन में बहुत कुछ मतभेद है। कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ से पूछा कि क्या मेरे पास प्रबन्ध अभिकरण पद्धति के संचालन के बारे में, कि इस पद्धति में कुछ अच्छाई भी है या यह एकदम खराब है, पर्याप्त सूचना है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे न तो उतना अनुभव है और न ही मेरे पास इतनी सूचना है जो कि विशेषज्ञ समिति के समक्ष व्यक्त की गई थी। जिन माननीय सदस्यों को इसमें दिलचस्पी है वे इस समिति की रिपोर्टों को पढ़ सकते हैं और सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

आपको याद होगा कि अन्तरिम संसद् में जब मैंने अस्थायी विधि संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था तब मैंने कहा था कि मेरे पास लगभग ३० या ४० ऐसे मामले हैं जिन में से प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की करतूतों को देखकर कहा जा सकता है कि इनके संबंध में अभियोग चलाया

[श्री सी० डी० देशमुख]

जा सकता है। मैंने इसमें जांच-पड़ताल की और जब मैं वास्तविक बातों पर आया तो किसी न किसी कारण से ऐसी कोई बात नहीं मिल सकी जिसके आधार पर अभियोग चलाया जाये। इस समय भी मेरे पास एक बहुत बड़े समवाय का मामला है; पिछले पांच महीने से हमें किसी चीज़ का पता नहीं चला है। हमें शिकायतें मिली हैं कि अंशधारियों के साथ धोखा किया जा रहा है और लगभग १२ या १५ समवायों को छल-कपट से परिसमापित कर दिया गया है। हमने नवम्बर में छानबीन शुरु की थी परन्तु अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे लगभग १२ मामले हैं। पहला मामला उच्चतम न्यायालय तक गया था और इसके अलावा मेरे विचार में एक उच्च न्यायालय में १२ मामले और हैं। मैं यहां इस विषय में कोई विस्तृत बातें बताना नहीं चाहता। परन्तु मैं आपको यह बता रहा हूं कि देश में वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है; हमारे संविधान ने इस बात की व्यवस्था की है कि किसी भी व्यक्ति को विधि की उचित प्रणालियों को छोड़ कर अन्य किसी प्रकार से उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे यहां की न्यायिक व्यवस्था बड़ी व्यापक है; इसके अलावा हमारे यहां साक्ष्य विधि है और फिर यहां वकील लोग भी तेज़ हैं। यहां हम हर प्रकार के कानून बनाने में लगे हुए हैं और हम यह आशा करते हैं कि इन कानूनों को उचित रूप से ही काम में लाया जायेगा। इसके विपरीत हमें कानूनी तरीकों के द्वारा लोगों का दोष सिद्ध करना होता है। मेरे विचार में, हम जिन बहुत सी बातों को कार्यपालिका की असफलतायें समझते हैं वे वास्तव में उसकी असफलतायें नहीं होती हैं बल्कि वे कानूनी बातों का ठीक ठीक पालन करने के संबंध में कठिनाइयां होती हैं। इसलिये यदि हम चाहते हैं कि इसका पक्का इलाज हो तो इस के लिये हमें किसी खास कानून के उपबन्धों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करना होगा, बल्कि इस पर और अधिक व्यापक रूप से विचार करना होगा और इन सब बातों को उस कानून की पृष्ठभूमि मान कर आगे बढ़ना होगा।

जैसा मैंने कहा, मैं प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की करतूतों के बहुत से मामले आपके सामने रख सकता हूं; शायद अन्य किसी सदस्य के पास इतनी सूचना न हो। मेरे पास ऐसे मामलों के उदाहरण भी हैं जिनमें प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने उद्योगों को उन्नत करने की भरसक कोशिश की है और उनकी सहायता के लिये रुपया उधार दिया है; परन्तु मेरे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिनसे मैं यह निश्चित रूप से कह सकूं कि यह पद्धति अच्छी है या बुरी। मैं उस विशेषज्ञ समिति की उपपत्तियां मानने के लिये तैयार हूं जिसने इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार किया है। और जिसमें, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, अंशधारियों का एक बहुत सतर्क प्रतिनिधि सदस्य की हैसियत से था मैं उसकी यह बात मानने के लिये तैयार हूं कि प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को खत्म कर देने का अभी समय नहीं आया है। यह मामला प्रवर समिति के तय करने का है और मैं समझता हूं कि प्रतिकर आदि संवैधानिक मामलों के अलावा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगी कि यदि हम प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को खत्म कर देंगे तो इससे देश के औद्योगिक विस्तार को बहुत भारी धक्का लगेगा। इसलिये मेरी राय यह है कि जब तक हम इस पद्धति में सुधार करके यह न देख लें कि इससे काम चल सकता है या नहीं तब तक हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिये। आखिर, यह पहिला ही अवसर तो है जब हम इसमें सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं; इसलिये हमें पहले यह देखना चाहिये कि हमारी कानूनी व्यवस्था में हम अंशधारियों और

साधारण जनता के हितों का इसके द्वारा किस प्रकार रक्षण कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मंत्री को पता है कि समिति ने प्रबन्ध अभिकरण के कितने मामलों में छानबीन की है ?

श्री सी० डी० देशमुख: इस विषय में उस के पास काफी सामग्री है। मैं यह ठीक ठीक नहीं बता सकता हूं कि उसने कितने मामलों की छान बीन की परन्तु जो उपबन्ध किये गये हैं उनके बारे में प्रवर समिति सुझाव दे सकती है कि इतने वर्ष होने चाहियें, इतनी अवधि होनी चाहिय आदि। उदाहरण के लिये एक बात यह कही गई कि प्रबन्ध अभिकर्त्ता बहुत ज्यादा हिस्सा ले लेते हैं। तो, इसके लिये यहां खंड ३११ है जिसमें दिया गया है कि प्रथम अवधियों के समाप्त होने पर प्रबन्ध अभिकर्त्ता किस अवधि तक रह सकेंगे। प्रश्न यही है कि संसद प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की वर्तमान शर्तों और समझौतों में कहां तक हस्तक्षेप कर सकती है। यह बात विचार करने योग्य है कि यदि हम इस पद्धति को एकदम खत्म कर दें तो फिर प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को प्रतिकर देने की जटिल समस्या हमारे सामने खड़ी हो जायगी। मैं प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को कुछ सुझा नहीं रहा हूं ; उनके अपने कानूनी सलाहकार हैं जो उन्हें सलाह देंगे। ये बड़े कठिन मामले हैं ; अतः मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यद्यपि उनका रोष ठीक और उचित ठहराया जा सकता है परन्तु फिर भी उन्हें शान्त चित्त हो कर विचार करना चाहिये। मैं स्वयं कतिपय मामलों में कुछ न कर पा सकने के लिये क्षुब्ध हूं, लेकिन हमें सब बातों पर सोच-विचार कर सावधानी से कार्य करना है।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या संवैधानिक तथा न्यायिक कठिनाइयों के कारण ही सरकार प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को समाप्त नहीं कर सक रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख: यह मुख्य कारण नहीं है। इस विषय में अपना मत स्थिर करने के लिये समिति के सामने जो बातें कही गई हैं उन पर विचार किया जा सकता है—मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य आंकड़े दे कर यह सिद्ध नहीं कर सकता कि वर्त्तमान पद्धति से केवल नुक्सान ही हो रहा है। अपने कार्यबन्धु के समान मैं भी यह समझता हूं कि इस समय हम इस पद्धति को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते और यदि हमने इसे खत्म कर दिया तो हमारे ऊपर एक ऐसा बोझ आ पड़ेगा जिसे उठाने में हम अपने आप को असमर्थ पायेंगे।

इस समस्या को सुलझाने के लिए एक सुझाव यह दिया गया कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। हमारे पास कर्मचारियों की अब भी कमी है। कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि हमारे सरकारी उपक्रमों में जो अधिकारी प्रबन्ध संचालक नियुक्त हुए हैं उनका जल्दी जल्दी स्थानान्तर कर दिया जाता है। कारण यह है कि जहां बारह अधिकारियों की आवश्यकता होती है वहां हम छः अधिकारियों से काम लेने का प्रयत्न करते हैं; इसी वजह से नया उपक्रम चालू करने में उनकी आवश्यकता होती है। जब कोई अधिकारी किसी कार्य में नियुक्त किया गया हो और वह कार्य ठीक तरह से चलने लगे, तो हम उसको वहां से हटा सकते हैं और फिर दूसरा कार्य आरंभ करने में उसे लगा सकते हैं। मेरे विचार में हम इसी तरीके से एक वाणिज्यिक एवं आर्थिक सेवा की रचना कर सकते हैं। आई० सी० एस० अधिकारियों के बारे में चाहे कुछ भी कहा जाय, परन्तु उनमें एक गुण था और वह यह कि थोड़े से अनुभव के बाद ही वे विभिन्न प्रकार के कार्य करने के योग्य हो जाते थे। हम चाहते हैं कि सरकार के वर्त्तमान कर्मचारी भी इसी प्रकार की योग्यता रखें जिससे सरकारी उपक्रमों में जहां जहां उनकी

[श्री सी० डी० देशमुख]

आवश्यकता हो वहां वे कुशलता पूर्वक अपना उत्तरदायित्व निभा सकें । इसलिये राष्ट्रीयकरण के संबंध में इस समय हम और कुछ नहीं कर सकते । तो अब हमारे सामने दो चीजें हैं--प्रबन्ध अभिकर्ता तथा संचालक पर्षद । मेरे पास इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं और न ही मैं यह कह सकता हूं कि पिछले चार या पांच वर्षों में कोई महत्वपूर्ण प्रबन्ध अभिकरण समवाय स्थापित नहीं हुआ है । समिति के समक्ष जो कुछ कहा गया है मैं उसे देख रहा हूं और शायद प्रवर समिति के सामने उसे रख सकूंगा । हो सकता है कि दस उपक्रमों में से एक किसी प्रवर्त्तक तथा संचालक पर्षद द्वारा आरंभ किया गया हो और शेष नौ प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा आरंभ किये गये हों । खैर, जो कुछ भी हो, मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो भी नयी पद्धति आयेगी, उससे भी हमारा झगड़ा रहेगा । यदि हम प्रबन्ध अभिकरणों से छुटकारा पा जायें तो फिर प्रबन्ध संचालकों से हमें निबटना होगा । उदाहरण के लिये, बैंकों और बीमा कम्पनियों में हमारे यहां प्रबन्ध अभिकर्त्ता नहीं हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि बैंकों और बीमा कम्पनियों के काम में कोई खराबी नहीं है । बहुत सी बीमा कम्पनियों में जो गड़बड़ हो रही है, उसकी समस्या हमारे सामने मौजूद ही है ।

सलेम के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि उद्योग का व्यवसायीकरण करना चाहिये यह एक बहुत अच्छा आदर्श है, बीमा समवायों के सम्बन्ध में हम बिल्कुल यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं यह नहीं कह सकता कि हमें सफलता मिली है । इस के लिये जो परिषद् नियुक्त की गई है वह अभी बीमे के काम में प्रचलित कुछ बुराइयों का हल नहीं निकाल सकी है । अतः भय है कि कहीं हमारी भी स्थिति उस व्यक्ति जैसी न हो जाये जिसे यह पूछने पर कि यह नशा कैसे हुआ उसने पहले पानी में व्हिस्की मिला कर देखी, फिर पानी में जिन मिला कर देखी, और फिर पानी में ब्रांडी मिला कर देखी; तो उसे हर बार नशा चढ़ गया और अन्त में वह इस परिणाम पर पहुंचा कि यह सारा दोष पानी का ही है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों का यही रुख है और उनके लिये सभी बुराइयों का कारण प्रबन्ध अभिकरण ही है ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : क्या इस विषय में सरकार का खुला रुख है और क्या इस प्रश्न के सम्बन्ध में प्रवर समिति में भी यह ऐसा ही रहेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : प्रवर समिति के समक्ष जो प्रश्न जाते हैं, उन सब के विषय में सरकार का खुला रुख है ।

श्री गाडगिल : मैं इस प्रश्न को विशेष रूप से इसलिये पूछ रहा हूं, क्योंकि आप के भाषण को बहुत ध्यान से सुनने के पश्चात् मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि आप इस के विरुद्ध पक्ष तैयार कर रहे हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि सदन के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाये जिस में कुछ उपबन्ध हों, तो सब कुछ सुनने के पश्चात् भी मुझे अपने विचार तो रखने ही चाहियें । सदन के विचार के लिये जो उपबन्ध सामने रखे गये हैं मुझे उन का औचित्य सिद्ध करना ही चाहिये । परन्तु, माननीय सदस्यों को इस विषय में अब भी पूर्ण स्वतंत्रता है । जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास इस विषय में कुछ अधिक प्रमाण नहीं हैं; सम्भव है जब तक प्रवर समिति की बैठक हो हम इस विषय पर काफी अच्छी प्रकार विचार कर लें; निस्स-

न्देह सदन ने इस प्रश्न की ओर और प्रश्नों की अपेक्षा कहीं अधिक ध्यान दिया है ....

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी कहा कि उन्हें स्वयं अपनी इस निर्बलता पर क्रोध आता है, क्या वह यह अनुभव करते हैं कि या तो संसद् उनके पीछे नहीं है अथवा जनता इसके विरुद्ध है जो वह प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त नहीं कर सकते ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार में जब मैंने वैधानिक रचना का उल्लेख किया था तो माननीय सदस्य यहां नहीं थे। हमारा विधि के प्रति समादर और हमारी न्यायपालिका तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं ही, मेरे विचार में, हमारे लिये उन लोगों को अपराध का मज़ा चखाने में कठिनाई उपस्थित कर देती हैं जो कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है। संयुक्त स्कन्ध समवाय के एक पंजीयक की शिकायत पर हम गत पांच मास से, न्यायालय के समक्ष मामला उपस्थित करना तो दूर रहा, उसकी तलाशी भी नहीं ले सके हैं। माननीय सदस्यों को इन बातों पर अवश्य विचार करना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : कौन उत्तरदायी है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं संविधान के लिये उत्तरदायी नहीं हूं; मैं न्यायपालिका के लिये उत्तरदायी नहीं हूं; मैं वकीलों के लिये उत्तरदायी नहीं हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : तो, आप की पुलिस उत्तरदायी है ।

श्री सी० डी० देशमुख : खैर, यदि मेरे माननीय मित्र अपनी निपुण बुद्धि से इन कठिनाइयों पर विजय पाने का कोई उपाय बता सकें तो मैं उन्हें अपना एक साथी समझूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं सदन के समक्ष श्री वल्लाथरास का संशोधन प्रस्तुत करूंगा और उस के बाद मुख्य प्रस्ताव ।

प्रश्न यह है कि :

"इस विधेयक पर ३१ जुलाई, १९५४ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि समवायों तथा कुछ अन्य संस्थाओं सम्बन्धी विधि का एकीकरण तथा संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सदनों के ४९ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिस में इस सदन के ३३ सदस्य, अर्थात् श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री चिमनलाल चाकभाई शाह, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री वी० बी० गांधी, श्री खण्डूभाई कांसनजी देसाई, श्री देव कान्त बरुआ, श्री श्री मन्नारायण अग्रवाल, श्री आर० वेंकटारमन, श्री घमंडी लाल बंसल, श्री राधे श्याम रामकुमार मुरारका, श्री बी० आर० भगत, श्री नित्यानन्द कानूनगो, श्री पूर्णेन्दु शखेर नस्कर, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम चेट्टियार, श्री के० टी० अच्युतन, श्री कोठा रघुराम्या, पंडित चतुर नारायण मालवीय, डा० शौकतुल्ला शाह अन्सारी, श्री टी० सुब्रह्मण्यम, कर्नल बी० एच० ज़ैदी, श्री मूलचन्द दुबे, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, श्री राधेलाल व्यास, श्री सी० आर० चौधरी, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री अमजद अली, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री तुलसीदास किलाचन्द, श्री जी० डी० सोमानी, श्री त्रिदीवकुमार चौधरी तथा प्रस्तावक और परिषद् के १६ सदस्य हों;

[उपाध्यक्ष महोदय]

कि संयुक्त समिति की बैठक के गठन के लिये संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या को गणपूर्त्ति समझा जायेगा;

कि समिति इस सदन को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ;

कि अन्य विषयों में इस सदन के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम लागू होंगे किन्तु उन में अध्यक्ष की इच्छानुसार परिवर्त्तन तथा रूपभेद किया जा सकेगा ; और

कि यह सदन परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और परिषद् द्वारा इस संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सदन के पास भेज दे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सदनों के ४९ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिस में इस सदन के ३३ सदस्य, अर्थात्, श्री नरहर विष्णु गाडगिल, श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर, श्री जोकीम आल्वा, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री राधा चरण शर्मा, श्री शंकर गौड वीरन गौड पाटिल, श्री टेक चन्द, श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल, श्री के० पेरियास्वामी गौंडर, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री झूलन सिन्हा, श्री अहमद मुही-उद्दीन, श्री कैलाश पति सिन्हा, श्री सी० पी० मात्तन, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, श्री रेशम लाल जांगड़े, श्री बसंतकुमार दास, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, श्री रघवीर सहाय, श्री रघुनाथ सिंह, श्री गणपति राम, श्री सैय्यद अहमद, श्री राधारमण, श्री सी० माधव रेड्डी, श्री के० एम० वल्लाथरास, श्री साधन चन्द्र गुप्त, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, सरदार हुक्म सिंह, श्री भवानी सिंह, डा० लंका सुन्दरम्, श्री रायसम शेषगिरी राव, श्री एन० आर० एम० स्वामी तथा डा० कैलाश नाथ काटजू और परिषद् के १६ सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के गठन के लिये संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या को गणपूर्ति समझा जायेगा ;

कि समिति इस सदन को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ;

कि अन्य विषयों में इस सदन के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम लागू होंगे, किन्तु उन में अध्यक्ष की इच्छानुसार परिवर्त्तन तथा रूपभेद किया जा सकेगा; और

कि यह सदन परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और परिषद् द्वारा इस संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सदन के पास भेज दे ।"

मुझे यह मानना पड़ेगा कि मैं आज के दिन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन समझता हूं । मैंने अपने जीवन के अधिकांश वर्ष विधि न्यायालयों में बिताये हैं और विधि के प्रशासन में विशेषतया प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों में जो कठिनाइयां और पेचीदगियां उत्पन्न होती हैं उन्हें अपने दैनिक कार्य में अनुभव किया है । एक चीज़ जो प्रत्येक विधिजीवी को अनुभव हुई है और जिस से हमें बड़ा दुःख पहुंचा है यह है कि विधि न्यायालयों से लोगों को यह प्रेरणा नहीं मिली कि वे

न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के सामने जा कर सच्चा साक्ष्य दें और इस प्रकार न्याय के प्रशासन में सहायता करें। प्रत्येक विधिजीवी तथा और जिस किसी का भी विधि न्यायालयों से काम पड़ता है यही अनुभव करता है कि धोखेबाज़ी फलती-फूलती है। यह तो नैतिकतावादियों तथा लोक अन्तःकरण का विषय है और मैं यह जानता हूं कि इस सम्बन्ध में विधान कुछ नहीं कर सकता। मैं इस सदन, इस सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न संसद से यह अनुरोध करता हूं कि वह विधि न्यायालयों के वायु-मण्डल को शुद्ध करने के लिये यथाशक्ति कठोर से कठोर उपाय करे।

दूसरी बात यह है। कई कारणों से ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है——यह बात नहीं कि इसकी प्रक्रिया पेचीदा है——प्रक्रिया किसी प्रकार पेचीदा होती जा रही है। यह विलम्बकारी और खर्चीली होती जा रही है। सम्भव है अपराधी व्यक्ति जिन्हें विधि न्यायालयों में जाना पड़ता हो उस दुर्दिन को टालने के लिये स्वयं कार्यवाही को लम्बा करना चाहते हों। परन्तु परिणाम फिर भी वही है। यह अत्यधिक खर्चीली और विलम्बकारी है। इन सब वर्षों में और अधिकांशतया गत दो वर्षों में मैं गांव के लोगों से और नगर के लोगों से मिला हूं जिनका विधि न्यायालयों से विशेषतया व्यवहार पक्ष की ओर से विश्वास उठता हुआ प्रतीत होता है। वे यह कहते हैं कि दावा करने से क्या लाभ ; डिक्री करवाने में तीन वर्ष लग जाते हैं और उसे क्रियान्वित करवाने में पांच वर्ष और लग जाते हैं। हम न्यायालय में जाने की अपेक्षा इसे न्यायालय से बाहर ही निबटा लेंगे। दण्ड सम्बन्धी न्याय की प्रक्रिया, कई कारणों से बहुत ही जटिल है। मजिस्ट्रेटों के सामने मामलों को महीनों लग जाते हैं और सत्र न्यायालय में तो एक या दो वर्ष लग जाते हैं। छूटने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। मैं नहीं जानता कि इस विषय में इस सिद्धान्त से किसी का मतभेद हो सकता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिये और दोषी व्यक्ति को बचने नहीं देना चाहिये। पुलिस यह कहती है कि वह भरसक प्रयत्न करती है।

न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट यह कहते हैं कि वे स्वतंत्र हैं और वे राज्य तथा नागरिक के मध्य न्याय करते हैं। इस का परिणाम यह है कि सामान्यतया सत्र न्यायालयों के समक्ष अभियोग चलाये गये १०० व्यक्तियों में से ७५ व्यक्ति छूट जाते हैं और दण्डित व्यक्तियों में से कम से कम एक-तिहाई उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ दिये जाते हैं। हमें इन बातों को ठीक करना है।

इस से पूर्व कि मैं इस की मुख्य बातों को लूं, एक संशोधन है जिस में सदन से यह प्रेरणा की गई है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। सम्भव है ऐसी कुछ आशंका हो कि लोगों से इस के सम्बन्ध में अच्छी प्रकार परामर्श नहीं किया गया। मैं आरंभ में ही इस विषय में आपको तथ्यों को बता देना चाहता हूं और इस विषय में वस्तुतः जो कुछ किया गया है वह भी बता देना चाहता हूं। इस का इतिहास यह है कि ब्रिटिश भारत के रूप में सारे भारत पर लागू होने वाली प्रथम दण्ड प्रक्रिया संहिता १८६१ में बनाई गई थी। उससे पहले बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा अन्यत्र बहुत से विनियम प्रचलित थे और प्रक्रिया बड़ी लम्बी चौड़ी थी एक प्रक्रिया प्रेसिडेन्सी नगरों पर जो अंग्रेजी प्रक्रिया का अनुसरण करते थे, लागू होती थी, दूसरी प्रक्रिया निज़ामत अदालतों के लिये और ईस्ट इंडिया कम्पनी के न्यायालयों के लिये थी और इसी प्रकार और थीं। १८६१ की दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस सब को संहिता बद्ध कर दिया गया और औपचारिक बना दिया गया। और लगभग उसी समय हमारी इन दो बड़ी संहिताओं व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा दण्ड

[डा० काटजू]

संहिता में सुधार पारित किये गये । इस दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभी तक कोई बड़ा परिवर्त्तन नहीं हुआ है ।

यह ठीक है कि प्रक्रिया संहिता जो आजकल चालू है, प्रक्रिया संहिता १८९८ के नाम से प्रचलित है किन्तु उसके बाद से इसमें अधिक परिवर्त्तन नहीं किये गये हैं । सन् १८७२, १८८२ तथा अंतिम बार सन् १९२३ में कुछ संशोधन अधिनियम पारित किये गये थे । मेरा विचार है कि ९२ वर्ष के बाद यह सदन ही सम्पूर्ण प्रक्रिया संहिता पर इतने व्यापक एवं पूर्ण रूप से विचार कर रही है । सन् १९५१ में पंजाब सरकार ने एक संदेश भेजा जिसमें कुछ सुझाव थे, उन्होंने कहा था कि सैशन सुपुर्द करने की कार्यवाही निकाल देनी चाहिये । सीधे सीधे सैशन में मुकद्दमा होना चाहिए, वारंट तथा समन प्रक्रिया भी सीधे रूप में हों । गृह मंत्रालय ने यह पत्र सभी राज्य सरकारों को भेजा, और इस सम्बन्ध म हमारे पास काफ़ी जानकारी इकट्ठी हो गई है । २७ राज्यों में से २४ राज्यों ने अपने उत्तर भेज दिये हैं । १६ उच्चन्यायालयों में से ११ न्यायालयों ने भी अपने उत्तर प्रेषित कर दिये हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : क्या किसी विधिजीवी संघ अथवा विधिजीवी परिषद् से भी परामर्श लिया गया था ?

डा० काटजू : कुछ राज्य सरकारों ने यहां के न्यायालयों के न्यायाधीशों, विधिजीवी संघ तथा विधिजीवियों आदि का मत लेकर एवं उसे संलग्न करके विस्तृत उत्तर भेजे थे । जनवरी १९५३ में गृह मंत्रालय ने जो पत्र भेजा था वह बड़ा विस्तृत था और सभी राज्य सरकारों का मत मांगा गया था । उनसे प्रार्थना की गई थी कि वे उच्च-न्यायालयों विधिजीवी संघ जिला-न्यायाधीश,—प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति से मत लें—और बहुत से उत्तर इस सम्बन्ध में हमारे पास आये । प्रत्येक राज्य सरकार ने सम्पूर्ण तथ्यों का उत्तर देते हुए उत्तर भेजे । बम्बई से १५ ज़िला न्यायाधीश, तथा १८ विधिजीवी संघों के उत्तर अलग से मिले तथा मद्रास से ७ ज़िला दंडाधिकारी, तथा कुछ विधिजीवी संघों ने भी अपने उत्तर भेजे । पिछले अगस्त मास में एक गैर सरकारी सदस्य के विधेयक की चर्चा के दौरान में एक प्रश्न उठाया गया था कि असेसर तथा जूरी के द्वारा पेशी की प्रथा को समाप्त कर दिया जाय तब मैंने एक वक्तव्य में कहा था कि मैं दिसम्बर मास में इस सम्बन्ध में एक विधेयक सदन में प्रस्तुत करूंगा । व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता के बारे में मैंने एक ज्ञापन तैयार किया है जो काफ़ी बड़ा हो गया है । उच्चतम-न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, सभी मुख्य न्यायाधिपतियों, राज्य सरकारों के सभी मुख्य मंत्रियों, राज्यपालों, सभी महाधिवक्ताओं को उनका मत जानने के लिये मैंने ज्ञापन भेजा, यहां तक माननीय मित्र श्री चटर्जी तथा अन्य मित्रों को भी यह ज्ञापन भेजा था । उनके उत्तर भी मुझे मिले जिनके लिए मैं उनका आभारी हूं । ७५ गण-मान्य व्यक्तियों को मैंने ज्ञापन भेजा था जिसमें से ५२ ने अपने उत्तर भेज दिये हैं । जनवरी १९५३ के पत्र, पंजाब सरकार के प्रस्तावों, तथा इस ज्ञापन के उत्तर में जो तथ्य हमें मिले हैं उनके आधार पर हमने विधेयक तैयार किया है और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के आधार पर जो भारत सरकार के पत्र में प्रकाशित भी हो गया है । गत दिसम्बर में यह सब कुछ हुआ । गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया कि वे अपनी अपनी सरकारों के पत्रों में इस विधेयक को ज्यों का त्यों प्रकाशित करा दें । उनसे यह भी कहा कि इस विषय से रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के

मत से भी हमें अवगत करायें। दिसम्बर और अप्रैल के बीच हमें २०७ उत्तर मिले हैं जिनमें ५६ विधि-जीवी संघ, २१ महाधिवक्ताओं ने व्यक्तिगतरूप में, ६६ सत्र-न्यायाधीश, तथा जिला न्यायाधीश, ३० जिला दंडाधिकारी, १९ राज्य सरकारों के पत्र तथा १५ उच्च न्यायालय सम्मिलित हैं। प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण करने पर हमने देखा कि अधिकतर उत्तर तो विधेयक में निहित प्रस्तावों के बारे में है तथा कुछ उन बातों के सम्बन्ध में हैं जिनका उल्लेख विधेयक में नहीं है। हमने उन पर विचार किया और कुछ ठोस सुझावों को हमने मान लिया। कुछ ठोस संशोधनों के आधार पर हमने विधेयक के प्रस्तावों में परिवर्त्तन कर दिया। अतः सदन के सम्मुख जो विधेयक आज प्रस्तुत है कुछ बातों को छोड़कर वह बहुत कुछ वही है जो दिसम्बर में प्रकाशित हुआ था। या तो विधेयक में निहित कुछ प्रस्तावों में इधर उधर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है अथवा प्राप्त आलोचनाओं के आधार पर कुछ बातें और जोड़ दी गई हैं।

अतः मेरा नम्र निवेदन यह है कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह विधेयक जल्दी में बनाया गया है अथवा उपयुक्त व्यक्तियों से परामर्श नहीं लिया गया है। मेरा विश्वास है कि प्राप्त सम्मतियों के आधार पर जो कुछ भी हम अधिक से अधिक कर सकते थे वह हमने किया है; और लगभग दो वर्ष के विचारोपरांत यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है।

यदि यह विधेयक मैं दिसम्बर के मध्य में प्रस्तुत कर सकता तो सदन से स्वयं ही यह प्रार्थना करता कि जनमत जानने के लिये इसे प्रसारित किया जाय किन्तु उन दिनों व्यवस्थापिका का कार्य बहुत था। अतः यह सोचा कि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लेकर इसे प्रकाशित करा दिया जाय और इन तीन चार महीनों में जनता का मत इसके प्रस्तावों के सम्बंध में प्राप्त कर लिया जाय ताकि औपचारिक रूप से जनमत जानने की क्रिया से विमुक्त हो जायं।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी): माननीय मंत्री का कहना है कि तीन चार महीने पूर्व विधेयक प्रकाशित कराके जनमत के लिये प्रसारित करा दिया गया था मैं समझता हूं कि जनता की ओर से उनके पास काफ़ी सम्मतियां आई होंगी, क्या कृपा करके उन सम्मतियों का संचित विवरण सदन तथा प्रवर समिति को देंगे? उन सम्मतियों को प्राप्त करके सदन को प्रसन्नता ही होगी।

डा० काटजू: माननीय सदस्य के सुझाव के लिये मैं उनका आभारी हूं। मैंने भी यह सोचा था। सन् १९५१ से लेकर अब तक इस विधेयक के सम्बन्ध में जितनी भी सम्मितियां आई हैं उनको पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित कराने का आदेश मैंने दे दिया है। जैसा कि मैंने अगस्त में भी कहा था और अब भी कहता हूं कि मैं इस विधेयक को किसी दलगत भावना के विचार से प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। दंडिक न्याय के प्रशासन में हम सभी लोग अत्यधिक रुचि रखते हैं। इसका सम्बन्ध तो ३६ करोड़ जनता से है, संसद के प्रत्येक सदस्य की योग्यता के आधार पर इसे पूरा बनाने के उद्देश्य से हम लोग इस कार्य में लगे हैं। अतः उनमें से न तो कुछ छोड़ा जायगा और न कुछ निकाला जायगा और मैं आशा करता हूं कि जबतक प्रवर समिति अपना कार्य प्रारम्भ करेगी उस समय तक ये समितियां पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो जायगी। उसकी प्रतिलिपि पुस्तकालय में रख दूंगा ताकि संसद के प्रत्येक सदस्य उसे देख सकें।

श्री एन० सी० चटर्जी: यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसकी एक एक प्रतिलिपि हमें दी जानी चाहिये।

डा० काटजू : प्रत्येक सदस्य को इसकी एक एक प्रति दी जायगी । इसके प्रकाशन के लिये मैंने आदेश दे दिये हैं, और यह प्रेस में है । यह एक महत्वपूर्ण मामला है । मेरा विचार है कि उच्च न्यायाधीशों, छोटे छोटे सत्र न्यायाधीशों, तथा विधि जीवियों, महाधिवक्ताओं की सम्मतियां प्रत्येक संसद सदस्य अपने पास रखे ।

इसका एक इतिहास है । बड़े विस्तार के साथ मैंने इसे तैयार किया है ताकि कोई यह न कह सके कि यह जल्दी में तैयार किया गया है अथवा एक व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क की देन है । इसके तैयार करने में जो सहायता मुझे मिली है उसके लिये मैं उन सभी का आभारी हूं । हमने इसे ऐसे रूप में तैयार किया है जिस में प्रत्येक नागरिक का हित निहित है ।

हमें इसकी पृष्ठभूमि पर विचार करना होगा । पिछले १२ या १६ महीनों में और अपने विधि-जीवी काल में सदैव ही मैंने इस बात पर विचार किया है कि यह मिथ्या शपथ किस प्रकार बन्द की जाय। इसमें हम कमी कर सकते हैं । एक व्यक्ति के रिश्तेदार या उसके साथी आकर झूंठ बोल जायं वह तो बात दूसरी है किन्तु एक सामान्य नागरिक ऐसा क्यों करे ? हमें भारत के उस प्राचीन गौरव को फिर से लौटाना है कि यहां के व्यक्ति सत्य प्रिय हैं ।

अदालती पंचायतों से विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक राज्य के विधान में अदालती पंचायतें अब एक सामान्य बात हो गई है । मैंने सोचा था कि इनकी चर्चा भी विधेयक में करूं किन्तु यह सोचकर कि प्रत्येक राज्य में इनकी स्थापना करने के सम्बन्ध में विधान है अतः इसे छोड़ दिया । कुछ अन्तर अवश्य है । मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें अपनी स्थानीय स्थितियों का ध्यान रखती हैं और उन्हीं के अनुसार उन्नति करती हैं । मैं जानता हूं कि अदालती पंचायतों के महत्व के बारे में विभिन्न मत हैं । दोनों पक्षों की सम्मतियां मैंने सुनी हैं । छोटे छोटे अभियोग २००) तक के व्यवहारिक अभियोग, तथा छोटे छोटे अपराध, छोटे छोटे आक्रमण––थोड़ी मारपीट हो जाय और कुछ न हो––ये सभी मामले गांव में तै हो सकते हैं । यदि आप २००) का मामला अदालत में लाते हैं तो और कुछ करने से पूर्व २०) तो आपको प्रारम्भ ही में न्यायालय शुल्क के रूप में देने पड़ते हैं । गावों में पंचायतों द्वारा ऐसे निर्णय बिना कुछ लिये दिये ही हो जाते हैं । अधिक कुछ न कह कर इतना ही कहूंगा कि सामान्यतः इन पंचायतों का न्याय उच्च प्रकार का है । यह हो सकता है कि कहीं की पंचायतें असंतोषजनक हों, उनमें भ्रष्टाचार हो, अनियमितताएं हों । यदि किसी ग्राम विशेष में आपसी मन मुटाव है तो हो सकता है कि न्याय पक्षपात पूर्ण भावना से हो । इस प्रकार की पंचायतें कहीं कहीं मिल सकती हैं । किन्तु अधिकांशतः ये पंचायतें वरदान के रूप में सिद्ध हुई हैं ।

केवल चार महीने पहले मैं मध्यभारत भोपाल आदि स्थानों में दौरा करने गया । वहां के पंच मुझसे मिले । मैंने जब उनसे पंचायतों के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि वे बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें न्यायालयों में नहीं जाना पड़ता । यदि सामान्य आपराधिक मामले में उन्हें न्यायालय जाना पड़े तो सैकड़ों रुपए खर्च हो जायें ।

अब मैं विधेयक के दूसरे पहलू पर आता हूं––वह है ज्यूरी और असेसरों द्वारा न्याय निर्णय । इस पर सब एकमत हैं कि इस प्रकार का न्याय अब उपयोगी नहीं रहा । लोग इस पद्धति को समाप्त करने के पक्ष में हैं । इस सदन के कुछ सदस्य––जैसे श्री चटर्जी, इस पद्धति को उपयोगी समझते हैं । अन्य प्रान्तों में जैसे पंजाब में और गोरखपुर में ज्यूरी के

द्वारा कभी न्याय नहीं हुआ। जिन लोगों को ज्यूरी के पद्धति से वास्ता नहीं पड़ा वे कह देते हैं कि न्याय सभ्य भ्रष्ट होते हैं। यदि ७५ प्रतिशत मामले में अपाराधी छोड़ दिये जाते हैं तो सत्र न्यायाधीश की प्रशंसा की जाती है परन्तु यदि न्यायासभ्य ७५ प्रतिशत मामलों में अपराधियों को छोड़ देते हैं तो उन्हें भ्रष्ट कहा जाता है। मेरा विचार तो यह है कि लोग न्यायालयों को अपने न्यायालय नहीं समझते। यदि आप न्यायालय का प्रशासन ठीक करना चाहते हैं, कूट साक्ष्य का दोष मिटाना चाहते हैं तो लोगों में यह भावना होना आवश्यक है कि न्यायालय उनके अपने हैं और न्याय के सम्बन्ध में उनके सहयोग की आवश्यकता है। संसद में जो कानून बनते हैं उसे जनता किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा बनाये गये कानून नहीं समझती। कानून उनके द्वारा निर्वाचित लोग बनाते हैं और इसका उन्हें गर्व है। इस तरह यदि न्याय व्यवस्था में अच्छे लोगों का सहयोग प्राप्त कर लिया जाये तो लोगों को इसका स्वागत करना चाहिये। यदि आप इंगलेंड के अच्छे वकीलों और न्यायाधीशों की जीवनियां पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने ब्रिटिश न्यायसभ्यों की स्वतंत्रता बनाये रखने के सम्बन्ध में बहुत प्रशंसा की है। अपराधी व्यक्ति का छूट जाना इतना ही खराब है जितना कि निरपराधी व्यक्ति का दंडित होना। मेरी राय है कि विधि व्यस्था में सम्परिवर्तन किये जायें जिससे न्यायसभ्यों के चुनाव का विनियमन किया सके। वे शिक्षित हों तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाये। उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाये जैसा कि ब्रिटिश न्याय सभ्यों के साथ किया जाता है।

तब आपको न्याय प्रशासन में सुधार दिखाई देगा। प्रस्तुत विधि के अधीन स्थिति इस प्रकार है कि यदि असेसर जाते हैं तो मुकदमे की सुनवाई या तो अकेला बैठा हुआ न्यायाधीश करेगा अथवा जूरी की सहायता से होगा। या तो न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की सुनवाई होगी या जूरी द्वारा होगी। इस बात का निर्णय राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वह जूरी पद्धति पसन्द करे अथवा नहीं। पंजाब में जूरी पद्धति नहीं है और इसे रखना अथवा न रखना पंजाब सरकार की इच्छा पर है। बंगाल में लोग जूरी पद्धति से संतुष्ट हैं अतः यह वहां चल सकती है। हमने विधि को अपनी यथावत् अवस्था में रख दिया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिये निर्णय करने का अधिकार है। मैं बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आभारी हूं। उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं। जिन्हें हम ने विधेयक में सम्मिलित कर लिया है। इस विषय में मैं भी लम्बे समय से विचार कर रहा था—उदाहरण के लिये डकैती का मामला है जिसमें लगभग २५ अभियुक्त हैं, १५० गवाह हैं, न्यायालय में प्रदर्शित की गई ३०० वस्तुएं हैं और मुकदमा पांच महीने तक चलता है—साधारण जूरी के लिये इन सब बातों का याद रखना बहुत कठिन है। बम्बई उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि यदि सेशन में सुनवाई बम्बई में विचाराधीन है, जहां जूरी पद्धति प्रचलित है, तो प्रार्थनापत्र देने पर अथवा स्वयं अपनी ही ओर से, इस आशय से संतुष्ट हो जाने पर कि साक्ष्य का स्वरूप और मामला पेचीदा है, उच्च-न्यायालय उस मामले की सुनवाई अकेले न्यायाधीश से करा सकता है और उसे जूरी पद्धति हटाने का अधिकार है। हमने इस व्यवस्था को विधेयक में सम्मिलित कर लिया है। जहां तक जूरी का सम्बन्ध है विधेयक उसे अपनी पूर्व दशा में ही बनाये रखता है। असेसरों को भी अलग होना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप में, जूरी पद्धति का विस्तार किया जाकर जिस दिन जनता उसे अपनायेगी वह मेरे लिये अत्यंत प्रसन्नता का दिन होगा। वस्तुतः यह विचित्र बात है कि स्वातंत्र्य प्राप्ति के दिन तक सम्पूर्ण भारत में कांग्रस और हमारे

[डा० काटजू]

राष्ट्रीय नेता भारत में जूरी पद्धति की स्थापना के लिय प्रचार एवं प्रयत्न का प्रस्ताव पास कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में मांटेग्यू-चेम्सफोड सुधार के तुरंत बाद नवीन विधान परिषदों का प्रादुर्भाव हुआ और प्रस्ताव पास किये गये कि जूरी पद्धति स्थापित की जानी चाहिये। एक के बाद दूसरी समिति नियुक्त की गई और इस संबंध में भारतीय जनता के मत ने इतना प्रबलरूप धारण किया कि उन्होंने इसे आरम्भ कर दिया। आज, उत्तर प्रदेश के छै जिलों में जूरी पद्धति चालू है और कुछ मामलों में, अकेले जूरी द्वारा मामलों पर विचार किया जाता है लेकिन स्वतंत्रता के बाद मेरी समझ में नहीं आता कि यह रूप-परिवर्तन क्यों हो गया। भारतीय विधिवेत्ता की राय में, विधिजीवीयों और न्यायाधीशों की राय में जूरी उत्तरदायित्वहीन हो गयी है इसलिये इस पद्धति को समाप्त कर देना चाहिये। व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रसन्नता होगी यदि संसद यह निर्णय करले कि सेशन के प्रत्येक मामले पर जूरी की सहायता से विचार किया जाये। लेकिन मैं अभी केवल मख्य मख्य परिवर्तनों की चर्चा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या विधेयक में हत्या के मामलों के लिये जूरी पद्धति को प्रतिपादित किया गया है? अभी तक हत्या के मामलों में जूरी नहीं थी अपितु केवल असेसर थे।

डा० काटजू : जहां तक विधेयक का संबंध है उसमें जूरी के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जहां कहीं भी जूरी पद्धति है हत्या के मामलों में यह जारी रहेगी। बंगाल और आसाम में हत्या के प्रत्येक मामले के लिये जूरी पद्धति है। उत्तर प्रदेश में साधारण मामले जूरी के सामने जाते हैं, दूसरे नहीं। बहुधा ऐसा होता है कि दो प्रकार के आरोप हैं: पहले का सम्बन्ध हत्या से है और उसी व्यक्ति के विरुद्ध मृत्य व्यक्ति के शरीर को छिपाने अथवा बिना लायसेंस हथियार रखने के सम्बंध में दूसरा आरोप है। अतः मामले के एक भाग की सुनवाई असेसर करते हैं और दूसरे की सुनवाई जूरी द्वारा की जाती है। जो पांच व्यक्ति जूरी का काम करते हैं वही असेसरों की हैसियत से भी काम करते हैं। यह स्थिति, जैसी भी हो, ज्यों की त्यों रखी गई है। हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकारें अपनी इच्छानसार कर सकती हैं। माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वह प्रवर समिति अथवा खुले सत्र में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं।

हम सेशन सुपुर्द करने की कार्यवाही समाप्त करने का एक उल्लेखनीय परिवर्तन कर रहे हैं। मेरा विचार है कि प्रत्येक वकील का यह अनुभव है कि सेशन सुपुर्दगी की कार्यवाही में पर्याप्त समय लगता है। पहले पुलिस द्वारा जांच होती है। इसमें दो सप्ताह, छः सप्ताह अथवा पांच महीने तक लग जाते हैं। यह सब मामले की पेचीदगी और साक्ष्य की संख्या पर निर्भर है। अभियक्त को आरोप पत्र देने के पश्चात् वह मैजिस्ट्रेट के सामने जाता है। मैंने मैजिस्ट्रेटों के सामने पांच महीने, छै महीने, आठ महीने तक एक ही मकद्मे की सुनवाई होती देखी है।

एक माननीय सदस्य : दो वर्ष।

डा० काटजू : माननीय मित्र का कथन है कि दो-दो वर्ष तक मुकदमे की सुनवाई होती है और याद रखिये कि सुनवाई लम्बी होने का नतीजा बहुत खराब होता है। एक खराब नतीजा यह होता है कि बेईमान अपराधी गवाहों को अपनी ओर मिलाता है। कई बार गवाह ईमानदार होते हैं। लेकिन स्मृति धुंधली हो जाती है, इसके बाद जिरह होती है,

विसंगति उत्पन्न हो जाती है, साक्ष्य दृढ़ता खो देता है और सारे मामले का परिणाम होता है, अपराधी का दोषमुक्त कर दिया जाना।

सेशन सुपुर्दगी कार्यवाही का उद्देश्य अपराधी को अपने कसूर से पूर्ण परिचित कराना था, पूर्ण परिचिति का अर्थ है समस्त साक्ष्य—लेख्यसाक्ष्य तथा साक्षी का। हमने निश्चय कर लिया है कि यह सब उसे उपलब्ध कराना चाहिये। प्रथम सूचना प्रतिवेदन से मामला आरम्भ होता है, और यदि हत्या का मामला है तो मृत्य-कारण जानने के लिये शव-परीक्षा की रिपोर्ट, केमीकल परीक्षक की रिपोर्ट, फिर पुलिस की दैनिक विवरण-पत्रिका आती है। सदन को याद होगा कि अब पुलिस पदाधिकारी को यह अधिकार है, यदि वह चाहे, कि वह प्रत्येक साक्षी के विवरण को मैजिस्ट्रेट से रिकार्ड कराये। यह पूर्ण रूप से उसके विवेक पर आश्रित है। सामान्यतया वह ऐसा करता है कि यदि किसी साक्षी के विषय में उसे कुछ सन्देह है, रिश्तेदारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण उसके मुकर जाने की आशा है तो वह उसे मैजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसके कथन को रिकार्ड करवा लेता है, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक डायरी में लिखे बयान का सम्बंध है यह पुलिस की लेखनी में होता है; उस पर साक्षी के हस्ताक्षर नहीं होते। यह साक्ष्य का भाग नहीं है।

हमने इसका उपबंध गवाहों को बांध देने के अभिप्राय से नहीं, लेकिन साक्ष्य को उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया है। जांच के दरम्यान पुलिस अधिकारी को जब कभी यह मालूम हो कि गवाह आवश्यक हैं तो उन्हें कोर्ट में उपस्थित करना पड़ेगा। पहले वह पुलिस की डायरी में नोट लिखता है उसके बाद गवाह के उस बयान पर मैजिस्ट्रेट के सामने निर्बन्ध वातावरण में गवाह से हस्ताक्षर करा लेना पड़ता है। परिणाम यह होगा कि आपके सम्पूर्ण लेख्यसाक्ष्य मिल जाता है—मौखिक साक्ष्य और अन्य आवश्यक साक्ष्य। हमारा विचार है कि उक्त प्रलेख की प्रतिलिपियां शीघ्र ही अपराधी को दी जायें ताकि उसे अच्छी तरह मालूम हो जाये कि उसे किस बात का सामना करना है। आरोप पत्र तैयार हो जाने पर यह प्रकट हो जाता है कि किस साक्ष्य के आधार पर उस पर दोष लगाया गया है। सेशन सुपुर्द करने की कार्यवाही में जब मैजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को रिहा कर देता है तो इसका कारण साक्ष्य का अभाव नहीं है। इसका कारण मैजिस्ट्रेट की सम्मति में साक्ष्य का विश्वसनीय न होना है। उक्त विशिष्ट अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य नगण्य-सा है और यह नगण्य साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। हमने जो कुछ किया वह इस प्रकार है। पुलिस द्वारा संग्रहीत आरोप पत्र, सम्पूर्ण साक्ष्य सहित, मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जायेगा। वह उसे पढ़ेगा और उसे यह मालूम होगा कि केवल मैजिस्ट्रेट के सामने इसकी सुनवाई की आवश्यकता है तो वह उसे मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। यदि उसका विचार है कि इस पर सेशन के न्यायाधीश द्वारा विचार करने की आवश्यकता है तो अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दोषों की पूर्ण जानकारी देने के लिये वह एक खाका बनाकर पत्र भेज देगा। मैंने अभी कहा कि प्रस्तुत विधेयक पर हमें २०७ सम्मतियां प्राप्त हुई हैं और सेशन सुपुर्दगी की कार्यवाही समाप्त करने के विरोध में १२ सम्मतियां थीं। यदि मेरी स्मरण शक्ति सही है, तो पंजाब के सभी न्यायाधीशों का विचार है कि इससे कोई लाभ नहीं होता है। जहां तक रिहा करने का सम्बन्ध है प्रवर समिति इस पर विस्तार पूर्वक विचार करेगी। मैं नहीं समझता कि दोषमुक्ति की संख्या एक या दो प्रतिशत से अधिक है; और यह व्यक्ति वस्तुतः दोषी

[डा० काटजू]

नहीं हैं लेकिन अभियुक्तों के संसर्ग के कारण फंस जाते हैं ।

मेरा विश्वास है, माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि वर्तमान प्रक्रिया के अधीन ज्योंही साक्षी को अभियोग की कार्यवाही के समक्ष उपस्थित किया जाता है, यदि वह इच्छा प्रकट करे, तो उस व्यक्ति का बयान और पुलिस डायरियों में साक्षी के बयान भी उसे दिये जाते हैं । न्यायालय को अधिकार है कि वह अभियुक्त को उस बयान की प्रतिलिपि देने से इंकार कर दे जिसका उससे कोई संबंध नहीं है, जो आवश्यक नहीं अथवा जिसे सुरक्षा की दृष्टि से वापस रख लेना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : (गुड़गांव) जांच के नोट और साक्षी के रिकार्ड किये गये बयान अभियुक्त को मुहैया किये जायेंगे अथवा नहीं । हमें ठीक ठीक बताइये कि वास्तव में क्या मुहैया किया जाता है ?

डा० काटजू : यदि आप पूरी पुलिस रिपोर्ट देखना चाहें तो इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी ।

श्री एस० एस० मोरे : इसका निर्णय कौन करेगा ?

डा० काटजू : न्यायाधीश इसका निर्णायक है । पूरे मामले की ओर देखना न्यायाधीश का काम है (**अन्तर्बाधा**)

सभाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को कहने दीजिये ।

डा० काटजू : जहां तक इस बात का संबंध है हम इस बात के लिये उत्सुक हैं कि सेशन में सुनवाई होने के पहले अभियुक्त को पूरी पूरी संभव जानकारी उपलब्ध कराई जाये । आज जबकि सेशन सुपुर्दगी कार्यवाही प्रचलित है उसे क्या मिलता है ? मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रत्येक साक्षी की जांच की जाती है । उसे इसकी प्रतिलिपि मिलती है । इसके अतिरिक्त वह पुलिस डायरी में लिखे हुए साक्षी के बायान को जानने का भी अधिकारी है । उसे पूरी डायरी को देखने का अधिकार नहीं है । वकील न्यायाधीश के सामने सुझाव रख सकता है। क्या आप कृपा करके डायरी की ओर दृष्टिपात करेंगे ? प्रत्येक सेशन के न्यायाधीश के सामने यह रहती है और वह पूरी रिपोर्ट पढ़ता है लेकिन अभियुक्त इसे देखने का अधिकारी नहीं है । हमने यह अधिकार उसे नहीं दिया है । उसे यह जानने का अधिकार है कि साक्षी क्या कह रहा है; इससे अधिक नहीं ।

एक माननीय सदस्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रक्रिया का सेशन के मामलों में ही अनुसरण किया जाता है अथवा सब मामलों में ऐसा किया जाता है ।

डा० काटजू : मैं वारंट केस की चर्चा कर रहा हूं । अभी मैं सेशन सुपुर्दगी की कार्यवाही पर बोल रहा था सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने सम्बंधी कार्यवाही का उद्देश्य अभियुक्त को इस बात की जानकारी कराना है कि अभियोक्ता पक्ष ने उस पर क्या मुकदमा चलाया है तथा इस सम्बन्ध में साक्ष्य क्या है । उसे यही जानना है, तथा हम चाहते हैं कि उसे यह जानने के लिये प्रतियां उपलब्ध की जायें ।

मुझे आशा है कि राज्य सरकारें इस बात की ओर ध्यान दें कि पुलिस तहकीकात यथासम्भव शीघ्रता से पूर्ण हो । वैसे तो मैं यह चाहता हूं कि यह ज्यादा से ज्यादा दो महीने हो, रहे, परन्तु इससे पुलिस कर्मचारियों पर काम का ज्यादा दबाव पड़ेगा । जहां कहीं भी मैं गया मैंने लोगों को कहते सुना : आप विलम्ब की शिकायत क्यों कर रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता इसके लिये जिम्मेदार हो, परन्तु इसका मुख्य कारण कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या है—पुलिस कर्मचारियों की अपर्याप्तता तथा दंडाधीशों

से सम्बन्धित कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या। मैंने बेचारे दंडाधीशों (मैजिस्ट्रेटों) के बारे में बहुत कुछ सुना। वह जांच करता है, उसके सामने बहुत से मामले पड़े रहते हैं, उसे सामुदायिक परियोजनाओं, आदि पर भी निगरानी रखनी पड़ती है। फिर केंद्रीय मंत्री तथा राज्य सरकारों के मंत्री तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां जाते हैं। उसे उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि मामले उपस्थगित किये जाते हैं। मुझे आशा है कि जब इस विधेयक को अधिनियमित किया जायगा तो राज्य सरकारें इस बात की ओर ध्यान देंगी कि मामलों के निपटारे के लिये एक दंडाधीश हो जिसे फौजदारी मुकदमों के निपटारे के अलावा और कोई काम नहीं करना पड़े।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : उन मुकदमों के बारे में आप क्या कहते हैं जिनकी सुनवाई केवल सत्र न्यायालय तक ही सीमित नहीं ? कोई मामला दंडाधीश के समक्ष पेश होता है, तथा वह समझता है कि इसे अधिक दंड के लिए दूसरे न्यायालय के सुपुर्द किया जाना चाहिये। ऐसी दशा में क्या होगा ?

डा० काटजू : मामला सत्र न्यायाधीश के पास भेजा जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब हम एक संहिता तैयार कर रहे हों तो हमें सामान्य मामलों को ध्यान में रखते हुये काम करना चाहिये, न कि विशेष मामलों को। मैं इस पहलू पर भी चर्चा करूंगा। मुख्य बात सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में है। कार्यवाही की अवधि बहुत कम हो जायेगी।

जब हम इस मामले पर विचार कर रहे होंगे तो हमें यह बात याद रखनी होगी कि इस तरह की कार्यवाहियों में न केवल समय नष्ट हो जाता है अपितु अभियुक्तों का, जो कि प्रायः निर्धन होते हैं, पैसा भी बर्बाद हो जाता है। मुझे मालूम है कि एक मामले में एक पतिव्रता पत्नी को अपने सारे जेवर बेचने पड़े ताकि उसके पति की ओर से सुव्यवस्थित सफाई पेश की जा सके। सत्र न्यायालय के सुपुर्द करने की इस अनावश्यक कार्यवाही को खत्म करके आप समय भी बचाते हैं। तथा उन गरीब लोगों का पैसा भी बचा सकते हैं। यदि वह अपराधी है तो उसे शीघ्र दंड मिलना चाहिये और यदि वह निर्दोष है तो उसका भी शीघ्र फैसला हो जाना चाहिये। यदि फांसी देनी है तो उसे यह जल्दी मिलनी चाहिये ताकि उसके परिवार के पास गुजारे के लिए कुछ पैसा रह जाये। एक हत्यारे को मृत्युदंड से बचाने के लिये क्यों अनावश्यक रूप में पैसा नष्ट किया जाये ? उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह एक स्वस्थ प्रस्थापना है। वास्तव में पंजाब सरकार ने १९५१ में इसकी प्रस्थापना की थी तथा सभी राज्य सरकारों ने इसका समर्थन किया था।

हम ने इस बात पर ध्यान देने के लिए न्यायाधीश को पूर्ण स्वविवेक दिया है कि कहीं अभियुक्त घाटे में न रहे। उदाहरणतः एक धारा गवाहों पर जिरह करने का उपबन्ध करती है। सफाई पक्ष का वकील यह कह सकता है कि श्रीमान्, अमुक बात के सम्बन्ध में तीन गवाह हैं। क्या आप मुझे गवाह 'क' पर जिस ने कि अभी गवाही दी है, जिरह करने की अनुमति दे सकते हैं जब तक कि दूसरे गवाह अपनी गवाही दे देंगे। यह मामला न्यायाधीश पर छोड़ दिया गया है। वह विशिष्ट मामलों में जिरह विनियमित अथवा उपस्थगित कर सकता है ताकि अभियुक्त घाटे में न रहे।

मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब कि सत्र न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई

[डा० काटजू]

दो महीनों में समाप्त होगी । यदि यह मृत्युदंड का मामला होगा तो इसका उच्च-न्यायालय द्वारा पुष्टिकरण कराना होगा । यहां भी मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब कि उच्चन्यायालय केवल दो महीने लगायेगा । कई मामलों में तो महीनों लगे हैं । याद रखिये कि जिन्दगी इतनी कीमती चीज है कि प्रत्येक मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति किसी न किसी तरह अपने जीने के दिन बढ़ाने का प्रयत्न करता है । उच्चतमन्याया-लय ने घोषणा की है कि वह केवल गवाही के आधार पर फौजदारी मामलों में हस्तक्षेप न करेगा । परन्तु यदि आप उच्चतमन्यायालय में जायेंगे तो आप को पता चलेगा कि भारत में ९९ प्रतिशत मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों ने अपील करने की अनुमति के सम्बन्ध में अपनी याचिकाएं पेश की हैं तथा प्रत्येक ऐसी याचिका दो मिनट में रद्द की जाती है । यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है । मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति का जीवन काल बढ़ाने के लिए यह उसकी पत्नी, उसके मां बाप अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है । जब वह याचिका रद्द होती है तो वह क्षमादान की याचना करते हैं पहले सरकार से तथा फिर राष्ट्रपति से । इस में दो महीने लग सकते हैं । यह परिणाम उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं जिसने हत्या की होती है । उसका जीवन नरक बन जाता है । मौत की तलवार उसके सिर पर लटकती रहती है । मैं समझता हूं कि लोक हित में यह बात वांछनीय है कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को शीघ्र ही दंड दिया जाये जिस से कि लोग याद रख सकें कि एक व्यक्ति विशेष ने मानो जनवरी में हत्या की है तो उसे तीन महीने के अन्दर फांसी की सजा मिली है । यदि किसी व्यक्ति ने जनवरी, १९५४ में हत्या की हो तो दिसम्बर १९५५ अथवा १९५६ तक लोग सारी बातें भूल जाते हैं । उस समय तक उनकी हमदर्दी मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति के लिए नहीं रहती है तथा वह कहते हैं कि बेचारे की जान ली जा रही है । कोई भी व्यक्ति मारे गए व्यक्ति, उसकी पत्नी अथवा उसके बच्चों का ख्याल नहीं करता है । सुनवाई तथा समस्त प्रक्रिया यथा सम्भव शीघ्र होनी चाहिये ।

मेरे मित्र मुझे इस प्रक्रिया को वारंट मामलों पर लागू करने के सम्बन्ध में पूछते हैं । आज यह एक असाधारण मामला है कि प्रत्येक वारंट मामले में एक व्यक्ति पर तीन बार जिरह की जा सकती है । यह एक भद्दी बात लगती है परन्तु यह एक तथ्य है । आप गवाही देते हैं । अभियुक्त का वकील उठता है तथा जिरह करता है । फिर आरोप लगाए जाते हैं । फिर वकील यह कह सकता है कि इस व्यक्ति पर फिर जिरह की जाये । वह दूसरी बार जिरह होती है । जब अभियुक्त को अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा जाता है तो वह तीसरी बार फिर जिरह कर सकता है । इसका परिणाम क्या निकलता है ? परिणाम यह होता है कि लोग गवाही देने नहीं आते हैं । उन से पूछिये कि आप किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में क्या कुछ जानते हैं । वे कहते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं । कारण ? कारण यह है कि जब वह एक बार गवाही देने के लिए आयें तो उन्हें बार बार न्यायालय में आना पड़ता है । अब जिस प्रक्रिया का हम ने पूर्वानुमान लगाया है वह यह है कि गवाह को एक बार हाजिर होना होगा तथा उस पर जिरह की जायगी । हम यह बात दंडाधीश पर छोड़ते हैं । यदि वह समझेगा कि सफाई पक्ष की इस प्रार्थना के कारण सही हैं तो वह फिर जिरह करने की आज्ञा दे सकता है । अन्यथा, अधिकार के रूप

में यह बात नहीं रहेगी । मैं समझता हूं कि यह उचित उपबन्ध है तथा मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इसे स्वीकार करे ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

डा० काटजू : विलम्ब के कई कारण हैं । कार्यवाही स्थगित करना सब से अधिक खराब कारण है । यदि आप किसी गवाह के पास जायेंगे तो वह कहेगा कि वह बीमार है । इस पर मुकदमे की कार्यवाही स्थगित की जाती है । यहां हम ने यह उपबन्ध रखा है कि यदि स्थगन के लिए प्रार्थना की जाय तथा दंडाधीश कार्यवाही स्थगित करने के लिए तैयार हो तो वह उस समय तक कार्यवाही स्थगित नहीं करेगा जब तक उस दिन उपस्थित गवाहों के बयान नहीं लिए जायेंगे । मेरे मित्र मुझ से पूछते रहे हैं कि क्या हम ने सभी मुकदमों की कालावधि कम करने की कोशिश की है । हम ने अवश्य ही ऐसा किया है ।

दूसरी बात यह है तथा यह सभी फौजदारी मुकदमों पर लागू होगी । इस समय औपचारिक गवाहों की संख्या बहुत ज्यादा होती है । जब मैं न्यायालयों में हाजिर होता था, तो मेरे पास ऐसे मुकदमे आते थे तथा मुझे सैंकड़ों पृष्ठों पर छपी हुई गवाही प्राप्त होती थी । उन में से केवल १० प्रतिशत पृष्ठ काम के होते थे तथा अन्य ९० बिल्कुल बेकार होते थे । इस बात को सिद्ध करने के लिए पांच गवाह बुलाये जाते हैं कि घटनास्थल से किस तरह मृतक शरीर शमशान अथवा क़बरिस्तान तक पहुंचाया गया । वह कहते हैं कि हम ने उसे वहां पहुंचाया, आदि । यदि बयान देने के निश्चित दिन पर गवाह बीमार हो तो मुकदमे की सुनवाई स्थगित हो जाती है । कोई उसके साक्ष्य को पढ़ता नहीं है । यह बिल्कुल एक औपचारिक मामला होता है । उपबन्ध अब यह रखा गया है कि इन सभी औपचारिक बातों के सम्बन्ध में अभियोक्ता शपथ-पत्र दाखिल कर सकता है । शपथ पत्र में दिया गया बयान न्यायालय में मौजूद होगा तथा यदि न्यायाधीश अथवा अभियोक्ता पक्ष अथवा सफाई पक्ष उनमें से किसी भी गवाह को गवाही देने के लिए लाना चाहता हो तो वह ऐसा कर सकता है । इस तरह भी बयान देने के अवसरों की संख्या कम हो जायगी, और हो सकता है कि अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़े । जहां तक समन केसों का सम्बन्ध है हम ने प्रक्रिया कुछ आसान कर दी है । ऐसे मुकदमों की संख्या जिन में सरसरी तहकीकात की जाती है, बढ़ाई जा रही है । कदाचित् माननीय सदस्यों ने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि लन्दन और अन्य स्थानों में मैजिस्ट्रेट (दण्डाधीश) दो मिनट में अभियोग निपटाते हैं । पुलिस आती है, अभियुक्त को लाया जाता है, मैजिस्ट्रेट अभियोग सुनता है और आदेश जारी किए जाते हैं—कि ५ पौण्ड अर्थदण्ड दिया जाय । "तुम ३५ मील प्रति घन्टा की बहुत तेज़ गति से मोटर चला रहे थे । पुलिस वाले ने तुम्हें पकड़ लिया । हां—५ पौण्ड—१० पौण्ड अर्थदण्ड दो ।" किन्तु यहां अभियोग निपटाने में तीन तीन घण्टे लग जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये अभियोग क्या बला हैं ...

एक माननीय सदस्य : तीन महीने लग जाते हैं ।

श्री सैय्यद अहमद (होशंगाबाद) : एक वर्ष लग जाता है ।

श्री एस० एस० मोरे : इस प्रकार के मामलों में नहीं । (**अन्तर्बाधायें**)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य आपस में बातें न करें ।

डा० काटजू : अतःएव, इस प्रश्न पर विशद रूप से बात-चीत करते हुए, इस बात का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया गया है कि साक्ष्य, आदि लेने में अधिक समय न लगे जिस से अभियोगों की कार्यवाही शीघ्राति-शीघ्र की जा सके । दो-तीन मिनट में एक और बात भी बता देना चाहता हूं । अभियोग के निपटाने में जितना अधिक समय लगे उतना ही अभियुक्त को नुक़सान पहुंचेगा । राज्यपाल या मंत्री के नाते मैं प्रायः जेलों को देखने गया हूं, और कभी कभी मैं ने वहां यह भी देखा कि अभियोगाधीन व्यक्तियों की संख्या अभियुक्त बन्दियों से बहुत अधिक है । मैं उन के इतिहास-पत्र देखा करता था जिन में दो, तीन, चार महीने, आदि संख्या दी गई होती थी । १६ वर्ष का एक लड़का था । मैं ने पूछा कि कितनी देर से यह अभियोगाधीन है । मुझे बताया गया कि लुके-छिपे माल लाने ले जाने के लिए इसे ५ महीने से हिरासत में रखा गया है । यह बात विशेष रूप से बंगाल में होती थी जहां से पाकिस्तान को अथवा उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को लुके-छिपे माल लाया ले जाया जाता था—और इतने समय तक अभियोग की कार्यवाही नहीं होती थी । अतः हम ने इस विधेयक में यह उपबन्ध रखा है कि या तो इस प्रकार के अभियोग को छः सप्ताहों के अन्दर निपटाया जाना चाहिये, अथवा यदि सम्बद्ध मैजिस्ट्रेट अपनी कार्यवाही में ज़मानत पर छोड़ने से इन्कार नहीं करता, उस अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सकेगा । मेरा विचार है कि इस प्रकार की कार्यवाही बहुत उचित होगी, और इसलिए मेरा विनम्र सुझाव यह है कि इस प्रकार का उपबन्ध संगत एवं उचित होगा । इस से मैजिस्ट्रेटों को अभियोग निपटाने की प्रेरणा मिलेगी । अन्यथा, यह कहा जाएगा—"यदि आप उसे ज़मानत पर छोड़ दें तो वह साक्षियों को तंग करेगा, आदि ।" किसी भी व्यक्ति का तीन, चार या पांच महीने तक अभियोगाधीन अवस्था में रहना ठीक नहीं है । मैं ने यही एक उपबन्ध जोड़ दिया है ।

इस के बाद बहुत सी छोटी छोटी बातें आती हैं—अर्थात् जिस समय निर्णय सुनाया जाय उस समय के बाद वह जेल न जाय; उसी समय वहीं न्यायालय में मैजिस्ट्रेट उसे संक्षिप्त में बता दे—'इस व्यक्ति को दण्ड दिया गया है अर्थात् यह अभियुक्त है' ताकि उसी समय दो या तीन मिनटों में, सत्र न्यायाधीश को ज़मानत का प्रार्थना-पत्र दिया जा सके । जहां तक मानवता की सीमा है, हमें अभियुक्त को बचाना है और यह देखना है कि वह भी अपना बचाव कर सके, बिना किसी दोष के वह अभियोगाधीन (हिरासती) न रहे, उसकी स्वतंत्रता में बाधा न पड़े, और वह उच्चन्यायालय अथवा सत्र न्यायाधीश को अपील कर सके ।

चूंकि एक अध्याय समाप्त हो रहा है अतः मैं यहीं पर रुकूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कल अपना भाषण जारी करेंगे ?

डा० काटजू : हां, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । वह कल ही जारी करें ।

इसके पश्चात् सभा मंगलवार, ४ मई, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPD—HS—142 PSD—11-11-54—285